खण्ड-350, अंक-2
शुक्रवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(13 मार्च, 1981 ई0)

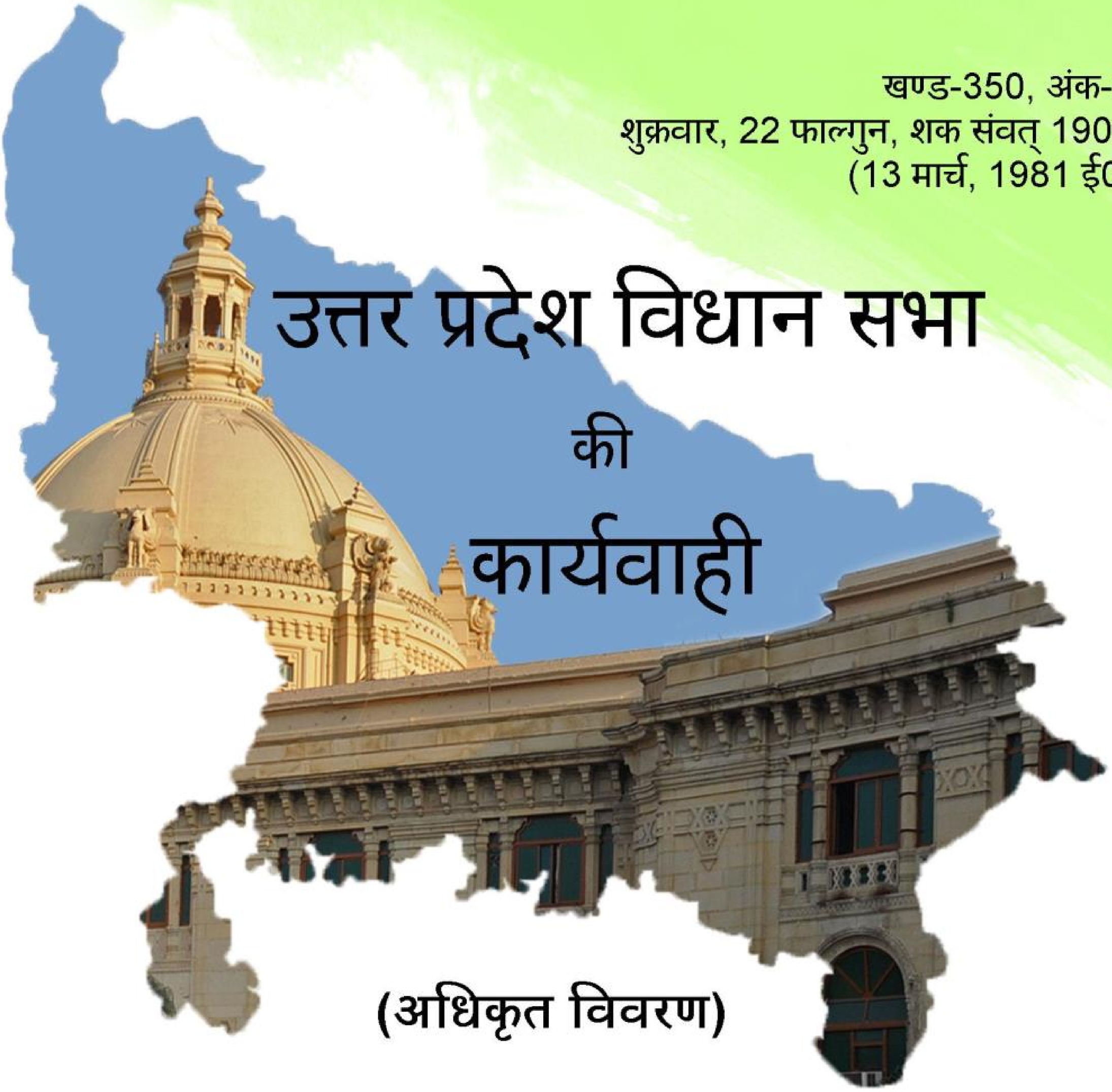

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	69–72
प्रश्नोत्तर ..	73–105
सदन म अव्यवस्था ..	105–107
प्रयाग में गंगातट के रसूलाबाद घाट पर बनी चन्द्रशेखर आजाद की समाधि को तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107–108
बाराणसी के ग्राम कैथी में ही रही चकबन्दी में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
गोन्डा जिले के ग्राम सभा मुझैनी में अग्निकान्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108–109
जनपद चमोली में निर्माणाधीन गुप्त काशी–जखोली मार्ग पर डायनामाइट विस्फोट से ग्राम सेमी के मकानों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109
राय बरेली के ग्राम भैंसी के प्रधान श्री हीरा लाल को थाना शिवगढ़ की पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109–110
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	110–112
गन्ना विकासमन्त्री, श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा मंत्रिमन्डल की स्वीकृति के बिना गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	112–116
"जनवार्ता" के सम्पादक श्री ईश्वर देव मिश्र के ऊपर प्राणघातक हमला करने के परिणामस्वरूप संम्पादकों एवं पत्रकारों में व्याप्त असंतोष एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	116–119
लखीमपुर–खीरी की एक मिल द्वारा विषाक्त पानी गोमती में छोड़ दिये जाने से लखनऊ में दूषित जल पीने से नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा तथा मछलियों के मरने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	119
आगरा में सेना के बम आदि पकड़े जाने के फलस्वरूप जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति अविश्वास तथा आशंका के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	191–123
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	123

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	124-126
1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 69--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 104--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 105-बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय--(जारी) ..	126-173
लखीमपुर-खीरी की एक चीनी मिल द्वारा विषाक्त पानी गोमती नदी में छोड़े जाने से लखनऊ में मछलियों के मरने एवं नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये खतरे के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	173-176
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	176
मेरठ में पुलिस द्वारा ट्रक ड्राइवर श्री रमेश की पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	176-182
नस्थियां ..	183-187

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--329

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)

छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिल राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दल गंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री, (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)

भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (बाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मुहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मुहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राय, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाह, कुंवर (कानपुर)
शिवनारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्य पाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 13 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*1—श्री हुकम सिंह—

[माननीय वित्त मंत्री की प्रार्थना पर 1 सप्ताह के लिए स्थगित]

*2—श्री जंग बहादुर—

[माननीय विद्युत् मंत्री की प्रार्थना पर 1 सप्ताह के लिए स्थगित]

[दिनांक 13 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जिले के गांव जमीन हरखोरी की पुनः चकबन्दी किये जाने की मांग

*2—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री तारीख 5 सितम्बर, 1980 को निर्धारित अतारांकित प्रश्न 20 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जब शिकायत नं0 4, 5, 8 तथा 16 पूरी तरह सही साबित जांच से हो गयी और शिकायत नं0 6, 11, 14 व 18 आंशिक रूप से सही थी तब दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गांव जमीन हरखोरी, परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की दोषपूर्ण चकबन्दी को निरस्त कर पुनः चकबन्दी कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जैराज गौतम)—

शिकायत नम्बर 4, 5, 8 के बारे में श्री वी0 के0 सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा शिकायत नं0 16 के बारे में श्री आर0 के0 सिंह सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । शिकायत नम्बर 6 के बारे में पाया गया था कि श्री सुदेश्वर सिंह, चकबन्दी अधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के समय ग्रामवासियों द्वारा दी गयी विदाई पार्टी में गये थे । सेवा निवृत्ति अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है । अन्य कर्मचारियों को जो उनके साथ बिदाई पार्टी में गये थे चेतावनी दी जा रही है ।

शिकायत नंबर 11, 14, 18 के संबंध में किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का उचित आधार नहीं पाया गया ।

जहां तक पुनः चकबन्दी कराने का प्रश्न है यह मामला न्यायिक है । धारा 48 के अन्तर्गत निगरानियों का निस्तारण करते समय उप संचालक चकबन्दी ही इस विषय पर उचित निर्णय ले सकेंगे ।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि श्री वी0 के0 सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा शिकायत नं0 16 के बारे में श्री आर0 के0 सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कब से यह कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट दे दी गयी है और विभागीय कार्यवाही जारी है।

श्री ऊदल--

उस गांव के ज्यादातर किसानों ने सरकार को और चकबन्दी कमिश्नर को यह लिख कर दिया है कि इस गांव में चकबन्दी बहुत खराब की गयी है, जिनकी शिकायतों से जाहिर होता है तो इसके बारे में उत्तर में यह कहा गया है कि चूंकि यह मामला न्यायिक है तो निगरानियों का निस्तारण करते समय उप-संचालक चकबन्दी ही इस विषय पर उचित निर्णय ले सकेंगे, तो क्या माननीय मंत्री जी उनको प्रार्थना-पत्रों को ध्यान में रखते हुए पुनः वहां पर चकबन्दी कराने पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

संबंधित गांव में 843 खातेदार हैं और जब चक बन गये, तो 418 आपत्तियां उन चकों के खिलाफ आयीं सी0 ओ0 ने निस्तारण किया और उनके निर्णय के विरुद्ध 252 अपीलें प्रस्तुत हुयीं। उनका निस्तारण भी एस0 ओ0 सी0 ने किया। उसके बाद एस0 ओ0 सी0 के निर्णय के विरुद्ध भी 84 निगरानियां डी0 डी0 सी0 के न्यायालय में गयीं और इसी बीच शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में चले गये परन्तु उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दिया और कहा कि जब तक वहां की सारी आपत्तियों और अपीलों व निगरानियों का निस्तारण न हो जाय तब तक उच्च न्यायालय में इसकी कार्यवाही नहीं हो सकती है, तो अब 84 वाद हैं निगरानी में और उनके फैसले होने पर ही वहां की चकबन्दी ठीक हो सकेगी।

श्री भीखा लाल--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि यह मामला न्यायिक है और संचालक चकबन्दी ही इस पर उचित निर्णय लेगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि न्यायिक के साथ-साथ प्रशासनिक मसला भी है। जिन अधिकारियों ने चकबन्दी में गड़बड़ी की है उनके खिलाफ अब कार्यवाही हो रही है लेकिन चकों के बनाने में जो गड़बड़ी हुयी, उससे किसानों को बड़ी कठिनाई हुयी। यह मामला प्रशासनिक है, तो क्या माननीय मंत्री जी प्रशासनिक स्तर पर विचार करके उनकी पुनः चकबन्दी कराने की कृपा करेंगे क्योंकि 418 आपत्तियों में से 252 अपीलें प्रस्तुत हुयी हैं। अतः क्या माननीय मंत्री जी उस गांव में पुनः चकबन्दी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

चकबन्दी नियमों के अनुसार इसमें व्यवस्था है कि सी0 ओ0 ने जो चक काटे अगर कोई काश्तकार उनसे संतुष्ट न हो तो एस0 ओ0 सी0 और डी0 डी0 सी0 के यहां अपील कर सकता है। तो वह एक तरह का न्यायालय है। जब मामला

उच्च न्यायालय में गया तो वहां से इसी आधार पर खारिज हो गया कि चूंकि अभी तक निगरानियां बाकी हैं, जब तक पूर्ण रूप से उन पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। यह न्यायिक मामला है। इसमें प्रशासनिक कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल--

क्या यह सही है कि सरकार में यह अधिकार निहित है कि वह किसी भी चकबन्दी को दोबारा कराने के आदेश कर सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कमिश्नर को भेज कर पुनः चकबन्दी करायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इस मामले में निदेशक और सहायक आयुक्त स्वयं वहां पर गये थे और जांच की और यह देखा कि चकबन्दी का बहुत सारा काम पूरा हो चुका है। पत्थर भी लग चुके हैं। 847 खातों में से केवल 84 में निगरानी का काम रह गया है जो समाप्त हो जायेगा। उसके बाद न्यायालय में जाने का अधिकार तो रहेगा ही। अब पूरा काम निरस्त करके प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री रियासत हुसेन--

एक तरफ इसमें न्यायालय का प्रोसीजर है, और दूसरी ओर जन असंतोष है चकबन्दी से। लोग चकबन्दी से संतुष्ट नहीं हैं, इस बात को देखते हुये और यह देखते हुये कि रूल्स में इसका प्राविजन है, तो क्या सरकार पुनः चकबन्दी कराने के आदेश देगी ताकि किसानों को संतोष हो सके ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने अभी कहा कि 847 में से अब सिर्फ 84 निगरानियां रह गयी हैं। जो गलतियां थीं वह ठीक हो गयी हैं। अब जब तक यह 84 निगरानियों पर कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मेरे यहां का उदाहरण मौजूद है, मेरे यहां पुनः चकबन्दी करायी गयी। वहां के बहुमत काश्तकारों को असंतोष था, इसलिये करायी गयी। इसलिये यहां पर भी किसानों को संतोष दिलाने के लिये क्या माननीय मंत्री जी पुनः चकबन्दी कराने के आदेश देंगे और वे किस आधार पर यह कहते हैं कि प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हो सकती ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर वे दे चुके हैं।

न्याय पंचायत कुकरा, जिला खीरी की भूमि का पट्टा

*3-श्री भीखालाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत कुकरा, जिला लखीमपुर खीरी में वर्ष 1976 व 1978 में पट्टे किये गये थे जो नायब तहसीलदार द्वारा जांच के बाद फर्जी व गलत पाये गये ? यदि हां, तो क्या पट्टे निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जराज गौतम--

न्याय पंचायत कुकरा, जिला खीरी में वर्ष 1976 व 1978 में किये गये पट्टे की जाँच कब्जा दिलाओ अभियान के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा की गयी किन्तु कोई भी पट्टे अनियमित नहीं पाये गये ।

अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री भीखालाल--

यह कब्जा दिलाओ अभियान कब चलाया गया और इन पट्टों की जांच कब हुई थी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह जांच हुई थी 29-9-80 को, और 30-7-80 को । इसमें 654 पट्टे थे । सब लोग काबिज पाये गये । केवल 48 पट्टेदार ऐसे थे जिनकी जमीन पर दूसरों का कब्जा था जबरदस्ती और उसमें जमीन जो है 90 75 एकड़ इनवाल्व है और इसके विरुद्ध जो 15 लोग हैं अनधिकृत काबिज हैं । 48 कब्ज की जमीन पर जो अनधिकृत काबिज हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यह मुकदमें चल रहे हैं ।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मेरा प्रश्न कब्जा दिलाने का नहीं है । मेरा प्रश्न है कि पट्टे जो दिये गये, उसमें कितने नियमित और कितने अनियमित थे ? मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 1980 से पहले भी नायब तहसीलदार ने इसकी जांच की थी और कुछ पट्टे अनियमित पाये गये थे और पट्टे खारिज नहीं किये गये और फिर उन्हें कब्जा दिलाया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, पूरे के पूरे पट्टेदार जो हैं, उनको कब्जा मिला है । 48 पट्टेदार जो हैं जिनकी जमीन पर लोग काबिज हैं, वह भी पट्टा नियमित रूप से किया गया था । सिर्फ 48 लोगों की जमीन पर लोग काबिज हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं मात्र इतना जानना चाहता हूं कि शिकायत के बाद या पहले किये गये पट्टों की दुबारा कोई जांच कराई गयी ? अगर जांच कराई गयी, तो किससे कराई गयी और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह जांच जो है, कब्जा दिलाओ अभियान शुरू हुआ, उसी में यह हुआ । परगनाधिकारी ने जांच की ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं, मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि जांच अभियान में जब हमारी टीम गयी कब्जा दिलाने के लिए, जो लोग कागज पर थे, कब्जा दिला दिया, ठीक किया, मैं इतना जानना चाहता हूं कि शिकायत परगनाधिकारी के नाम से दिया, अब पट्टे दिलाने की कार्यवाही किसने पूरी की ? क्या परगनाधिकारी के अतिरिक्त

किसी अधिकारी से जांच कराई गयी ? और उसका परिणाम क्या आया ? जांच आपने किससे कराई और उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? या कह दें कि जांच कराई ही नहीं गयी ।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया कि यह शिकायतें थीं कि बहुत जगहों पर जमीन पर कब्जा नहीं मिला जहां पर पट्टे दिये गये, तो इस सम्बन्ध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एस0 डी0 ओ0 सभी लोग इस अभियान में थे और यहां पर मैं निश्चित रूप से यह बताना चाहता हूं सदन को आपके माध्यम से कि यह जो पट्टे किये गये इसमें कोई अनियमितता नहीं थी, सिर्फ इसमें यह था कि 48 लोग ऐसे थे, जिनका उस जमीन पर कब्जा नहीं था ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, प्रश्न का जो मूल भाग है, वह पट्टे दिये जाने की नियमितता के बारे में है । 1976 से 1978 के बीच में जो पट्टे किये गये, जिन पर गांव के लोगों की या किसी की शिकायत आई थी कि पट्टे नियमानुसार नहीं हुए हैं, जिनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला है, क्या उस शिकायत की जांच की गयी या नहीं की गयी ? और अगर जांच की गयी, तो उसका नतीजा क्या निकला और अगर गलत पट्टे निकले, तो जिनके पट्टे गलत निकले, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, मेरे पास जो जानकारी है, मैंने स्पष्ट रूप से बताया, फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जितने पट्टे किये गये, इनमें कोई अनियमितता नहीं थी, नियमानुसार ये सारे के सारे पट्टे किये गये और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत भी मुझे इसमें नहीं मिल रही है । शिकायत अगर थी, तो यह थी कि कब्जा नहीं मिला ।

*4—श्री रियासत हुसैन—

[20वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव, जिला आजमगढ़ द्वारा गन्ने पर की गयी कटौती

*5—श्री पंचानन (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव, आजमगढ़ में वर्ष 1978–79 में किसानों के प्रति क्विंटल कितनी कटौती की गयी ? क्या उसमें 75 पैसा प्रति क्विंटल नान रिफन्डेबुल एकाउन्ट भी था ? यदि हां, तो यह कटौती क्या प्रदेश के अन्य चीनी मिलों में की गयी थी या केवल उसी चीनी मिल में ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियांव (आजमगढ़) में वर्ष 1978–79 में किसानों से गन्ना आपूर्ति पर एक रुपया पचीस पैसे प्रति कुन्टल की दर से कटौती की गई, जिसमें 75 पैसे प्रति कुन्टल नान-रिफन्डेबुल डिपाजिट तथा 50 पैसे प्रति कुन्टल किसानों की अंशपूंजी का भाग है ।

इस प्रकार की कटौती प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी की जाती है ।

फैजाबाद जिले में सूखा एवं बाढ़

*6—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978–79 तथा 1979–80 में सूखा और बाढ़ से जनपद फैजाबाद में कितने प्रतिशत की क्षति हुई है ? क्षति के प्रतिशत को देखते हुये कृषकों को लगान और सिंचाई माफ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों, हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद फैजाबाद में वर्ष 1978–79 (खरीफ 1386 फसली) में बाढ़ से 72 ग्रामों में 50 से 100 प्रतिशत तक तथा वर्ष 1979–80 (खरीफ 1387 फसली) में सूखा से 2,801 ग्रामों में 50 से 100 प्रतिशत तक की क्षति फसलों को हुई ।

खरीफ 1386 फसली की फसल को हुई क्षति के कारण मालगुजारी में छूट स्वीकृत की जा चुकी है । खरीफ 1387 फसली से सम्बन्धित छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है जिस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

सीतापुर जिले की सरायन नदी में नाव दुर्घटना

*7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिछली वर्षा के समय (माह जुलाई, अथवा अगस्त, 1980) सीतापुर में सरायन नदी पर हुई नाव दुर्घटना के कारणों की कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जैराज गौतम—

प्रश्नगत नाव दुर्घटना के कारणों की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा करायी जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दुर्घटना हुई थी जून–जुलाई 1980 में । एक लम्बा और दीर्घ काल बीत गया । जैसा कि मैं बता चुका हूं वह इतनी हृदय विदारक दुर्घटना थी कि 20 आदमी इस नाव दुर्घटना से मर गये, 9–10 लाशें मिलीं । एक–एक परिवार के तीन आदमी इस दुर्घटना में मारे गये । 9 महीने बीत जाने के बाद भी जांच नहीं हो पायी, इसका क्या कारण है ? और इतने महत्वपूर्ण और लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर जिस मैजिस्ट्रेट ने जांच नहीं की, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यह सही है कि 16–8–80 की शाम को 8–30 बजे दुर्घटना हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु की बात है और दूसरे ही दिन मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी सेट–अप हो गयी थी । यह मैं मानता हूं कि इसकी जांच में देर हुई ।

कल तक मेरे पास यह सूचना नहीं थी, आज सूचना आयी है कि यह जांच पूरी कर ली गयी है। इसमें निर्णय ले लिया गया है। अब यह रिपोर्ट चूंकि यह कागज अभी मुझे मिल रहा है कि जांच पूरी हो गयी है, तो क्या रिपोर्ट है, वह मेरे पास नहीं है जैसे ही यह रिपोर्ट मुझे मिलेगी, मैं सदन को अवगत कराऊंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मामला तो विशेषाधिकार की अवहेलना का बनता है कि मन्त्री जी ने तथ्यों को छिपा लिया। अपने आदमियों पर इनका इतना भी कब्जा नहीं है कि पूरी रिपोर्ट उनसे ले लें। मैं रिपोर्ट देखना चाहता था, रिपोर्ट भी इनके पास नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को स्थगित करा दें और एक सप्ताह के अन्दर उसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने की कृपा माननीय मन्त्री जी करें।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि जैसे ही रिपोर्ट मिल जायेगी, मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट मिल जायेगी, तो अगले सप्ताह में जब टर्न इनका आएगा, उस दिन के पहले यह रिपोर्ट मंगा लेंगे। परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए क्या यह उक्त रिपोर्ट को उससे पहले सदन के सामने रखेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैं माननीय रियासत हुसैन साहब की बात से सहमत हूं। अगले हफ्ते से पहले सम्भवतः कल ही यह रिपोर्ट मेरे पास आ जायगी। उससे पहले आप चाहेंगे तो मैं अवगत करा दूंगा और क्वेश्चन के दिन यदि आप चाहेंगे, तो उस दिन अवगत करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसे स्थगित करा दें।

श्री अध्यक्ष--

आपकी रिपोर्ट आ जायगी अगले सप्ताह में, तब तक के लिये स्थगित कर दिया है।

*8--श्री नन्द राम--

(माननीय विद्युत् मन्त्री की प्रार्थना पर 1 सप्ताह के लिए स्थगित)

*9--श्री इकबाल हुसैन--

(माननीय विद्युत् मन्त्री की प्रार्थना पर 1 सप्ताह के लिए स्थगित)

सहकारी खान्डसारी चीनी मिल, बजरंगनगर डोभी, जौनपुर की बन्दी

*10--श्री प्रभू नारायण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि सहकारी खान्डसारी चीनी मिल बजरंग-नगर डोभी, जौनपुर वर्ष 1974 से बन्द पड़ी है ? क्या सरकार इस चीनी मिल को अपने नियन्त्रण में चला कर क्षेत्रीय गन्ना कृषकों को राहत देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

यह खान्डसारी इकाई थी, जो डोभी गन्ना सहकारी प्रक्रियात्मक समिति लि० बजरंगनगर, जिला जौनपुर द्वारा चलाई जा रही थी। सत्र 1974-75 से बन्द पड़ी है। खान्डसारी इकाईयों को शासकीय नियन्त्रण में लेकर चलाने की कोई नीति नहीं हो जहां तक कृषकों को राहत देने का प्रश्न है। बजरंगनगर तथा आस-पास के गांव नन्दगंज सिरोही शुगर मिल, नन्दगंज, गाजीपुर के लिए सुरक्षित कर दिये गये हैं। बजरंगनगर स्वयं गन्ना क्रय केन्द्र है। क्षेत्र के गन्ना कृषक इस चीनी मिल को गन्ना की आपूर्ति कर भी रहे हैं।

*11--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[माननीय विद्युत् मंत्री की प्रार्थना पर 1 सप्ताह के लिए स्थगित]।

*12--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]।

तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई के अन्तर्गत चकबन्दी की मांग

*13--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम में कौन-कौन से गांव अब तक चकबन्दी में नहीं लिए गए? क्या सरकार इन ग्रामों में चकबन्दी कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जैराज गौतम--

जिला हरदोई की तहसील बिलग्राम के 100 ग्राम, जिनकी सूची संलग्न है, चकबन्दी में नहीं लिए गए थे।

उक्त ग्रामों में चकबन्दी कराने के संबंध में उस समय विचार कर लिया जायेगा जब तहसील संडीला में दुबारा चकबन्दी कराने के बारे में शासन द्वारा आदेश जारी किए जायेंगे।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 183 पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कितनी हास्यास्पद बात है कि तहसील हरदोई में सण्डीला में तो दुबारा चकबन्दी होने की नौबत आ गयी और तहसील के 100 गांवों की चकबन्दी अभी पहली बार नहीं हो पायी। इस पर माननीय मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि दुबारा चकबन्दी होगी सण्डीला की तो फिर विचार कर लिया जायगा। इन गांवों की चकबन्दी नहीं हो पायी, जनता शासन में भी आवाज उठाते रहे हैं और इनके शासन में भी, तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि माननीय, मन्त्री जी यह स्पष्ट घोषणा करें कि इन गांवों की चकबन्दी कराने के बाद सण्डीला में दुबारा चकबन्दी करायी जायगी?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, चकबन्दी में जो एरिया लिया जाता रहा है उसका एक नियम बना हुआ था और जिस गांव में 60 फीसदी जमीन ऐसी हो जहां चक बनाये जा सकते हैं और वह ऊबड़-खाबड़ नहीं है, कटान नहीं है, वहां पहले चकबन्दी होती थी, तो इन 100 गांवों में नियम के अनुसार चकबन्दी नहीं हो सकती थी। उसके बाद 1979 में यह नियम बदला गया और 60 फीसदी की जगह 40 फीसदी कर दिया गया।

इसलिए संडीला तहसील में जो स्टाफ होगा उससे इन गांवों का सर्वे करा लिया जायेगा और उनमें से जो गांव 40 फीसदी में आ जायेंगे वहां चकबन्दी करा ली जायेगी ।

श्री ऊबल--

अब तक 100 गांवों की जांच क्यों नहीं कराई गयी । मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य सही है कि बुन्देलखंड में करवी और मिर्जापुर में जहां पहाड़ हैं, वहां 40 फीसदी क्या 15 फीसदी भी जमीन ऐसी नहीं है और वहां चकबन्दी करायी जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, बुंदेलखंड और रूहेलखंड दोनों में कुछ छूट दी गयी है । माननीय सदस्य का जो कहना है कि इन 100 गांवों में पहले सर्वे क्यों नहीं कराया गया, तो ऐसे बहुत से गांव हैं जहां सर्वे नहीं कराया गया । लेकिन अब चकबन्दी करायी जा रही है तो जहां सबसे पहले हुई थी वहां एक-एक तहसील को लेकर चकबन्दी शुरू की जा रही है, तो जब वहां चकबन्दी होगी तो उस जिले में छूट गांवों, जहां से मांग करेंगे, में भी सर्वे कराकर चकबन्दी करायेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी इसको देखते हुए कि चकबन्दी का स्टाफ हरदोई में मौजूद है, इस समय, तो उस स्टाफ को निर्देश देंगे कि इन गांवों में सर्वे कराकर चकबन्दी की कार्यवाही शुरू करें ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जो स्टाफ है वह किसी न किसी काम में लगा है । जब वहां दुबारा चकबन्दी होगी तो संडीला तहसील आयेगी तो वहां भी सर्वे कराकर चकबन्दी करायेंगे ।

*14--श्री मोती लाल देहलवी--

[6-2-81 को तारांकित प्रश्न सं0 3 द्वारा उत्तरित] ।

श्री रमेश चन्द्र यादव एडवोकेट, प्रतापगढ़ का चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र एवं विधान भवन के समक्ष अनशन

*15--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक 7-11-77 को श्री रमेश चन्द्र यादव, एडवोकेट ने एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी (श्री केवलराम भाटी) को दिया जिसमें चकबन्दी अधिकारी श्री देशराज मिश्र, बन्दोबस्त अधिकारीगण श्री जयकृष्ण पालीवाल तथा अयोध्या प्रसाद तिवारी तथा उप संचालक चकबन्दी ए0 डी0 एम0 (डी0) श्री गंगाराम के विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की धारायें 34/109/165-अ/161/219 के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति हेतु याचना की गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने उसमें क्या किया ? क्या श्री रमेश चन्द्र यादव, एडवोकेट, प्रतापगढ़ ने विधान भवन के सामने दिनांक 14-12-78 को अनशन किया और दिनांक 20-12-78 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने लिखित आश्वासन दिया ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्री जैराज गौतम--

जी हां । विचारोपरान्त उसे अस्वीकृत कर दिया गया ।

श्री रमेश चन्द्र एडवोकेट द्वारा दिनांक 14-12-78 को अनशन पर बैठने की सूचना श्री संगम लाल शुक्ल, विधायक ने मुख्य सचिव को दी थी । मुख्य सचिव ने श्री शुक्ल को श्री यादव से भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध करने के लिए लिखा था और यह आश्वासन दिया था कि जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । मामले में जांच करायी गयी । श्री यादव द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध शिकायतें दी गयी थी । चूंकि श्री यादव द्वारा इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में रिट दायर की गयी है जो विचाराधीन है अतः इसके निर्णय के पश्चात् ही यदि कोई दोष अधिकारियों का पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रमेश चन्द्र यादव का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने किस तारीख को सरकार को भेजा और सरकार ने उसको किस तारीख को अस्वीकार किया और कलेक्टर को कब सूचना उसकी दिया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है । शासन ने जिलाधिकारी को सूचित कर दिया कि वह श्री यादव को सूचित कर दें कि मुकदमा दायर करने की इजाजत नहीं दी जाती है । मेरे पास जो जानकारी है वह यह है कि विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिलाधीश श्री यादव को यह सूचित कर दें कि उनका प्रार्थना-पत्र विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, स्थगित कर दें । मेरा निश्चित प्रश्न यह है कि जिलाधीश को यादव का प्रार्थना-पत्र किस तारीख को भेजा और सरकार ने अस्वीकार करके कलेक्टर को किस तारीख को सूचित किया । यह महत्वपूर्ण है मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी तारीख हो तो बता दें ।

श्री बैजनाथ कुरील--

इस सवाल के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बिन्दु यह है ।

श्री अध्यक्ष--

उसे छोड़िये ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मुझे कह लेने दें वह उच्च न्यायालय में है, तारीख की बात है, जब आप कहेंगे तारीख दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

एक तो न्यायालय का विषय है उसी से संतोष करना चाहिये । जहां तक तारीख का प्रश्न है कब पत्र आया है कब शासन ने उत्तर दिया यदि मालूम हो, तो बता दें नहीं तो स्थगित कर दूं ।

श्री बैजनाथ कुरील--

इस वक्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

एक सप्ताह के लिये स्थगित किया जाता है ? पूरी जानकारी करके बता दें।

राप्ती नदी की धारा परिवर्तन के फलस्वरूप गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया में सीमा विवाद

* 16--श्रीमती गौरी देवी--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राप्ती नदी के धारा परिवर्तन के कारण गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिले में किन-किन गांवों के बीच सीमा विवाद के मामले लम्बित हैं और कब से ? क्या राज्य सरकार इन सीमा विवादों के स्थायी हल हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री जैराज गौतम--

जनपद गोरखपुर के 6 ग्राम टिकरिया, टेढ़ावीर, गौरा बढ़या, रामनगर केवटलिया, रिगौली व जगदीशपुर तथा जनपद बस्ती के 11 ग्राम-छपियापराग, चिकनियाडीह, बेलौली, खेरा, नवगांव, बेलोहा, बान दुमर, जोरवा, विशुनपुर कछार, मझरिया शुक्ल व ठाठर के बीच सीमा विवाद की अपील वर्ष 1980 से अभिलेख अधिकारी के समक्ष लम्बित है ।

जनपद गोरखपुर के 5 ग्राम बैरियाडीह, बेरिया खास, मु0 राईपाल, सेमरा बुजुर्ग व घिसडी तथा जनपद देवरिया के 10 ग्राम ढ़ढ़िया, मोहरा, भदिला, कुन्डमहाल, धर्मपुर, केवटलिया, जगदीशपुर, गायघाट, मझरिया व करहकोल के बीच सीमा विवाद की अपील वर्ष 1980 से लम्बित है ।

इसके अतिरिक्त जनपद गोरखपुर के ग्राम टेड़ावीर व जनपद बस्ती के ग्राम थरौली के बीच 5-12-78 से सीमा विवाद है ।

सीमा विवाद का निस्तारण यू0 पी0 लैंड रेवेन्यू की धारा 41 तथा धारा 54 के प्राविधान के अन्तर्गत किया जाता है ।

नदियों की धाराओं के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न जिलों एवं ग्रामों की सीमा विवाद हल करने हेतु शासन के स्पष्ट आदेश भी हैं ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब प्रदेश में नदियों की धारा परिवर्तन के कारण बहुत से गांव व जिले के बीच सीमा विवाद का मामला लम्बित है, तो निश्चित अवधि के अन्दर ऐसे मामलों को हल करने के लिए सरकार विचार करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रयास यही किया जाता है जहां जहां धारा परिवर्तन और उससे विवाद पैदा हो तो वहां रिकार्ड आपरेशन कराये जाते हैं और कुछ निश्चित नियम बने हैं, उससे किसान को नुकसान नहीं होता। सिर्फ यह होता है कि हद बदल जाती है जो रिकार्ड आपरेशन के बाद ठीक हो जाती है। इस मामले में भी रिकार्ड आपरेशन हो रहा है।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, यह जो सीमा विवाद है, जो झगड़े उत्पन्न हुये हैं तो कितने मुकदमें फौजदारी के अन्तर्गत दर्ज हुये हैं, आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न कहां उठता है ?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जैसा मंत्री जी ने कहा नदी की धारा इधर से उधर हो जाने के कारण यह विवाद खड़े होते हैं और झगड़े होते हैं, तो इस चीज को देखते हुये कि नदी का जो पाट है, जो नदी है वह सरकार की सम्पत्ति है। इसलिये जहां नदी के कारण विवाद पैदा होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेकर इन मामलों को निपटाने की कोशिश करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसमें नियम बने हुए हैं। मान लीजिये नदी पूर्व पश्चिम में बह रही है और वह उत्तर की तरफ दब गयी, तो वहां की जमीन दूसरे गांव की तरफ चली गयी। मगर उस जमीन पर हक उसी गांव का होता है जिसमें जमीन है। चूंकि मेड़ वगैरह टूट जाती है, जब पानी सूखता है, नक्शे के हिसाब से उसका रिकार्ड आपरेशन करा दिया जाता है।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे कहने का मतलब है कि नदी के कारण यह विवाद खड़े होते हैं और नदी आपकी प्रापरटी है, तो आपकी वजह से विवाद खड़े होते हैं। क्या आप अपने इनीशियेटिव के ऊपर उन मामलों का निस्तारण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, शासन ही उसमें आता है। हम रिकार्ड आपरेशन कराते हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बंगाल ऐक्ट, मूल धारा आदि अनेक पहले के नियम हैं। लेकिन उनमें स्पष्ट नहीं है। मंत्री जी हेंपरिंग कर रहे हैं मेड़ के बदलाव के बारे में। नदी का रास्ता बदलने का मामला है। आजकल खेत तैयार हैं और अगर ऐसे मुकदमें लम्बित रहते हैं तो बहुत से कत्ल और फौजदारी हो जाती है। तो इससे दो गांवों में मामले उलझ रहे हैं तो कोई ऐसा नियम आप बनायें जिससे बहुत जल्दी इन मामलों का निस्तारण हो सके।

श्री बैजनाथ कुरील--

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरा दें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि मेड़ का बदलाव हो जाता है। प्रश्न है कि नदी की मूल धारा जब बदल जाती है तो उस समय एक गांव की जमीन दूसरी तरफ चली जाती है। चूंकि मेरे जिले में, मेरे गांव के आसपास कई बार इस संबंध में कत्ल हो चुके हैं। मैं राप्ती और गोरा नदी के बीच का रहने वाला आदमी हूं। आजकल फसल तैयार है तो क्या इन मामलों का निस्तारण जल्दी हो सके इसके लिये आप अपने एक्ट में प्रोविजन करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत ही उसका रिकार्ड आपरेशन होता है। यह शीघ्र कराने का प्रयास किया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हुये कि यह समस्या गंभीर है और करीब-करीब एक साल से मामला विचाराधीन है, तो जिस ओर प्रश्न के जरिये शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, तो कोई ऐसा आश्वासन देने की कृपा करेंगे जिससे निकट भविष्य में यह मामला निपटा दिया जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि इसमें बहुत देरी हुई है। लेकिन कई महीने तक सूखा और बाढ़ की स्थित रहने के कारण इसमें अधिकारी अब तक लगे रहे और वह जमीन भी डूबी पड़ी रही। लेकिन हमारे पास जो अब स्टाफ है, उससे रिकार्ड आपरेशन का काम काफी तेजी से हो रहा है। अब आशा है कि शीघ्र ही पूरा करा दिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि यह कार्य अब रिकर्ड आपरेशन के स्टाफ द्वारा शीघ्र करवाया जायेगा। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जहां ऐसी नदियां हैं, जहां ऐसी समस्याएं बराबर उत्पन्न होती रहती हैं, तो क्या ऐसे स्थानों पर कोई एक अलग से स्टाफ नियुक्त किये जाने पर विचार करेंगे। जो समय रहते समस्या पर कंट्रोल कर सकें ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, ऐसी नदियां तो हमारे प्रदेश में बहुत सी हैं और इस तरह से जब भी बारिश होती है, समस्या उठ खड़ी होती है और स्टाफ जो है इस कार्य के लिए फौरन लगा दिया जाता है, तो अलग से इसकी व्यवस्था करना हमारी समझ से जरूरी नहीं है ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, जब कटाई और बोवाई का समय होता है, तो वहां अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और फोर्स द्वारा फसल कटवाई जाती है, तो क्या शासन इसके लिए कोई ठोस कदम उठायेगा ?

श्री बंजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि रिकार्ड आपरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में शीघ्र ही उसका निस्तारण हो जायेगा ।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया । मैंने जो माननीय मंत्री जी से कहा कि यह जो कटाई का समय रहता है, तब वहां आर्डर आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है और फोर्स के द्वारा कटाई का काम होता है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे हर जिलों में निश्चित तौर पर कोई उचित बंदोबस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंजनाथ कुरील--

प्रयास किया जा रहा है और यह नदियां अपनी बनायी हुई चीज तो हैं नहीं और न ही वह किसी के बस की चीज है । बारिश होने पर नदियां जमीन काट देती हैं, परन्तु आप लोगों को भी थोड़े संतुलन से काम लेना होगा, क्योंकि इसके लिए शासन भी प्रयत्नशील है और काम हो रहा है ।

*17--जनार्दन प्रसाद ओझा--

(26-9-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित)

नरही, लखनऊ में निष्क्रान्त सम्पत्ति वाले मकान का श्रीमती विद्या मिश्रा को आवंटन

*18--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 आर0 आर0 पी0 रोड, नरही लखनऊ का निष्क्रान्त सम्पत्ति वाला मकान श्रीमती विद्या मिश्रा को किन परिस्थितियों में जिलाधिकारी, लखनऊ ने औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए आवंटित कर दिया जबकि श्रीमती विद्या मिश्रा के पास स्वयं एक सम्पूर्ण मकान पहले था ? क्या यह सत्य है कि मुख्य सचिव का ध्यान 10-10-80 और 13-10-80 को इस मकान के संबंध में आकर्षित किया गया था ? क्या शासन जिलाधिकारी, लखनऊ के असंगत आदेश को निरस्त करके मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति को मकान देने पर विचार कर रहा है ?

श्री जैराज गौतम--

श्री आर0 एस0 अवस्थी, विक्रीकर अधिकारी (भूतपूर्व कोषाधिकारी) लखनऊ 8 आर0 आर0 पी0 रोड, नरही, लखनऊ, पर स्थित भवन में निवास कर रहे थे उनके स्थानान्तरण पर पूर्व आवंटी श्री अवस्थी की सन्तानहीन विधवा चाची श्रीमती विद्या मिश्रा को औपचारिकताओं को पूर्ति करते हुए उक्त भवन 5-10-1980 को आवंटित किया गया । श्रीमती मिश्रा द्वारा एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि उनके पास अन्य कोई वैकल्पिक आवास नहीं है । प्रश्नकर्ता का

मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्र दिनांक 10-10-80 तथा 13-10-80 प्राप्त हुआ परन्तु उपर्युक्त परिस्थितियों में नियमानुसार उस पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि इस मकान के सम्बन्ध में जो गम्भीर अनियमितताएं बरती गयी हैं और क्या यह भवन रेन्ट कन्ट्रोल का परिधि के बाहर है और क्या जिलाधिकारी, लखनऊ को यह भवन एलाट करने का अधिकार है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ऐसे भवनों पर नियन्त्रण, कस्टोडियन जनरल को है, इसका हेड आफिस बम्बे में है । इस तरह की जहां-जहां प्रापर्टीज हैं । वहां के डिस्ट्रिक्ट को यह अथारिटीज दे देते हैं उनकी देख-रेख के लिये, उनकी व्यवस्था के लिय और उनसे जो किराया वगैरह आता है, उनको खर्च नहीं कर सकते हैं, जमा करते हैं, तो यह उनके आदेश हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि निष्क्रान्त सम्पत्ति नियन्त्रक बम्बई में रहते हैं । तो एक ओर तो जिलाधिकारी ने रेन्ट कन्ट्रोल के तहत एप्लीकेशन्स मांगी और दूसरी ओर श्रीमती विद्या मिश्र को सीधे कागज पर अलाटमेन्ट कर दिया। जब निष्क्रान्त सम्पत्ति नियन्त्रक बम्बई में रहते हैं तो यहां पर विद्या मिश्र को मकान अलाट कर दिया और दूसरी ओर श्री हलीम जो गोलागंज, लखनऊ का है उसकी एप्लीकेशन को आवंटन के लिये बम्बई रेफर कर दिया, इसमें क्या विरोधाभास है ?

दूसरी बात कि क्या यह सही है कि लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय के पिता लखनऊ में बहुत बड़े व्यापारी हैं और यह मकान पहले सेल्स टैक्स के एक उच्च अधिकारी के पास था । सेल्स टैक्स अधिकारी ने व्यापार के प्रभाव से उनके पिता से कहला कर एक बाल वेवा के नाम आवंटित कर दिया जो सन्तानहीन है और मान्यवर, यह किस आधार पर दिया गया जब कि लखनऊ के चप्पे-चप्पे पर तलवार चल रहीं हैं रहने के लिये ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि जिलाधिकारी महोदय के पिता व्यापारी हैं या वे व्यापारी हैं । मेरे पास जो जानकारी है वो इस प्रकार से है कि एप्लीकेशन्स आयी 24-9-80 को । परगनाधिकारी ने अब तक जितनी एप्लीकेशन्स आयी थीं, वे 9 थीं, उनको उन्होंने अपनी संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को भेज दिया और उसमें यह संस्तुति की कि यह मकान श्रीमती विद्या मिश्र के नाम अलाट कर दिया जाय और इस तरह वह अलाट कर दिया गया, और वह किस आधार पर कर दिया गया, किसको किया गया, क्यों किया गया, उनको पावर थी, कर दिया । अगर इसमें आपको कोई आपत्ति है तो जो इससे हायर अथारिटीज हैं, उनके पास जाइये, हायर अथारिटीज के पास जा सकते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि विद्या मिश्रा की एप्लीकेशन जो थी उस पर विधान परिषद् के सदस्य माननीय वी० एन० खन्ना जी की संस्तुति थी और माननीय शिक्षा मन्त्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी जी की भी संस्तुति थी और उन्हीं आधारों पर उन्होंने वरीयता दी होगी और वह अलाट हो गया ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर में विरोधाभास है। इन्होंने यह सही माना है कि उनको अलाट करने का अधिकार नहीं था और उन्होंने अफसरी अहंकार में...

श्री बैजनाथ कुरील--

यह मैंने कभी नहीं कहा कि उनको अधिकार नहीं था। कस्टोडियन आफिसर ने उन्हें नियुक्त कर रखा है, उनको इसकी पावर दे रखी है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह अधिकार था तो हलीम के मामले को उन्होंने क्यों नहीं रिफर किया ? एक ओर कहते हैं कि श्रीमती विद्या मिश्रा उनकी चाची हैं। चाची कहां से हुई वे अवस्थी और वे मिश्रा। एक शिक्षा मन्त्री ने संस्तुति कर दी और एम० एल० सी० ने संस्तुति कर दी तो इस संस्तुति के आधार पर मकान अलाट किया गया या कानून के आधार पर ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो जानकारी मेरे पास थी, वह मैंने बताया कि इस इस तरह से आबंटन हुआ है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, इसमें प्रश्नकर्ता को आपत्ति है कि यह आबंटन अवैध है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस आबंटन को निरस्त करके अगले आबंटन की कार्यवाही करने के आदेश देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसका मुझे अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, उन्होंने उत्तर दे दिया, अगर इसमें कोई आपत्तिजनक फैसला हुआ है तो आप इसे ऊपर उठा सकते हैं, उनके सामने जाकर चाराजोई कीजिये।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, इस तरह से अधिकारियों को संरक्षण मिलता रहेगा तो हम लोगों का पूछना बेकार है ?

श्री अध्यक्ष--

आप शासन पक्ष के लोग हैं, आप भी इसके लिये उत्तरदायी हैं।

सुन्नी वक्फ बोर्ड की एन्युटी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*19--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार को जानकारी है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1971 एन्युटी की जो दरख्वास्त दी गई थी वह बाढ़ में बह गई ? यदि हां तो, क्या बोर्ड ने

इसकी सूचना सरकार को दी थी ? जिन लोगों के एन्युटी के प्रार्थना पत्र इस बाढ़ में बह गये, उनको पुनः प्रार्थना-पत्र देने का अवसर दिया जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जैराज गौतम--

जी नहीं ।

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एन्युटी के सम्बन्ध में वर्ष 1971 में बोर्ड को दिये गये प्रार्थना-पत्रों को बाढ़ में बहने की सूचना शासन को नहीं दी । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मन्त्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई फेहरिस्त बाढ़ में नहीं बही। तो वह फेहरिस्त वक्फ बोर्ड के मुताबिक मौजूद है और यदि है, तो उसमें कितने नाम हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वक्फ बोर्ड के आफिस ने कोई फेहरिस्त नहीं भेजी है असल में मामला यह है कि एप्लीकेशन्स देने की तारीख आखिरी 1972 थी । अब सवाल यह उठता है कि कुछ एप्लीकेशन्स रह गयीं । बहने की कोई सूचना नहीं है । कुछ एप्लीकेशन्स तहसील भेजी गई थीं, वहां पर जो कार्यवाही हुई, उसमें सूचना जो मांगी गई थी, वह नहीं पहुंच पाई और वह खारिज हो गई । नम्बर मेरे पास नहीं हैं।

श्री रियासत हुसैन--

इनका कहना है कि कोई फेहरिस्त नहीं बही, इसका मतलब हुआ कि कोई न कोई सूचना होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह सूची सदन के पटल पर रख दें और अगर सदन के पटल पर रखने में कोई दिक्कत हो, तो मुख्य मन्त्री जी मेरे पास भेज दें ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने इस सम्बन्ध में प्रयास किया लेकिन मुझे सूची मिली नहीं । मैं बार-बार इस सम्बन्ध में प्रयास करूंगा ।

*20--श्री गोरे लाल शाक्य--

[25वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरजू सहकारी चीनी मिल, बिलराया, जिला खीरी की कथित बन्दी

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 22 जनवरी, 1981 को उद्घाटित सरजू सहकारी चीनी मिल, बिलराया, जिला खीरी आजकल मशीनों के बिगड़ जाने से बन्द है और किसान को अपना गन्ना न लाने की चेतावनी दे दी गई है ? यदि हां, तो सरकार काश्तकारों का गन्ना पिरवाने हेतु क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं, प्रश्नगत चीनी मिल बन्द नहीं है, तथा गन्ना काश्तकारों को गन्ना न लाने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है, अतः गन्ना पेराई की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रश्न की सूचना मैंने दी थी फरवरी 21-22 तारीख को । उत्तर अब दिया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय मैंने प्रश्न की सूचना दी थी, क्या उस समय, 22 जनवरी, 1981 को जिस मिल का उद्घाटन मुख्य मन्त्री जी ने किया, अब तक यह मिल तीन बार बन्द हो चुकी थी । यह क्या सही है कि मिल बन्द थी ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह नई मिल बिलरायां अक्सर घंटे-दो-घंटे के लिये मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण बन्द होती रही है । इसी प्रकार पूरे क्रम में यह मिल 2-2, 4-4 घंटे के लिये बन्द रही ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी सूचना को सही मानकर कि एक-सवा महीने हो गये, जैसा कि मन्त्री जी ने भी कहा है कि यह मिल मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण बन्द होती रही है । मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि उस मिल में बड़ा घपला किया गया है, घटिया मशीनें लगाई गई हैं, वहां के प्रशासक के खिलाफ भी शिकायत आयी हैं और जितनी चीनी बननी चाहिये वह नहीं बन रही है । चीनी की क्वालिटी भी बहुत घटिया किस्म की है, तो क्या इन सब चीजों की शासन जांच करेगा और उस सन्दर्भ में जो भी दोषी अधिकारी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कोई योजना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, कितनी शिकायतें आई हैं, इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति और मैं भी उसमें से एक हूं कि जब शिकायतें आती हैं, तो उसकी जांच के लिये भेज देता हूं और उनकी आख्या की प्रतीक्षा करता हूं कि जब वह आ जाय, तो उससे आपको अवगत करा दूं । वर्तमान मिल में जैसा कि मैंने अभी आपके प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेकेनिकल डिफेक्ट से वह कभी-कभी बन्द रहती रही और वर्तमान जो स्थिति है, वह शायद जानकर आप प्रसन्न होंगे कि बिलरायां चीनी मिल सात हजार से आठ हजार क्विंटल तक पेराई कर रही है और गेट पर जो गन्ना है, वह आवश्यकता से अधिक है, उसके ढुलाई की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और इस वक्त जो गन्ना उपलब्ध है, उसमें इस तरह की कोई आशंका नहीं है कि वह पेरने से रह जाएगा । मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि वहां का सारा गन्ना पेर लिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जो शिकायतें मिलीं कि मेकेनिकल डिफेक्ट के कारण मिल बन्द रही, नई चीनी मिल लगीं, नई मशीनें आई हैं तो इस बारे में सरकार ने कोई जांच कराने की कोशिश की कि मशीनें जो लगी थीं,

उसको फिटिंग में तो कोई डिफेक्ट नहीं था, उसमें जो खर्च हुआ है, उसमें कम खर्च किया गया हो, क्या इस पहलू पर शासन ने जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्या जांच करायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं जितनी भी शिकायतें हैं, उनको एकत्रित कराकर और उन पर जांच करवाकर जैसी स्थिति होगी, उससे माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

श्री जयदीप सिंह--

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस फैक्टरी ने अब तक जो 22 जनवरी से प्रारम्भ हुई है, अब तक कितनी पेराई की है और बचा हुआ गन्ना कितना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, यह तो अहम सवाल था । यह जानना बहुत जरूरी था ।

श्री अध्यक्ष--

कहा तो कि सूचना के बाद बतायेंगे ।

एच0 आर0 शुगर मिल, बरेली, केसर शुगर मिल, रजा शुगर मिल आदि की बन्दी

**2--श्री चेतराम गंगवार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को पता है कि 10 फरवरी, 1981 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एच0 आर0 शुगर मिल, बरेली, केशर शुगर मिल, बहेड़ी, जिला बरेली, एल0 एच0 शुगर मिल, पीलीभीत, रजा शुगर मिल, रामपुर आदि अनेकों चीनी मिलें गन्ना न मिलने के कारण बन्द हो गई हैं ? यदि हां, तो सरकार चीनी मिलों को गन्ना दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं । प्रश्न में दर्शित सभी चीनी मिलों में गन्ना पेराई कार्य जारी है ।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन चीनी मिलों की पेराई की क्या क्षमता है और इस समय वह कितनी क्षमता पर चल रही हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

शुगर मिल, बरेली साढ़े बारह सौ टन की पेराई क्षमता रखती है और यह जर्जर मिल है जो बहुत प्रयत्न करने के बाद अब ग्यारह सौ से लेकर बारह सौ टन तक पेराई कर रही है । दूसरी इसमें पूछा गया है बहेड़ी शुगर मिल के सिलसिले में इन सबके विषय में मैं जानकारी करा लूंगा, मान्यवर ।

श्री जयदीप सिंह--

मेरी जानकारी को सही मानते हुये मैं बताना चाहता हूं कि इन मिलों की पिराई क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। रामपुर की फैक्ट्री की क्षमता 25' 26 हजार कुन्तल प्रति दिन की क्षमता है, बिलासपुर की नई फैक्टरी की क्षमत 12000 कुन्तल प्रति दिन की है। बिलासपुर की फैक्टरी को अभी तक पचास प्रतिशत गन्ना भी सप्लाई नहीं हुआ, रामपुर फैक्टरी बन्द होने जा रही है, बहुत कम क्षमता का उपयोग हो रहा है, सरकार को इससे नुकसान हो रहा है, क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुये गन्ने की कोई व्यवस्था करायेंगे जिससे कि इस क्षेत्र में सभी मिलों को बराबर गन्ना मिलते रहे और कोई मिल पीछे न रहे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

आप ने ठीक ही ध्यान आकर्षित किया है। इस क्षेत्र में चलने वाली मिलों का जिन को गन्ना अवटित किया गया था, गन्ना आयुक्त ने फिर रिव्यू किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी मिल अकारण गन्ने की कमी की वजह से बन्द नहीं होने पायेगी और ऐसा भी नहीं हो पायेगा कि किसानों का गन्ना खेत पर खड़ा रहे।

श्री हुकम सिंह--

अध्यक्ष जी, अपने उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बड़ी शुभकामना की बात की है। मैं पूछना चाहता हूं कि जितनी शुगर फैक्टरीज हैं जिनके बारे में प्रश्न किया गया है, इन को गन्ना न मिलने का यह कारण नहीं है कि जो कीमत आप दे रहे हैं या फैक्टरीज दे रही हैं किसानों को उससे अधिक कीमत क्रेशर और खन्डसारी यूनिट दे रही है। यदि यह सही है, तो क्या आप मिल वालों को निर्देश देने की कृपा करेंगे कि तुरन्त तीस रुपये कुन्तल कीमत देना शुरू कर दें ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जिन फैक्टरीज के बारे में यह प्रश्न उठाया है वहां क्रेशर इकाइयां भी हैं। यह बात भी सही है कि उन में गन्ने की कीमत 25 से 27 रुपये तक है। जो सरकारी नियंत्रण में चलने वाली मिल हैं उनको अपने क्षेत्र के अन्दर गन्ना प्राप्त करने के लिये, जैसी स्थिति हो उसी के अनुरूप गन्ना खरीदने की आज्ञा दे दी गयी है और जहां तक मुझे ज्ञान भी है--एकदम निश्चित तो नहीं कह पाता हूं फिर भी बरेली मिल, बहेड़ी और रजा बुलन्द मिलें 26 रुपये का पेमेन्ट कर रही हैं।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ गया है कि जितनी फैक्टरीज हैं, जो मोस्टली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं इन में गन्ना सप्लाई होने में कमी आने के कारण यह भी है कि जिन लोगों पर सोसाइटी का लोन है, वे आप की फैक्टरीज को गन्ना न दे कर के प्राइवेट क्रशर को गन्ना डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या इसका प्रबन्ध करेंगे कि जिनके ऊपर सोसाइटी का लोन है उस गन्ने को उन के काश्तकार फैक्टरीज को ही सप्लाई करें ताकि फैक्टरीज को गन्ना पूरा मिल सके ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसकी जांच मैंने कराई। अपने क्षेत्र में जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, मैंने इसकी विस्तृत जांच कराई और उस वक्त यह पता चला था कि क्रशर का भाव हमारी मिल से 2 रु0 कम है। मेरे क्षेत्र में दो रुपये कमी के बावजूद लोग हमारी मिलों को गन्ना न दे कर क्रशर को क्यों दे रहे हैं? माननीय सदस्य, मुरादाबाद, ने जैसा कि ध्यान आकर्षित किया, मैंने इस की जांच एक, डेढ़ महीने पहले करायी। उसमें मैं स्वयं उपस्थित था कई घन्टे तक। 150 लोगों का बयान दर्ज किया गया। हम लोगों ने उन से बात की। उस वक्त यह पता चला कि लोगों के मन में ऐसी इच्छा है कि वे हमारी मिलों को अगर गन्ना देंगे, तो उनका पैसा काट लिया जायेगा। दो रुपये कम होने पर भी वे गन्ना क्रशर पर डाल रहे थे। मान्यवर, इस बात का भी परीक्षण किया कि हम किस तरह से उनको बाध्य कर सकें, कैसे हम उनको मजबूर करें कि हमारी मिलों को गन्ना सप्लाई करते हैं, जब मैंने इस का अध्ययन किया, तो स्वयं मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे इनको बाध्य करें। अगर माननीय विद्वान सदस्य कोई उपाय सुझायें तो उस पर अमल करेंगे।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, एक कठिनाई मन्त्री जी ने हमारे सामने रखी गन्ना फैक्ट्रियों को नहीं मिल रहा है और चीनी की बहुत कमी देश में है, तो क्या मन्त्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि फिलहाल आपने जो कर्जे का पैसा दिया हुआ है, उसकी वसूली स्थगित कर दें ताकि किसान गन्ना मिल वालों को दे सकें?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं इसको दिखवा लूंगा। यदि ऐसा होने से उनको कोई फायदा होगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, जैसा मन्त्री जी ने बताया कुछ क्षेत्रों में गन्ना ज्यादा है और कुछ में कम है, तो क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि कुछ फैक्ट्रियों जैसे बहेड़ी, रामपुर, काशीपुर में 26 रुपये क्विंटल और किसी में 23 रुपये क्विंटल गन्ने का पेमेंट हो रहा है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी ऐसे आदेश देंगे कि सभी मिलों में एक सा रेट रखा जाय?

श्री भानु प्रताप सिंह--

वह जो आदेश दिये गये थे कि किसी में 26 या किसी में 25 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिलें भुगतान दें, उन क्षेत्रों के लिये थे हमने कहा कि जिस क्षेत्र की जैसी स्थिति हो, उस तरह से वे दें और उसी हिसाब से वे गन्ने की कीमत भी बढ़ा दें। अगर किसी फैक्टरी को 10 हजार क्विंटल की जरूरत है और 8 हजार ही वहां पर गन्ना आया हो, तो दो हजार का उसका घाटा पड़ जायेगा। इसलिये इस तरह के आदेश किये गये कि अपने क्षेत्र की स्थानीय स्थिति को देखते हुये वे उसकी कीमत बढ़ा दें। क्योंकि उनको खांडसारी इकाइयों से भी कंपीटिशन करना पड़ता है। जैसा माननीय सदस्य रामपुर ने कहा है और आपने जो इंगित किया है, वहां गन्ना बहुत ज्यादा है और वह आपका सुझाव हमारी नीति के अन्तर्गत नहीं आता है। उनका गन्ना रजा बुलन्द मिल और बरेली शुगर फैक्टरी में भी डाइवर्ट करना पड़ता है। इसलिये ऐसे आदेश यहां से गये थे।

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, कहीं किसानों को उनके गन्ने की कीमत 26 रुपये मिलेगी और कहीं 23 रुपये मिलेगी, तो यह ठीक बात नहीं सब के लिए एक जैसा भाव होना चाहिये। जहां 26 रुपये देते हैं वह भी सरकारी फैक्टरी है और जहां 23 रुपया है, वहां भी सरकारी ही है। कोआपरेटिव के बेसिस पर है। इस तरह से किसान को नुकसान हो रहा है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हुकम सिंह—

श्रीमन्, उत्तर सुनकर ऐसा लगा कि जैसे पूंजीपति की तरह से ये भी जवाब दे रहे हों और किसानों का शोषण करने की नीति सरकार ने बनाई हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जितनी मिलें आपके क्षेत्राधिकार में हैं, आपको क्या कठिनाई है समान भाव सब मिलों के लिए आप रख दें। गन्ना उपलब्ध है, दोनों ही किसान हैं। सरकार को क्या दिक्कत है समान मूल्य दिलवाने में ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, हमारी कठिनाई यह है कि रजाबुलन्द और बरेली एच0 आर0 शुगर मिल हमको जर्जर और घाटे की अवस्था में प्राप्त हुई थी। उनकी सारी लाइबिलिटी हमको देनी है दूसरी तरफ हमारे माननीय सदस्य, रामपुर कहते हैं कि वह हमारी सरकार की मिल है उसकी जो व्यवस्था है वह दूसरी प्रकार की है। हमने किसी भी सहकारी मिल को ऐसे आदेश नहीं दिये हैं। जहां गन्ना कम आ रहा है और यह सही नहीं है उसकी वजह से उनको घाटा पड़ जायेगा इस बात को देखते हुए वहां के प्रधान प्रबंधकों को यह आदेश गये थे कि वे अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए गन्ने की कीमत बढ़ा सकते हैं। इसलिए उनके लिए 26 रुपये कर दिया था। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना कि ये पूंजीपति की तरह से व्यवहार कर रहे हैं और किसानों का शोषण कर रहे हैं। सारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार का कोई इरादा सरकार का नहीं है। हम सब किसानों को संरक्षण देंगे, उनकी मदद करेंगे। किन्तु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो मिलें जर्जर हैं, रुग्ण हैं उनको और बुरी दशा में जाने से हम बचाना चाहते हैं।

श्री धर्मवीर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी मिलें हैं चाहे कोआपरेटिव की हों चाहे कारपोरेशन की हों चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया के नियंत्रण में शुगर मिल हो मैं जानना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी हो ऐसी मिलें हैं जिसमें 26 रु0 से कम कीमत पर गन्ना लिया जा रहा है और क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे जैसा अभी माननीय हुकम सिंह जी ने कहा सभी मिलों में एक-सा दाम होना चाहिये, तो क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जो कस्टोडियनशिप की मिलें हैं या रिसीवरशिप की मिलें हैं, उनकी अलग-अलग स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें सहकारी क्षेत्र की अच्छी मिलों से जोड़ देना न्यायसंगत नहीं होगा, अगर उनके साथ इन मिलों को जोड़ देंगे, तो उनकी दुर्दशा इतनी ज्यादा हो जायेगी कि उसकी कल्पना करना कठिन है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमने कोई भी ऐसे आदेश नहीं किये हैं जिसमें सहकारी मिलों या रिसीवरशिप की मिलों या कस्टोडियनशिप की मिलों को अलग-अलग आदेश दिये हों। मैंने निवेदन किया कि जितनी भी मिलों के प्रधान प्रबन्धक हैं वह अपने क्षेत्र में जैसी स्थिति हो उसके अनुरूप गन्ना क्रय कर सकते हैं लेकिन किसी भी सूरत में वह 26 रु0 से ज्यादा उन्हें दिया नहीं जाना चाहिये क्योंकि इससे ज्यादा मिलें चलाना लाभप्रद (बायबल) नहीं होगा।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सिद्ध हो गया कि प्रदेश के किसानों के साथ दो तरह का नहीं कई तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बरेली में चूंकि इनके वोटर रहते हैं और उनसे वोट लेना है वहां चुनाव आ रहा है, इसलिए वहां 26 रु0 है। लेकिन ऐसी जर्जर स्थिति अन्य मिलों में भी है और दूसरा यह कि बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां काश्तकारों से 22 रु0 में गन्ना ले रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई कंपटीशन क्रशर्स के साथ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मिलें हैं और वहां पर किसानों की लागत गन्ने की वही आती है उनको 22 रु0 दे रहे हैं तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वहां भी 26 रुपये का भाव देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, हमारे विद्वान माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बात कह दी कि जहां से मैं आता हूं, जहां से चुनाव लड़ता हूं वहां 26 रु0 गन्ने का भाव है अगर मैं कह दूं मुझे क्षमा करेंगे कि मैं मेरठ में नहीं रहता और न वहां से चुनाव लड़ता हूं वहां 26 रु0 क्यों है तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम हिस्से हैं जहां गन्ने का दाम 26 रु0 दिया जा रहा है। मुझे यह पता होता कि इस तरह की स्थिति आ जायेगी तो मैं पूरी लिस्ट ले आता कि कहां-कहां क्या भाव दे रहे हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भेदभाव का प्रश्न नहीं है। वेस्टर्न सेक्टर में कई मिलें ऐसी हैं जहां 26 रु0 भाव दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिलों की बात कही...

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं भूल गया आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दिलाया वहां पर बहुत सी मिलें बन्द हो गयी हैं। वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां खांडसारी वालों से कंपीटीशन करना पड़ता हो।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

यह किसान रैली करते हैं और किसान की हमदर्दी की बात करते हैं। जहां कंपीटीशन होगा वहां ज्यादा देंगे और जहां नहीं होगा वहां किसान को लूटेंगे।

(व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य को ज्यादा उत्तेजित होने की बात नहीं है

(व्यवधान)

इसके विषय में बहुत ज्यादा राजनीति को समाविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह भाव तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूंजीपतियों से किसानों की रक्षा करने के लिए....

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि श्रीमन्, आप मेरी रक्षा इनसे करें। जब यह प्रश्न करते हैं तो मैं बड़ी शान्ति से उसे सुनता हूं और जब मान्यवर, मैं उत्तर देता हूं तो हमारे वह साथी सब्र से सुनते भी नहीं। सुन लें सन्तुष्ट न हों तो मेरे ऊपर फिर उनको आरोप लगाने का पूरा अधिकार है और मैं उसका हनन नहीं करना चाहता हूं। हम उन क्रेशर मालिकों से जिन्होंने जनता पार्टी के जमाने में गन्ना दो रुपया क्विंटल खरीदा था और बहुत सा खेतों में जला दिया गया था, यह तो मिल मालिकों व क्रेशर वालों की किसानों के साथ ज्यादती थी, उनसे उनकी रक्षा करने के लिए हमने उस क्षेत्र में गन्ने की कीमत 26 रुपया तय की है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जहां शासन का दायित्व है कि मिल चले, वहां उसका यह भी प्राथमिक दायित्व है कि किसानों को अपने उत्पादन का समुचित मूल्य मिल जाए, इसको देखते हुए अलग-अलग मिलों में अलग-अलग कीमत रखने का क्या औचित्य है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

हमने मिनिमम रेट तय किया था और उसके बाद जो भी अधिक मिल सके वह मिलेगा किसानों को, उसमें तो हम कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं। क्रेशर 32 रु0 प्रति कुन्तल में खरीदना चाहें तो खरीदें, प्राइवेट मिल 40 रु0 में खरीदना चाहें, तो खरीदें। जो हमारे नियन्त्रण में मिले हैं, उनको हम कैसे चलावें क्या हम उन्हें घाटे में ले जा सकते हैं यह सोचना होगा हम कहां तक घाटा उठायेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई चीनी मिलें 26 रुपया दाम दे रही हैं और उस क्षेत्र में सरकारी नियन्त्रण वाली जो मिलें हैं, आपने उनके एम0 डी0 को आदेश दिये हैं कि वह परिस्थिति देखकर 26 रु0 की कीमत दे सकता है। इससे स्पष्ट है कि वह मानते हैं कि 26 रुपये का दाम किसानों को दिया जाए तो मिल मालिकों को कोई घाटा नहीं है। अतः यह फिर दो रायें क्यों रखते हैं ? चीनी मिलें यदि जर्जर स्थिति में हैं तो इसका नुकसान किसानों को क्यों उठाना पड़े, तो मैं चाहूंगा कि क्या आप गम्भीरता से इसको करने के लिए तैयार हैं और क्या वह मिल मालिकों को बुलाकर उन्हें इसके लिए प्रेशराइज करेंगे और पूरब में भी 26 रुपये का मूल्य दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

नेता विरोधी दल ने बड़ा विचारणीय प्रश्न किया, जो अपने में गम्भीर है, मैं सादर सदन के समक्ष अपना यह विचार रखना चाहता हूं कि मिलों की आज से 3-4 साल पहले जो स्थिति थी किसी एक मिल की चलते-चलते जो घिसाई होती है तो उससे उत्पादन के द्वारा लाभ करने की जो क्षमता होती है वह धीरे-धीरे कम होती चली जाती है...

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

अगर किसी चीनी मिल मालिक की मिल जर्जर है तो उसका दायित्व किसान पर नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

जब क्रशर 4 रुपया दे रहे थे, तब जनता पार्टी की सरकार ने 14 रु० प्राइस दी । आज जब क्रशर 33 रुपया दे रहे हैं, तो यह सरकार 22 रुपया दे रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश को । अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की फैक्टरीज को यह 26 रुपया देने की घोषणा नहीं करते हैं तो मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री मोहन सिंह सदन का त्याग कर चले गये)

श्री खैरुल बशर—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर न देकर दो साल पहले की बात कही जा रही है । या तो माननीय मंत्री से सही उत्तर दिलवाया जाय या हम सब लोग वाक आउट करेंगे क्योंकि सरकार की नीति किसान विरोधी है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

अगर चीनी मिलों की जर्जर स्थिति है, तो इसका दायित्व किसान का नहीं है, यह दायित्व तो सरकार का है । जब दूसरी मिलें 26 रुपया किसान को दे सकती हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

व्यवस्था का प्रश्न है । क्या माननीय मोहन सिंह जी को अपने नेता पर विश्वास नहीं रह गया है जो उन्होंने अकेले ही बहिर्गमन किया है ?

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

सरकार के खिलाफ अविश्वास है । हम सभी लोग बाहर चले जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ प्रश्न किया और उसका माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे । उस बीच में व्यवधान हुआ और एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया और कहा कि व्यवस्था का उत्तर दिया जाय । प्रश्नों के बीच में कोई व्यवस्था नहीं होती । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उस प्रश्न का उत्तर पूरा कर दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मेरी बात जरा शान्ति से सुन ली जाय ।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल ने एक गंभीर प्रश्न उठाया । मैंने उसके उत्तर में एक तकनीकी बात कही । मिलों की जो स्थिति आज से तीन चार साल पहले थी, वह आज नहीं है । आज उनकी पहले से ज्यादा जर्जर स्थिति है । हर साल डेप्रिसियेशन वैल्यु बढ़ती जाती है और मिलों की उत्पादन क्षमता घटती जाती है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, दिक्कत इस बात की हो रही है ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं । आपकी मिलें जर्जर अवस्था में हैं यह मान लिया । मैं यह कहता हूं कि जर्जर होने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, किसान की नहीं है, बल्कि वह शासन की है ।

मान्यवर, मिलों की जर्जर अवस्था की बात कह कर किसानों को तो नुकसान नहीं उठाने देना चाहिये । अभी अभी तथाकथित किसानों की रैली कर चुके हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे वही रेट किसानों को दिलाने के लिए तैयार हैं । चूंकि कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया अतः हम सदन का त्याग करते हैं ।

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात कही है ।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष की ओर से एक सदस्य कह रहे थे कि व्यवधान पैदा करो । उनकी यह नीति सदन के विरोध में है । इसलिए मैं उनकी इस नीति के विरोध में सदन से वाक आऊट करता हूं ।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री अकबर हुसैन सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री प्रदीप कुमार यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो गन्ने की कीमत मुकर्रर होती है वह रिकवरी के आधार पर तय होती है। पूर्वी और पश्चिमी जिलों में उसके आधार पर 1 रुपये का रेट में अन्तर हो सकता है। इस प्रकार जब पश्चिमी जिलों में 26 रुपये रेट है तो पूर्वी जिलों में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो कहा है उसके विरोध में, मैं सदन का त्याग करता हूं।

(रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

अतारांकित प्रश्न

सहायक अभियन्ता, विद्युत्, जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं ठेकेदार की बकाया धनराशि

1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा तृतीय सत्र 1978 के तृतीय गुरुवार (28-12-78) के तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के संदर्भ में जो परिवाद पत्रों पर जांच हो रही है उनमें कौन-कौन कर्मचारी दोषी पाये गये हैं तथा जो कार्यालय से 2 माप पुस्तिकायें खो गयी थीं और उनके खो जाने से कौन-कौन ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है और प्रत्येक की कितना रकम है ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी हां। जांच पूर्ण हो चुकी है तथा श्री शिव कुमार के परिवाद पत्रों में निम्न श्रेणी की ईंटों की सप्लाई का जो आरोप लगाया गया था वह उपयुक्त पाया गया तथा तद्नुसार श्री अरुण कुमार गुप्ता, उप खंड अधिकारी एवं श्री नरेश चन्द्र जैन, अवर अभियंता के विरुद्ध उपरोक्त आरोप के सम्बन्ध में मिसलेनियस एडवांस डाला गया है जिसकी वसूली की जा रही है।

संदर्भित माप पुस्तिकाओं के खो जाने से किसी ठेकेदार का भुगतान प्रभावित नहीं हुआ है। श्री शिव कुमार ठेकेदार की 10 प्रतिशत की दर से काटी गई प्रतिभूति की धनराशि निम्न कारणों से भुगतान नहीं की जा सकी :

(1) किये गये कार्यों को विभागीय मापन से ठेकेदार द्वारा असहमति प्रकट करना।

(2) निर्धारित स्तर के अनुरूप कार्य का न होना।

(3) बिल के साथ तुलनात्मक विवरण एवं कोटेशन्स प्रेषित न करना।

(4) विभिन्न कार्यों की दरों का विश्लेषण प्रस्तुत न करना।

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शिव कुमार, सर्राफा बाजार, बुलन्दशहर का शिकायती-पत्र

2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री शिवकुमार, सर्राफा बाजार, बुलन्दशहर के शिकायती पत्र दिनांक 10-4-79 व 21-11-79 जनपद विद्युत् निर्माण खंड, मेरठ अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? कौन अधिकारी दोषी पाया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

3—श्री हर गोविन्द वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

राज्य योजना आयोग के निजी सचिव के पद पर श्री योगेन्द्र शर्मा की नियुक्ति एवं अनुसूचित जाति के वैयक्तिक सहायक तथा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पद

4—श्री मोहन सिंह तथा श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग के निजी सचिव ग्रेड-1 के पद पर श्री योगेन्द्र शर्मा, जिनका मूल पद वैयक्तिक सहायक का है को तदर्थ रूप से निजी सचिव ग्रेड-1 के पद पर नियुक्त किया गया है जबकि सचिवालय में इस पद पर उन्हीं निजी सचिवों ग्रेड-2 के अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

श्री योगेन्द्र शर्मा की नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ रूप से कार्यहित में नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति से की गयी है । यह पद सचिवालय संवर्ग से अलग है ।

5—श्री मोहन सिंह तथा श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग में वैयक्तिक सहायकों के कितने स्थायी पद हैं और उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों को निर्धारित आरक्षित कोटे के अनुरूप नियुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

राज्य योजना आयोग में वैयक्तिक सहायकों के 5 स्थायी पद हैं । आरक्षित कोटे के आधार पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है । ऐसा इसलिए किया गया कि आरम्भ में राज्य योजना आयोग के नये संगठन में अनुभवी वैयक्तिक सहायकों की आवश्यकता थी और उन्हें राज्य नियोजन संस्थान के विभिन्न प्रभागों से तथा सचिवालय में कार्यरत अनुभवी सहायकों से भरना उचित समझा गया ।

6—श्री मोहन सिंह तथा श्री हर गोबिन्द वर्मा—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग में अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक, सेक्शन आफिसर, समन्वय सहायक, वैयक्तिक सहायक, निजी सचिव ग्रेड-2, निजी सचिव ग्रेड-1 आदि के पदों के वही वेतनमान हैं जो कि सचिवालय के समकक्ष पदों के हैं और तकनीकी पदों के भी वही वेतनमान हैं जो कि राज्य नियोजन संस्थान के समकक्ष पदों के हैं ? यदि हां, तो इस बात का क्या कारण है कि राज्य योजना आयोग के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं रखा गया है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

राज्य योजना आयोग में सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय योजना आयोग के निर्देशों के अनुरूप विशेषज्ञता के आधार पर सम्पादित किया जाता है । इसलिए इसके सभी पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है ।

प्रदेश में शीतलहरी से मृत्यु

7—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में शीतलहरी से कितने आदमी 1 नवम्बर, 1980 से 13 जनवरी, 1981 के बीच मरे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

1 नवम्बर, 1980 से 13 जनवरी, 1981 के बीच प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में शीतलहरी से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

मोरना, मुजफ्फरनगर में सहकारी चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव

8—श्री मेंहदी असगर—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि मोरना, जनपद मुजफ्फरनगर में सहकारी गन्ना मिल की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मोरना, जनपद—मुजफ्फरनगर में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु भारत सरकार से आशय-पत्र प्राप्त हो गया है । चीनी मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिल लगाने की अनुज्ञा

9—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कितनी नई चीनी मिलें खोलने के लाइसेन्स प्राप्त हुये हैं ? उनमें से कितनी-कितनी अंश पूंजी उन क्षेत्रों से अब तक प्राप्त हुई है ? अकबरपुर, जिला फैजाबाद में पूर्व प्राप्त चीनी मिल के लाइसेन्स (जो अब निरस्त हैं) के लिये अब तक कितनी अंश पूंजी इकट्ठा हो चुकी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वित्तीय वर्ष 1980–81 में भारत सरकार द्वारा अभी तक सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिल खोलने के लिये केवल घोसी (जिला आजमगढ़) के लिए औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सितारगंज (जिला नैनीताल) व मोरना (जिला मुजफ्फरनगर) में सरकारी क्षेत्र में नई चीनी मिल लगाने हेतु भारत सरकार से लेटर आफ इन्टेन्ट प्राप्त हो गये हैं।

इन क्षेत्रों से अभी तक कृषकों से कोई अंशपूंजी एकत्र नहीं हुई है।

अकबरपुर क्षेत्र में वर्ष 1974 से अब तक केवल 15.08 लाख रु0 की अंशपूंजी इकट्ठा हुई है।

प्रदेश में शीरे से अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री

10—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शीरे के आधार पर अल्कोहल बनाने वाली कुल कितनी फैक्टरियां हैं तथा 1977 से 1980 के गत तीन बजट वर्षों में उन्होंने एल्कोहल पर आधारित किस–किस प्रकार की कितनी वस्तुओं का प्रतिवर्ष उत्पादन किया ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

प्रदेश में शीरे के आधार पर अल्कोहल बनाने की कुल 23 फैक्ट्रियां (आसवनियां) हैं। इस आसवनियों द्वारा वर्ष 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 में निर्मित अल्कोहल पर आधारित वस्तुओं से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 187 पर।)

सुन्नी वक्फ बोर्ड की एन्युटी

11—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कुल कितनी एन्युटी दी जाती है और वह कितने वक्फों को बांटी जाती है तथा आधार क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोई एन्युटी नहीं दी जाती है अपितु सुन्नी वक्फों को भुगतान की गई एन्युटी की धनराशि का एक अंश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली नियम 92 'के' (3) के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को देय है।

उन्नाव जिले में दिया गया गृह अनुदान

12—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1980 की अतिवृष्टि तथा बाढ़ से उन्नाव जिले के प्रत्येक तहसील में कितने मकान पूर्ण रूप से गिर गए और गृह अनुदान के लिये कितना रुपया जिले द्वारा शासन से मांगा गया था तथा कितना रुपया दिया गया और प्रत्येक तहसील में कितने गांवों में पूर्ण रूप से गिरे हुये मकानों को अनुदान बांटा जा चुका है और कितने गांवों में बांटना शेष है और इन शेष सभी गांवों को गृह अनुदान कब तक बांट दिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1980 की अतिवृष्टि तथा बाढ़ से उन्नाव जिले की तहसील उन्नाव में 6,092, हसनगंज में 12,022 पुरवा में 10,775 तथा सफीपुर में 4,442 कुल 33,331 मकान पूर्ण रूप से गिर गये। जिले द्वारा शासन से कुल 1,95,70,000 रुपया की धनराशि की मांग की गई थी। शासन से जिले को गृह निर्माण अनुदान में रुपया 1,90,70,000.00 की धनराशि दी गई। जनपद की तहसील उन्नाव में 257 गांव, हसनगंज में 420 गांव, पुरवा में 406 गांव तथा सफीपुर में 400 गांव में पूर्ण रूप से गिरे मकानों के स्वामियों को अनुदान बांटा जा चुका है तथा तहसील उन्नाव में 25 गांव हसनगंज में 70 गांव, पुरवा में 177 गांव कुल 272 गांवों में गृह अनुदान बंटना शेष है। इस सभी शेष गांवों में अनुदान वितरण का कार्य इसी माह में पूरा हो जायेगा।

लखनऊ के ग्राम बरगवां के खाता नं0 807 पर श्रीमती इन्द्राना का दर्ज नाम

13—श्री दीनानाथ—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जनपद में तहसील मलिहाबाद (काकोरी-बिजनौर) में ग्राम बरगवां की खतौनी संख्या 1384 से 1389 खाता नं0 807 कब से किसके नाम से है और वह भूमि खातेदार द्वारा किस प्रकार अर्जित की गई है ? क्या यह सही है कि उक्त जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम बरगवां के खाता नं0 807 जिसमें एक प्लाट खसरा नं0 813/3 का क्षेत्रफल 10 बिसवा प्रश्नगत अवधि में श्रीमती इन्द्राना, बेवा हुबलाल, निवासी बल्दी खेड़ा के नाम 1381 फसली से दर्ज है। इस भूमि पर श्रीमती इन्द्राना का नाम बतौर वारिस श्री हुबलाल मृतक के स्थान पर दर्ज किया गया है। यही सही है कि खाता नं0 807 की भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गई है।

बिक्रीकर कार्यालय, बदायूं में वृत्तिकर-मुकदमों का निस्तारण एवं कतिपय कर दाताओं पर विभिन्न कर निर्धारण का प्रस्ताव

14—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में वृत्तिकर के वर्ष 1971 तक कितने वाद निस्तारित किये गये थे और उनमें से कितने व्यापारियों पर कितना वृत्ति कर आरोपित किया गया था ? क्या सभी कर दाताओं पर कर वसूली के प्रमाण पत्र समय से जारी कर दिये गये थे ? यदि नहीं तो क्यों ? इस सम्बन्ध में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

चूंकि विभाग में निस्तारित वादों की संख्या वित्तीय वर्षवार रखी जाती है तथा अभिलेख भी 10 वर्ष या अधिक पुराने हैं, अतः वर्ष 1971-72 तक की सूचना दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 1971-72 के अन्त तक जनपद बदायूं के

बिक्रीकर कार्यालय में वृत्तिकर के 15,636 वाद निस्तारित किये गये तथा 10·41 लाख रु0 वृत्ति कर आरोपित किया गया था ।

व्यापारियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के अभिलेख एक साथ होने के कारण व्यापारियों की स्वतन्त्र संख्या पुराने अभिलेखों को छान-बीन कर एकत्रित की जा रही है । बिक्रीकर कार्यालय द्वारा वृत्तिकर बकाया के समस्त वसूली प्रमाण-पत्र नियमानुसार जारी किये गये ।

15--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में वृत्ति कर के निम्न वादों में करदाताओं पर भिन्न-भिन्न धनराशि के आदेश पारित किये गये थे, हाजी शब्बन चूड़ी विक्रेता, बदायूं 66-67, सरदार आटो स्टोर, बदायूं 66-67, छेया राम पीताम्बर दास कपड़ा, उझानी 66-67, सिलवर बूट हाउस, बदायूं 67-68 ? यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में वृत्ति कर के निम्नलिखित वादों में करदाताओं पर वृत्तिकर आरोपित किये जाने की स्थिति निम्न प्रकार है--

(1) सर्वश्री हाजी शब्बन चूड़ी बिक्रेता बदायूं, 1966-67--उपरोक्त करदाता पर उक्त वर्ष के दो आदेश क्रमशः दिनांक 16-3-71 व 26-3-71 तत्कालीन सहायक वृत्ति कर अधिकारी द्वारा पारित किये गये थे । जिनमें अनियमितता पाई गयी जिस पर जांच पर वह स्वयं तथा सम्बन्धित लिपिक ही दोषी पाये गये ।

(2) सर्वश्री सरदार आटो स्टोर, बदायूं 1966-67--इस करदाता वर्ष 1966-67 के वृत्तिकर सम्बन्धी दो कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 16-3-71 व 29-3-71 पारित किये जाने का प्रमाण मिलता है जो अनियमित थे । इस अनियमितता के लिये तत्कालीन सहायक वृत्तिकर अधिकारी तथा सम्बन्धित लिपिक दोनों ही दोषी पाये गये ।

(3) सर्वश्री छेयाराम पीताम्बर दास कपड़ा व्यापारी, उझानी जिला, बदायूं 1966-67--इस करदाता पर भी उक्त वर्ष में दो आदेशों द्वारा वृत्तिकर आरोपित किया गया । इस अनियमितता के लिये भी तत्कालीन सहायक वृत्तिकर अधिकारी एवं लिपिक दोषी पाये गये ।

(4) सर्वश्री सिलवर बूट हाउस, बदायूं 67-68--इस करदाता पर वर्ष 67-68 का वृत्तिकर सम्बन्धी कोई कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने का कोई उल्लेख पत्रावली में नहीं है । इस प्रकार इस फर्म के वृत्तिकर निर्धारण के सम्बन्ध में कोई अनियमितता की गई प्रतीत नहीं होती ।

2--जहां तक प्रश्नगत उपरोक्त क्रमांक 1, 2 तथा 3 पर अंकित करदाताओं पर भिन्न-भिन्न कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने की अनियमितताओं का प्रश्न है इसके लिये दोषी सहायक वृत्तिकर अधिकारी तथा लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

बलिया जिले में पकड़ा गया आबकारी का केस

16--श्री पुरुषोत्तम दास--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 की जिला बलिया में 1978-79 में पुलिस द्वारा कितने आबकारी के केस पकड़े गये और इन मामलों में आबकारी विभाग द्वारा टेक्निकल सर्टिफिकेट देने में 3 माह या अधिक का समय लगा कर देरी हुई और कितने मामले इस सर्टिफिकेट के अभाव में कोर्ट में देरी से पहुंचे या नहीं जा सके ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

पुलिस अधीक्षक, बलिया से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बलिया में 1978-79 तथा 1979-80 में पुलिस द्वारा क्रमशः 374 और 503 आबकारी के मुकदमें पकड़े गये ।

वर्ष 1978-79 में पकड़े गये 374 मुकदमों में से केवल 120 मामलों में और वर्ष 1979-80 में पकड़े गये 503 मुकदमों में से केवल 198 मामलों में आबकारी विभाग द्वारा टेकनिकल सर्टिफिकेट देने में 3 मास या उससे अधिक समय लगा ।

वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में टेकनिकल सर्टिफिकेट के अभाव में न्यायालय में देर से पहुंचने अथवा न्यायालय में न पहुंचने का कोई भी मामला नहीं रहा ।

प्रदेश की गन्ना मिलों का रद्द किया गया शीरा

17--श्री पुरुषोत्तम दास--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में प्रदेश के विभिन्न गन्ना मिलों का 1,67,988 क्विंटल शीरा को रद्दी घोषित किया गया है और उसकी आसवनियों या अन्य इकाइयों को नहीं दिया गया ? जिन फैक्टरियों में 1000 क्विंटल से ज्यादा शीरा रद्दी घोषित किया गया है वे कौन-कौन सी गन्ना फैक्टरियां हैं तथा उनका शीरा रद्दी घोषित करने के क्या कारण हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां । प्रदेश की विभिन्न गन्ना मिलों का 1,67,988 कुन्तल नहीं वरन् 1,98,343 कुन्तल शीरा रद्दी था और उसे आसवनियों या अन्य इकाइयों को आवंटित नहीं किया गया । प्रदेश की बलरामपुर, भटनी, बिसवां, काशीपुर, मझोला, नवाबगंज, प्रतापपुर, फरेंदा, पीलीभीत, सिसवा बाजार, वाल्टरगंज, औराई, पलियाकलां, बरेली, बिजनौर, डोईवाला तथा चांदपुर चीनी मिलों में 1000 कुन्तल से अधिक शीरा रद्दी हुआ क्योंकि उसमें शर्करा का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से कम था ।

सदन में अव्यवस्था

(12 बजकर 22 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत और शेष अस्वीकृत हुयी ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

कुछ बोलते रहे ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये) ।

(श्री यदुनाथ के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुलाया है । जो श्री यदुनाथ जी बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री यदुनाथ इसके उपरान्त सदन के बीच खाली स्थान पर आकर पर्चे बांटने लगे और फ्लोर क्रास करके भी सत्ता पक्ष की ओर पर्चे दिये ।)

माननीय यदुनाथ जी आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री यदुनाथ फिर भी पर्चे बांटते रहे ।)

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो कार्यवाही मैंने आज तक नहीं की है, उसे करने पर मजबूर होना पड़ेगा । मैं विरोध पक्ष के माननीय नेताओं से निवेदन करता हूं कि उन्हें समझायें और मुझे उस स्थिति से बचायें । उन्हें समझायें कि वे बैठ जायं, अन्यथा वह कार्यवाही मुझे निश्चित रूप से करनी पड़ेगी ।

(श्री यदुनाथ व्यवधान के मध्य बराबर बोलते रहे ।)

आप कृपया बैठें, आपको मैंने बोलने के लिए इजाजत नहीं दी है । आपका इस प्रकार से सदन में पर्चे बांटना और इस प्रकार बोलना अत्यन्त अनुचित है । अतः मैं आपने जो कुछ कहा उसे सदन की कार्यवाही से निकालता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ बराबर बोलते रहे जो सुनाई नहीं दिया ।)

माननीय यदुनाथ जी, आप कृपया बैठ जायं ?

श्री धर्म सिंह--

मान्यवर, मैं आपको नोटिस देता हूं और लिख कर भी दूंगा । आप पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इन्हें मान्यवर, एक सप्ताह के लिये निकाल दीजिये ।

(व्यवधान)

विधान पुस्तकालय

श्री धर्म सिंह--

या तो यह अपने शब्द वापस लें, वरना मान्यवर, मैं आपको इनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं, उसे आप स्वीकार करें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, शालीनता के साथ सदन की कार्यवाही चलना चाहिये, यदि ऐसी घटनायें होंगी तो इस पक्ष को भी उसका उत्तर देना ही होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं सभी माननीय सदस्यों से और सभी दलों के माननीय नेताओं का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वे इस ओर कृपया ध्यान दें । इस सदन की मान-मर्यादा, और गौरव की रक्षा आपके हाथों में है अगर आप लोग स्वतः उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो इस पद की मर्यादा की रक्षा नहीं होगी । मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी परिस्थिति में वह कार्यवाही नहीं करना चाहता जो अनुचित हो ।

श्री यदुनाथ--

हमें एक मिनट सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं हर पार्टी के नेताओं से निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपने दल के सदस्यों को अनुशासित करें और अगर कोई उनका अनुशासन नहीं मानता है तो वे कृपया यह देखें कि क्या वह सदस्य उनकी पार्टी में रहने योग्य है या नहीं ।

चूंकि यह सब कार्यवाही का अंग नहीं होगा इसलिये माननीय धर्म सिंह जी ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है, उसका प्रश्न नहीं उठता ।

प्रयाग में गंगा तट के रसूलाबाद घाट पर बनी चन्द्रशेखर आजाद की समाधि को तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आज सम्पूर्ण राष्ट्र जहां एक ओर अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के बलिदान को पूरे 50 वर्ष होने पर शहीद दिवस मना कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा इसी सप्ताह प्रयाग में गंगा तट के रसूलाबाद घाट पर स्थित आजाद की पवित्र समाधि को ध्वस्त करवा दिया गया । मान्यवर, वर्ष 1975 में राज्य सरकार के एक मंत्री ने उक्त समाधि के पुनर्निर्माण समारोह का उद्घाटन कर इसे एक अविस्मरणीय स्मारक के रूप में विकसित करने की योजना बनायी थी और अभी 27 फरवरी को आजाद के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

बलिदान दिवस पर देश के कोने-कोने से आये हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अनक उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में श्रद्धा सुमन चढ़ाये। इस घटना से चारों ओर घोर असंतोष है। जनता समाधि तुड़वाने के कारणों को जानना चाहती है। रसूलाबाद के नागरिकों ने भी एक जनसभा करके अपना रोष प्रकट किया है। मान्यवर, यह घटना संज्ञान में लाकर मेरी मांग है कि समाधि तोड़ने के कारणों से माननीय सदन को अवगत कराया जाये तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित और कड़ी कार्यवाही की जाये।

वाराणसी के ग्राम कैथी में हो रही चकबन्दी में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामकरन--

मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन तथा शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद व तहसील वाराणसी, परगना कटेहर के अन्तर्गत ग्राम कैथी में चकबन्दी की शुरुआत की गयी है। मुझे जानकारी मिली है कि चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी कानूनगो एवं लेखपाल गांव के भूतपूर्व जमींदार तथा प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर काफी वर्षों से गांव में बसे हुये हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के निवासियों की आबादी नहीं घोषित कर रहे हैं तथा उनकी जो थोड़ी सी जमीनें कृषि योग्य हैं उसकी मालियत कम लगाने आदि की घोर अनियमिततायें कर रहे हैं। यही नहीं प्रभावशाली लोग अपनी खराब जमीन की अधिक मालियत लगवा कर गरीबों की अच्छी जमीन पर चक बनवाने के लिये अधिकारियों से साठ-गांठ करने की साजिश कर रहे हैं। यदि इस प्रक्रिया के साथ चकबन्दी हुई तो सारे गांव के बसे हुए हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के लोग बेघरबार हो जायंगे। इससे यहां के हरिजनों में घोर रोष, आतंक तथा भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। यदि इस पर अविलम्ब कार्यवाही न हुई तो वर्ग संघर्ष छिड़ जायगा।

अतः आप से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन को निर्देश दें कि अविलम्ब वहां पर चकबन्दी रोककर लखनऊ से किसी भी अधिकारी को भेजकर जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लोगों को राहत मिल सके।

गोण्डा जिले के ग्राम सभा मुझैनी में अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में आग लगने के कारण 25 घर जल कर राख हो गये और लोग भूख से मर रहे हैं। जिला गोंडा तहसील-उतरौला में ग्राम सभा--मुझैनी, विकास खण्ड-श्रीदत्तगंज, में दिनांक 8-3-81 को 2·30 बजे दिन में अचानक आग लगने के कारण लगभग 25 घर जो गरीब किसान और मजदूरों के थे वह जलकर राख हो गये और सारी सम्पत्ति बर्बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गयी है जिससे ये भुखमरी के शिकार हो गये हैं। अब उक्त ग्राम की जनता के पास न खाने का, न पहनने का और न जानवरों के चारे के लिये कुछ रह गया है। एक तो तीन वर्षों से लगातार सूखे और शैलाब के कारण सारी फसल समाप्त हो रही है और जो बचा था, इस आग लगने से वह समाप्त हो गया है। इस कारण इस लोक महत्व की सूचना को आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार अधिक से अधिक व्यवस्था उक्त ग्राम के मकान जलने वालों को अधिक से अधिक राहत दी जाय, ताकि वह पुनः जीवन निर्वाह कर सकें।

जनपद चमोली में निर्माणाधीन गुप्तकाशी–जखौली मार्ग पर डायनामाइट विस्फोट से ग्राम सेमी के मकानों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी––

मान्यवर, हाल ही में जनपद चमोली में तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत निर्माणाधीन गुप्तकाशी–जखौली मार्ग पर डायनामाइट विस्फोट से उक्त मोटर मार्ग के नीचे बसे ग्राम सेमी पोस्ट गुप्तकाशी के दो मकान पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इन परिवारों के लोग पूर्णतः बेघरबार हो गए हैं। सड़क निर्माण से सेमी गांव के ऊपर की चट्टानों से काफी दरारें पड़ गई हैं, जिनके मामूली बारिश एवं भूकम्प से गिर जाने पर सारे गांव के क्षतिग्रस्त होने का भयंकर खतरा पैदा हो गया है। सेमी गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर बसाए जाने की मांग कर रहे हैं, परन्तु सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामवासियों में भयंकर निराशा, भय एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतएव, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि सेमी ग्राम के क्षतिग्रस्त बेघरबार हुए परिवारों को क्षतिपूर्ति हेतु शीघ्र ही आर्थिक सहायता प्रदान करें तथा इन परिवारों को एवं ग्राम के अन्य परिवारों को होने वाले खतरों से पूर्ण सुरक्षित स्थान पर बसाने की कृपा करें।

रायबरेली के ग्राम भौसी के प्रधान हीरा लाल को थाना शिवगढ़ की पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम गोविन्द––

मान्यवर, दिनांक 21–2–81 को ग्राम प्रधान श्री हरी लाल, ग्राम भौसी, थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली को वहां की पुलिस ने दिन में पकड़ लिया और बुरी तरह से मारते–पीटते एवं घसीटते हुए थाने ले गया तथा उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उनकी चोटी तक उखाड़ फेंकी। इस घटना से सारे क्षेत्र में रोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है। पुलिस ने मनगढ़ंत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सक की झूठी रिपोर्ट को आधार बनाकर केवल प्रधान को उसके ग्राम और उस क्षेत्र में जलील और बदनाम करने के लिए चिकित्सक के षडयंत्र से यह कार्य किया है। क्योंकि चिकित्सक के अभियोजित कार्यों को प्रधान रोकता था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोविन्द—]

मालूम यह भी हुआ है कि थानेदार श्री रामनरेश त्रिपाठी और वह चिकित्सक एक ही ग्राम के रहने वाले हैं और उसी कारण से थानेदार अपने बल और शक्ति का प्रयोग चिकित्सक की तरफदारी में प्रधान को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। इस घटना को लेकर सभी दलों के लोग आन्दोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जनता तथा सभी दलों के लोग आम सभा के बाद थाने का घेराव करने की योजना बनाई है जनता की मांग है कि इस पूरी घटना की जांच कराने से पहले थानेदार का स्थानान्तरण कर दिया जाय और फिर पूरी घटना की जांच कराई जाय।

अतः मैं, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष—

पहले पांचवें आइटम पर सूचना सुन लें, इसके बाद। सदन के समक्ष सूचना देनी है कि कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11/12 मार्च, 1981 की बैठकों में सदन के वर्तमान अधिवेशन के कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन की सिफारिश की है :—

1—शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 1981 को निम्नलिखित कार्य लिया जाय :—

(क) अपराह्न 4 बजे तक—वित्तीय वर्ष 1980–81 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण,

(ख) अपराह्न 4 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक वित्तीय वर्ष 1974–75, 1975–76 एवं 1976–77 के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं उनका पारण, तथा

(ग) अपराह्न 4.30 बजे से 5.30 बजे तक—उत्तर प्रदेश जिला परिषद और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसका पारण।

2—उद्योग विभाग से सम्बन्धित आय–व्ययक की मांगों पर, जो दिनांक 26 मार्च, 1981 के लिए निर्धारित हैं, विचार तथा मतदान, सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1981 को हो।

3— (क) सांस्कृतिक कार्य विभाग, सूचना विभाग तथा पर्यटन विभाग से सम्बन्धित आय–व्ययक की मांगों पर, जो दिनांक 27 मार्च, 1981 को आधा दिन के लिए निर्धारित हैं, विचार तथा मतदान, मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1981 को आधा दिन हो, तथा

(ख) परिवहन विभाग से सम्बन्धित आय-व्ययक की मांगों पर, जो दिनांक 27 मार्च, 1981 को आधा दिन के लिए निर्धारित है, विचार तथा मतदान मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 1981 को आधा दिन हो ।

4--मुख्य मंत्री से सम्बन्धित आय-व्ययक की मांगों पर, जो दिनांक 23 व 24 मार्च, 1981 के लिए निर्धारित हैं, विचार तथा मतदान गुरुवार, दिनांक 26 मार्च एवं शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1981 को हो ।

5--गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 1981 को आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के उपरान्त अपराह्न 5 बजे से उत्तर प्रदेश पथ-कर विनियमन, उद्ग्रहण और संग्रह नियमावली, 1980 में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित संशोधन पर विचार हो--आधा घंटा--"नियम 9 निकाल दिया जाय ।"

6--शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1981 को भी विधान सभा की बैठक हो और उस दिन पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्धित आय-व्ययक की मांगों पर विचार तथा मतदान हो ।

7--बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1981 को असरकारी कार्य के उपरांत अपराह्न 5 बजे से इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसका पारण हो--दो घंटा ।

8--गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को असरकारी कार्य के उपरांत अपराह्न 5 बजे से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसका पारण हो--एक घंटा ।

9--शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को असरकारी कार्य के उपरांत अपराह्न 5 बजे से निम्नलिखित कार्य लिया जाय--

(क) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसका पारण--आधा घंटा, तथा

(ख) देश की वन-सम्पदा का वनोन्मूलन रोकने और नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के निपातन और उससे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक तथा प्रासंगिक सभी विषयों का संसद द्वारा विधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के विनियमित किए जाने के विषय में सरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर विचार--आधा घंटा ।

10--शनिवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1981 को भी विधान सभा की बैठक हो और उस दिन निम्नलिखित कार्य लिया जाय :--

(क) अपराह्न 5 बजे तक--असरकारी कार्य, तथा

(ख) अपराह्न 5 बजे से--उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए की औषधियों का घपला पकड़े जाने और दवाओं के नाम पर अप्रमाणिक पदार्थ अस्पतालों को दिए जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना अभी श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गन्ना विकास मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा मंत्रि मण्डल की स्वीकृति के बिना गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, गन्ना विकास मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह, ने 12 जनवरी, 1981 को नारायणपुर गांव की जनता के बीच भाषण करते हुए यह कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों को 1 दिसम्बर, 1980 से ही गन्ने का निर्धारित मूल्य 23 रुपया प्रति क्विंटल मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री ने 20 जनवरी, 1981 को मंत्रि परिषद् की बैठक के बाद यह घोषणा की कि गन्ने का बढ़ा दाम अब 14 दिसम्बर, 1980 से नहीं, 7 दिसम्बर, 1980 से ही किसानों को दिया जायेगा। माननीय गन्ना विकास मंत्री की स्पष्ट घोषणा के बावजूद मंत्रि परिषद् से 7 दिसम्बर, 1980 से गन्ने का बढ़ा दाम स्वीकार किया। गन्ना विकास मंत्री ने मंत्रि परिषद् की परामर्श के बिना इस तरह का वक्तव्य देकर और स्पष्ट घोषणा कर संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का हनन किया है, उनकी घोषणा स्वीकार नहीं हुई। अतः उन्हें मंत्रि परिषद् में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे मंत्री के मंत्रिमंडल में बने रहने से विधान मंडल का कार्य संवैधानिक रीति से नहीं चल सकता क्योंकि संविधानानुसार मंत्रि परिषद् सदन के प्रति उत्तरदायी हैं और गन्ना विकास मंत्री जी ने ऐसी घोषणा करके अनुत्तरदायी होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, मंत्रि परिषद् के नियम 300 के अन्तर्गत इसका प्राविधान है और भारत का भी जो संविधान है उसके अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रि परिषद् सामूहिक रूप से प्रदेश की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तर-दायित्व के पीछे क्योंकि हर चीज संविधान में लिखी नहीं रहती है और लोकतंत्र परम्पराओं के अनुसार चलता है और इंग्लैंड में मंत्रि परिषद् के सामूहिक उत्तर-दायित्व के सम्बन्ध में जो परम्परा रही है उसके सम्बन्ध में 2-4 बातें जो विद्वानों ने कहीं हैं वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लार्ड पार्म्सटन(Lord Palmerston) ने निम्नलिखित कहा है:

"ए मेम्बर आफ दि गवर्नमेन्ट ह्वेन दि टैक्स आफिस नेसेसरली डिवेस्ट्स हिमसेल्फ आफ दैट परफेक्ट फ्रीडम आफ ऐक्शन ह्विच बिलांग्स टू ए प्राइवेट ऐण्ड इन्डिपेन्डेन्ट मेम्बर आफ दि पार्लियामेन्ट ऐण्ड दि रीजन इज दिस दैट ह्वाट ए मेम्बर आफ दि गवर्नमेन्ट डज ऐण्ड सेज अपान पब्लिक मैटर्स मस्ट टू ए सर्टेन डिग्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह

कमिट हिज कालीगर्लस इसकी हिन्दी इस प्रकार है कि एक सदस्य जो सरकार के सदस्य के रूप में बैठता है तो वह निश्चित रूप से संसद सदस्य के जो स्वतन्त्र और निजी विचार हैं वह एक सीमा तक अभिव्यक्ति से वंचित हो जाता है क्योंकि जब भी वह सार्वजनिक सवालों पर कोई राय व्यक्त करता है तो बहुत हद तक वह अपने सहयोगियों की ओर से यह राय व्यक्त करता है।

मान्यवर, गन्ना विकास मंत्री ने स्पष्ट घोषणा किया था कि 1 तारीख से गन्ने का बढ़ा दाम दिया जायेगा लेकिन मंत्रि-परिषद् ने बाद में जो घोषणा किया वह इनके वक्तव्य से विपरीत था। इसलिये एक मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य सम्पूर्ण मंत्रि परिषद् द्वारा दिया गया वक्तव्य माना जाता है। इससे सिद्ध है कि मंत्रि परिषद् ने जो फैसला किया वह मंत्री जी के राय के खिलाफ था। यदि खिलाफ था तो इनका जो नैतिक दायित्व था उसके बारे में निम्नलिखित उद्धरण उल्लेखनीय है जो हेरेल्ड जे0 लास्की की पार्लियामेन्ट्री गवर्नमेन्ट इन इग्लैण्ड के पृष्ठ 256 में है--

"इज ही मेक्स ए डिक्लेरेशन आफ पालिसी इन ए स्पीच अपान ह्विच देयर इज नो कैबिनेट डिस्सीजन, आइदर। लाइक मि0 लायड जार्ज इन दि वेल नोन मैन्सन हाउस स्पीच आफ 1911 ही मस्ट हैव वि एग्रीमेंट आफ विटाल कालेजियस हू कैन एश्योर हिज आफ कैबिनेट सैंक्शन आफटर वर्डस, आर, लाइक सर विलियम जान्सन-हिक्स हवेन इ 1927। ही प्लेज्ड दि कैबनेट टू ओमेन सफ्रेज ऐट ट्वेन्टीवन विथ नो सच कन्सलेशन ही मस्ट टेक दि रिस्क दैट ए रिफूजल आफ पोस्टहाट कन्सेन्ट विल पुट हिम इन ए पोजीशन हेयर ही हैज नो अल्टरनेटिव बट टू रिजाइन, दि कैबिनेट इज बाइ नेचर ए यूनिटी एण्ड कलेक्टिव रिस्पान्सविलिटी इज दि मेथड बाई ह्विच दिस यूनिटी इज सेक्योर्ड।"

इसकी हिन्दी इस प्रकार है--यदि वह अपने भाषण में नीतिगत बातों की घोषणा करता है जिन पर कैबिनेट ने कोई निर्णय नहीं लिया है तो वह यह जैसा कि मि0 लायड जार्ज ने 1911 में मैन्सन हाउस में अपने भाषण में किया था, उसे अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों से सलाह ले लेनी चाहिये जो उन्हें आश्वस्त कर सके कि बाद में कैबिनेट की स्वीकृति हो जायेगी या कि सर विलियम जैन्सन हिम्स, ने 1927 में बिना कैबिनेट की सहमति के 21 वर्ष की महिलाओं को वोट का अधिकार देने की बात किया था कि उन्हें इस बात का रिस्क लेना चाहिए कि यदि कैबिनेट उनकी बात नहीं मानती तो अपने से त्याग पत्र दे देंगे। स्वभाव से कैबिनेट एक इकाई है और सामूहिक उत्तरदायित्व ही एक ऐसा रास्ता है जिनसे यह इकाई सुरक्षित रह सकती है। मान्यवर, यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो सारे प्रदेश की जनता के सामने एक स्पष्ट बयान देकर कि मुझे खुद है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिये। यदि इनमें नैतिक बल नहीं था तो यह घोषणा नहीं करनी चाहिये थी। अगर सचमुच नैतिकता के साथ घोषणा की थी तो तत्काल मंत्रि परिषद् से इस्तीफा देकर जनमत जगाने का काम करना चाहिये था। किन्तु मंत्री ने न तो इस्तीफा दिया और न ही खेद प्रकाश किया। विडम्बना यह है राजा साहब के मंत्रिमण्डल की जिनको यह गन्ना विकास मंत्री बनाते हैं उसका कुछ सन्तुलन खो जाता है। अभी इनके पहले जो गन्ना विकास मंत्री थे उन्होंने बरेली में एक बयान दे दिया कि प्रदेश का बटवारा होना चाहिये दूसरे सदन में इस पर काफी चर्चा हुई है और पीठासीन अधिकारी ने कह दिया कि चूंकि मंत्रिमंडल के समक्ष प्रदेश के बटवारे का प्रश्न विचाराधीन नहीं है व्यक्तिगत

[श्री मोहन सिंह--]

हैसियत से गन्ना विकास मंत्री ने यह बयान दिया है। गन्ने का मूल्य पहली तारीख से दिया जाय, 7 तारीख से दिया जाय या 14 तारीख से दिया जाय यह बात निश्चित तौर से मंत्रिपरिषद् के विचाराधीन थी, इसलिये ऐसी स्थिति में इस प्रकार का बयान देकर पूरे प्रदेश के शासन को जो इस विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है, शासन कोई काम करता है तो वह माना जाता है कि विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है इस तरह का बयान गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, इससे विधान सभा की मर्यादा का प्रश्न खड़ा होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक गैर जिम्मेदार मंत्री के रहते यह मंत्रिपरिषद् संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकती है। इसलिये ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिपरिषद् से हटा दें। उत्तरदायित्व का निर्वहन न कर सकें जिससे यह सदन प्रदेश की जनता के सामने अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके।

श्री रियासत हुसैन--

जो मामला है इसमें निश्चित ही दो बातों का इन्वालमेंट है। मंत्री जी शपथ लेते हैं तो दो चीजों को लेते हैं पहले तो डियूटी का निर्वहन और दूसरी सिक्रेसी। जैसा मोहन सिंह ने कहा कब दिया जाय 1 को 7 को 14 को यह कब दिया। मंत्रिपरिषद् के अन्दर सिक्रेसी होनी चाहिये थी। मंत्री जी ने पब्लिक में घोषणा की उसका वायलेशन किया। इसलिये मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये।

*श्री अम्मार रिजवी (संसदीय कार्य मंत्री)--

मान्यवर, श्री मोहन सिंह ने गन्ना विकास मंत्री के वक्तव्य की तरफ इशारा किया इसमें जो उनकी जानकारी थी भेजी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान इंग्लिस्तान की नहीं भारत वर्ष के कौलशकधर की जो पुस्तक है सेकेण्ड एडीशन उसके पृष्ठ 586 की ओर दिलाना चाहूंगा :--

"दि एसेन्स आफ कलेक्टिव रेसपान्सिविलटी इज दैट ए मिनिस्टर इज फ्री टू इक्सप्रेस हिज डिसेन्ट ह्वेन ए पालिसी इज इन दि स्टेज आफ डिस्कशन बट आफटर ए डिसिजन इज टेंकेन एवरी मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू स्टैण्ड बाई इट विदाउट एनी रिजवशन" जिस समय कोई फैसला लिया जा रहा हो उसमें मंत्रिपरिषद् के किसी भी सदस्य को उस निर्णय के विरुद्ध अपनी डिसेन्ट बता सकता है एक्प्रेस कर सकता है। लेकिन जब कोई फैसला ले लिया गया है तो उस फैसले को लेने के बाद उसको उस फैसले का पाबन्द होना पड़ेगा। यहां पर जो स्थिति है वह इस तरह की है 12 जनवरी को किसी चीज को जिसकी ओर माननीय मोहन सिंह ने इशारा किया है कि माननीय गन्ना विकास मंत्री ने कोई भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि जो आपकी सिफारिशें हैं, तो किसानों की बातों को वह मंत्रि परिषद् में रखेंगे। बाद में मंत्रि परिषद् ने एक निर्णय लिया। निर्णय उससे कुछ भिन्न था जो बात वहां हुयी थी। लेकिन फैसला हो जाने के बाद, मंत्रि परिषद् का निर्णय हो जाने के बाद अगर गन्ना मंत्री जी कोई भाषण दें या वक्तव्य दें तो उस समय यह कहा जाता कि कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी सामूहिक उत्तरदायित्व का हनन हो रहा है।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें।)

कौल और शकधर की जो किताब है, उससे जो मैंने समझा है, ऐसी स्थिति में कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है उसका हनन नहीं हुआ है। यह बारह जनवरी की बात है, आश्चर्य इस बात का है कि 12 जनवरी की बात, जब वह इतनी महत्वपूर्ण थी तो उसको इतने दिनों बाद कैसे उठाया जा रहा है? उसको उसी समय उठाया जाना चाहिये था। इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने एक मसला और खड़ा कर दिया है। मुझे एक मिनट का मौका दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आपको अब मैं कैसे मौका दे सकता हूं ?

माननीय मोहन सिंह जी ने इस आधार पर औचित्य का प्रश्न उठाया है कि माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया कि पहली दिसम्बर से बढ़ा हुआ मूल्य दिया जायगा और मंत्रि परिषद् ने निर्णय किया 7 दिसम्बर से दिया जायगा और इस तरह से उन्होंने औचित्य का प्रश्न यह उठाया। माननीय रियासत हुसेन ने एक प्रश्न जोड़ा कि यह जो गोपनीयता की शपथ है उसका भी उल्लंघन है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कौल और शकधर का उद्धरण देकर यह बताने का प्रयास किया कि जब कोई निर्णय हुआ है, उस निर्णय के पहले कोई मंत्री कोई बात कह सकता है। मंत्रिमंडल का निर्णय हो जाय उसके बाद उसके विरोध में कोई बात नहीं कही जा सकती।

श्री मोहन सिंह--

ऐसी बात नहीं है, एक मंत्री की घोषणा सबकी मानी जाती है।

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहें। माननीय मोहन सिंह जी ने इस सम्बन्ध में और उद्धरण दिए हैं। माननीय मोहन सिंह ने अपनी सूचना के साथ एक इसमें जागरण गोरखपुर 14 जनवरी की एक प्रति लगायी है। मैं चाहता हूं कि सभी के समक्ष वह आ जाय कि क्या है?" "कसया देवरिया" 13 जनवरी, जागरण प्रतिनिधि। प्रदेश के गन्ना किसानों को एक दिसम्बर से ही गन्ने के मूल्य का भुगतान 23 रुपए प्रति कुन्तल के बढ़े हुए दर से मिलेगा। इस सम्बन्ध में गन्ना विकास मंत्री का एक प्रस्ताव आगामी 20 जनवरी को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकार कर लिया जायगा। उक्त बात प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह ने कल नारायनपुर गांव में आयोजित चार द्विवसीय एक समारोह को सम्बोधित करते हुए कही। इसके आगे कहा है--"वे नारायनपुर गांव में पुलिस द्वारा किए गए" यह दूसरी बात है। यह जागरण के प्रतिनिधि ने एक बात कही है। यह उसकी भावना है, जो उसने समझा उसने बतलाया है। इसमें कहा गया है कि एक प्रस्ताव दिया जायगा और 20 जनवरी को होने वाली बैठक में वह पास हो जायगा। माननीय मंत्री जी का इस सम्बन्ध में जवाब आया है, उनका जवाब मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं।

"माननीय मोहन सिंह, सदस्य विधान सभा, 11 जनवरी, 1981 को नारायणपुर गांव की जनता के सम्बोधन के समय उस क्षेत्र के कुछ किसानों ने गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में यह मांग रखी थी कि बढ़ा हुआ गन्ना मूल्य उन्हे 15 दिसम्बर के बजाय 1 दिसम्बर से दिलाया जाय। इस पर कुछ अन्य किसानों ने यह मांग रखी कि बढ़ा हुआ मूल्य उन्हें उनकी चीनी मिल के चालू होने की तिथि से दिलाया जाए। इसपर मैंने यह बतलाया कि मुझे बढ़े हुए मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में जितने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह सब मैं मंत्रिपरिषद् के समक्ष रख दूंगा और मंत्रि-परिषद् ही उस पर निर्णय लेगी। मैंने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की थी कि बढ़ा हुआ मूल्य 1 दिसम्बर, 1980 से दिया जायगा। इस प्रकार मंत्रि-परिषद् के निर्णय के पूर्व मैंने किसी प्रकार की घोषणा नही की।"

श्री अध्यक्ष--

तो जब इस प्रकार की कोई घोषणा ही नहीं की गयी, कोई घटना ही ऐसी नहीं घटी तो उसके लिए नियमानुसार कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(शोर)

एक सदस्य--

नारायणपुर गांव में हम लोग भी मंत्री जी के साथ थे, वहां मंत्री जी ने कोई इस प्रकार की घोषणा की ही नहीं।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी के कृत्यों पर इस तरह पर्दा डालना ही चाहिए।

श्री ऊदल--

मान्यवर, एक बात मेरी भी सुन लें। सिर्फ एक मिनट के लिए। जो मैंने लिखकर दिया था। एक बात जो हाउस में बहुत की जाती है कि फलां चीज रिकार्ड में नहीं है। रिपोर्टिंग में छूट जाती है उसकी आप जांच करवा रहे हैं लेकिन निवेदन यह है कि जो हाउस में बात होती है उस पर औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, मैं दिखलाऊंगा इसे (एक वक्तव्य है) मद संख्या 6 (क) में माननीय मुख्य मंत्री जी का।

"जनवार्ता" के सम्पादक श्री ईश्वरदेव मिश्र के ऊपर प्राणघातक हमला करने के परिणामस्वरूप सम्पादकों एवं पत्रकारों में व्याप्त असंतोष एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3 मार्च, 1981 को लगभग 11·00 बजे दिन में सात व्यक्तियों ने श्री ईश्वरदेव मिश्र, सम्पादक 'जनवार्ता' वाराणसी पर हमला किया जिसके फलस्वरूप श्री मिश्र के सिर पर चोटें आयीं। श्री मिश्र का राजकीय अस्पताल में तत्काल उपचार कराया गया। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कैंट पर धारा 147/323/307/342/452 भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया और तीन हमलावरों को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी दौरान एक अभियुक्त की लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 4-3-81 को थाना कैंट में सम्पादक एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक क्रास केस अन्तर्गत धारा 147/323/307/342 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया। सम्पादक की सुरक्षा हेतु उनके कार्यालय एवं निवास पर सशस्त्र एवं सादे कपड़े में पुलिस तैनात की गई है।

ज्ञात हुआ है कि उक्त हमले की घटना एक स्वामी के बारे में दिनांक 3-3-81 को 'जनवार्ता' में प्रकाशित एक खबर के फलस्वरूप हुयी। यह अभियुक्तगण उक्त स्वामी के चेले बताए जाते हैं। यह स्वामी बिहार के रहने वाले हैं, जो विभिन्न धार्मिक स्थानों का, अपने विचारों के प्रचार हेतु, भ्रमण करते रहते हैं। कहा जाता है कि इनकी विचारधारा परम्परागत हिन्दू धर्म से भिन्न है।

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस अधीक्षक (नगर) का इस घटना से कोई सम्बन्ध था क्योंकि घटना के दिन वे अवकाश पर वाराणसी से बाहर थे।

वाराणसी नगर में स्थिति सामान्य है।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को इसके सम्बन्ध में एक सूचना देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यगण इसके बाद कोई प्रश्न न उठावें।

श्री अध्यक्ष--

अब आपने अपना वक्तव्य पढ़ दिया। अब प्रश्न उठाने का कोई सवाल नहीं उठता।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री रियासत हुसैन--

अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मसला है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, 56 आदमियों की जिन्दगी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं वक्तव्य पर बोलने के लिए स्वीकार करूं तो एक के बाद एक प्रश्न होंगे, यह परम्परा बन जायेगी, यह परम्परा मैं नहीं डालना चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह--

श्रीमन्, एक मिनट सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री ऊदल जी के द्वारा उठायी गयी थी।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसी विषय को हम सब लोगों ने भिन्न-भिन्न रूप में दिया है।

कृपया आप लोग बैठ जायं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न....

(दोनों पक्षों के सदस्यों के आपस में जोर-जोर से बात करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग यदि आपस में बातचीत करते हैं तो फिर मुझे प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रश्न के महत्व को समझते हुए मैंने इस पर वक्तव्य दिलाया था और जैसे कि मैंने आप सब लोगों से कहा कि यह कोई परम्परा नहीं बननी चाहिए। यहां आप ठीक कह रहे हैं कि यह प्राणघातक हमला था और जिन लोगों ने इस प्रश्न को उठाया है उन्हें मैं केवल एक-एक मिनट अपनी बात कहने के लिए देता हूं।

श्री ऊदल--

मैं श्रीमन्, स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो क्या यह सही है कि जैसा कि आपके वक्तव्य में लिखा हुआ है कि 4-3-81 को थाना कैन्ट में सम्पादक एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक क्रास केस पंजीकृत किया गया। यह सही है कि नगर पुलिस अधीक्षक वहां पहुंच गये थे और जो तीन आदमियों की गिरफ्तारी की गयी है, वे हड़ताल में भी शामिल थे, तो जो रिपोर्ट दर्ज करायी गयी वह किसके माध्यम से दर्ज करायी गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैंने पहले भी चाहा था कि स्पष्टीकरण दे दूं, जिससे कि माननीय सदस्य की उत्सुकता जिसमें है....

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्पष्टीकरण कीजिये।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसमें जो क्रास केस दर्ज कराया गया था उसकी विवेचना हुई है और दुर्भाग्यवश कोई साक्ष्य न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, यह जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि ज्ञात हुआ है कि उक्त हमले की घटना एक स्वामी के बारे में दिनांक 3-3-1981 को "जनवार्ता" में प्रकाशित एक खबर के फलस्वरूप हुई। ये अभियुक्तगण उक्त स्वामी के चेले बताये जाते हैं। यह बयान से स्पष्ट है कि स्वामी सदानन्द ने चेलों से जनवार्ता के सम्पादक को मरवाया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पुलिस ने स्वामी सदानन्द से कोई बयान लिया है और उनके विरुद्ध कोई मुकदमा कायम किया कि जो यह कान्सप्रेसी थी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसमें एफ० आई० आर० जो लिखाई गयी है उसमें वह स्वामी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उनका हवाला नहीं था, फिर भी हम स्वामी जी के कार्यकलापों की जांच करा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जैसा कि लोगों ने पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाये थे तो क्या यह कहना सही है कि पुलिस अधीक्षक का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं था, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि 3 तारीख को एस० एस० पी० साहब शहर में नहीं थे, यह भी बाबा जी के शिष्य हैं, उनकी धर्मपत्नी भी उनकी शिष्या हैं, तो क्या यह सही है कि उनको मना किया अपनी कार भेज कर कि अभियुक्त पकड़े न जायें लेकिन नीचे के पुलिस कर्मचारियों ने उनकी बात नहीं मानी और उनको हथकड़ी पहना कर ले गये। वह हिन्दू धर्म की भावना के विरुद्ध प्रवचन किया करते थे, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दबाने की कोशिश पुलिस अधिकारियों ने नहीं की. इस सम्बन्ध में जो वहां के पुलिस अधिकारी थे उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

श्री मोहन सिंह--

पुलिस अधीक्षक का कोई दोष नहीं था, उनको अभी तक हटाया नहीं गया है, यह मेरी जानकारी है, एफ0 आई0 आर0 में नाम स्वामी जी का नहीं था यह भी ठीक है लेकिन आप कहते हैं कि यह ज्ञात हुआ है कि उन्हीं की वजह से यह हुआ है, तो जब अब आपको यह ज्ञात हो गया है तो अभी तक उनको गिरफ्तार न किये जाने का कारण क्या है ? क्या शासन और वहां की पुलिस दोनों सक्रिय हैं जो उनको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तो आपसे निवेदन कर रहे हैं स्वामी जी के क्रिया कलापों की जांच की जा रही है ।

लखीमपुर खीरी की एक मिल द्वारा विषाक्त पानी गोमती में छोड़ दिये जाने से लखनऊ में दूषित जल पीने से नागरिकों को स्वास्थ्य का खतरा तथा मछलियों के मरने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 6 (ख) जो गोमती नदी में विषाक्त पानी छोड़े जाने से मछलियों के मरने एवं नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये खतरे के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के लिये मंत्री जी ने निवेदन किया था कि इसे 5 बजे अपरान्ह ले लिया जाये इसलिए यह 4 बजे अपरान्ह लिया जायेगा ।

आगरा में सेना के बम आदि पकड़े जाने के फलस्वरूप जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति अविश्वास तथा आशंका के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-2-81 को मकान नं0 9/664, मोती कटरा, आगरा जिसमें प्रतिष्ठान आगरा बर्तन भंडार का गोदाम है, के मालिक श्री सरदार सिंह व श्री नरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में कुछ व्यक्ति बम तोड़ने का कार्य कर रहे थे । लगभग 6-30 बजे सायंकाल एक बम तोड़ते समय विस्फोट हो गया, जिससे बड़े जोर का धमाका हुआ और धमाके के फलस्वरूप उपरोक्त गोदाम का अग्रिम भाग टूट कर गिर गया तथा निकट के मकानों को भी नुकसान पहुंचा ।

इस विस्फोट की सूचना टेलीफोन द्वारा थाना कोतवाली में सायंकाल 6-35 पर प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची । उपरोक्त विस्फोट के फलस्वरूप एक व्यक्ति की घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई । घायल व्यक्तियों को तुरत ही अस्पताल भिजवाया गया, जिनमें से 2 घायल व्यक्तियों को जिनको कि अभियुक्तगण सरदार सिंह एवं नरेन्द्र सिंह आदि ने तहखाने में छिपा दिया था, को भी बरामद किया । एक व्यक्ति गुलाब जो कि पुलिस के पहुंचने के समय जीवित था, को सरदार सिंह एवं नरेन्द्र सिंह अन्य व्यक्तियों की मदद से जान से मारने एवं छुपाने की नियत से बोरे में भर रहे थे, को भी बरामद किया और

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

जिसको कि तुरंत अस्पताल भिजवाया गया परन्तु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। घटना-स्थल पर से सरदार सिंह, नरेन्द्र सिंह सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 304/307/201/436/338/337/109 भा0 द0 वि0 व 5 एक्सप्लोसिव ऐक्ट व धारा 25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया, परन्तु गुलाब की मृत्यु होने पर यह अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 में बदला गया। दो अन्य अभियुक्तगण जो घायलों में थे, को भी दिनांक 28-2-81 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।

घटना स्थल वाले गोदाम से 84 बम व एक फटा हुआ बम, पीतल के कारतूस खोखे आदि जो कि सेना से सम्बन्धित था, बरामद हुआ है। सेना के अधिकारीगण भी सूचना देने पर मौके पर आ गये। उनके द्वारा सभी बम कब्जे में कर लिये गये हैं। सेना के अधिकारीगण पूर्णरूपेण घटनास्थल की जांच कर रहे हैं और उनकी परीक्षण रिपोर्ट आना शेष है।

उपरोक्त मालिकान गोदाम सरदार सिंह व नरेन्द्र सिंह के अन्य प्रतिष्ठानों की तलाशी लेने पर दिनांक 24-2-81 को अजय मेटिल वर्क्स, मोती कटरा, आगरा से 5 बोरी, वजन 340 किलोग्राम मिलेटरी में प्रयोग आने वाले कारतूसों के खोखे जिनमें 5 कारतूस जिन्दा बरामद हुए। इस बरामदगी के सम्बन्ध में सरदार सिंह व नरेन्द्र सिंह, उपरोक्त का भतीजा शेर सिंह पुत्र आलम सिंह, निवासी मोती कटरा को गिरफ्तार कर जेल भेजवा चुका है।

दिनांक 3-3-81 को सरदार सिंह, नरेन्द्र सिंह तथा शेर सिंह जो उपरोक्त घटना से सम्बन्धित हैं, को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निरुद्ध कर दिया गया है। पूरी घटना की मजिस्टेरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

घटना स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और जनता में कोई भय आदि व्याप्त नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो वक्तव्य अभी दिया गया है इस वक्तव्य के सम्बन्ध में जो हम लोगों ने सूचना दी थी उनमें से कई तथ्यों को छिपा दिया गया है और सब बातों के अन्त में कह दिया गया है कि घटना की मैजिस्टेरियल जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी इस सूचना को सही मानकर कि वहां पर जो गोदाम बना हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी विशाल टंकी पानी की है वहां खून के छींटे भी मौजूद थे और लोगों को जिन्दा हालत में बोरों में भरकर पहुंचाया गया और उसके साथ ही साथ यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक ऐसा गिरोह जो झांसी, चंडीगढ़, दिल्ली, मद्रास और बंगलौर आदि जगहों पर राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है क्या उसके खिलाफ आप केन्द्रीय सरकार को रिफर करेंगे कि इन मामलों की जांच सी0 बी0 आई0 से कराई जाय क्योंकि मेरी जानकारी है कि वहां के जिलाधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या प्रदेश की सरकार इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से कराने के लिए केन्द्र सरकार को सन्दर्भित करने की कृपा करेगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अभी तो मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है उसके बाद तथ्य सामने आने के बाद यदि जांच आवश्यक होगी तो उसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, तथ्य तो मैंने स्वयं दे दिए हैं । सी० बी० आई० द्वारा जांच कराना न्याय के हित में है और सत्तारूढ़ दल को अपनी प्रतिष्ठा जनता में बनाये रखने के हित में है क्योंकि जब मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि उसके ऊपर राजनैतिक दबाव पड़ रहा है तो उसके द्वारा जांच कराने का क्या औचित्य है ? क्या माननीय मंत्री जी जनता के हित में, सुरक्षा के हित में, सी० बी० आई० द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, हो गया । अब आप बैठिए ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल—

मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं, जो यह कहा गया कि राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है । यह विधायकों के ऊपर आक्षेप है । मान्यवर मैं यह मानता हूं कि यह बहुत गम्भीर घटना है लेकिन....

(व्यवधान)

(डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

डाक्टर साहब, आप बैठ जायं ।

मैंने अभी-अभी निवेदन किया था कि यह केवल वक्तव्य के लिए है और मैंने विशेष परिस्थितियों में यह कहा था कि इस पर जिन्होंने वक्तव्य के लिए कहा है उनको एक-एक प्रश्न करने के लिए अनुमति दे दूंगा । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का प्रश्न था उन्होंने स्पष्टीकरण चाहा और मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है..

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह 'कौशल'—

मेरे क्षेत्र की घटना है मुझे एक प्रश्न की इजाजत...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने प्रश्न पूछा, आपने अनुमति दी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, उसके बाद माननीय सदस्य खड़े हो गये और अपना बयान देने लगे, माननीय सदस्य बयान नहीं दे सकते थे । यह व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें एक पंक्ति और कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम ले कर मेरी बात का प्रतिवाद किया । मैंने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ दल

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

के लोगों का हाथ है और सरकार ने अपने वक्तव्य में इसको डिनाई नहीं किया। इसके मतलब है कि शासन स्वीकार करता है कि सत्तारूढ़ दल के एम० पी० का हाथ था माननीय सदस्य के कहने से कुछ नहीं होता..

श्री भीखा लाल--

मामला गंभीर है..

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आपके माध्यम से मैं आदरणीय सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई जानकारी और न किसी प्रकार की कोई वहां की स्थानीय शिकायत आई है कि सत्तारूढ़ दल या किसी माननीय सदस्य का जो इन्हीं की तरफ से आते हैं उसमें कोई प्रभाव नहीं हो रहा है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, एक प्रश्न करने की इजाजत दे दें। मेरे क्षेत्र का मामला है..

श्री अध्यक्ष--

फिर आपने कहा इजाजत दे दें। तो जब आपके क्षेत्र का मामला था तो नोटिस दे देते..

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

आरोप लगाया गया है, मुझे एक प्रश्न करने की इजाजत दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मेरी दिक्कत सुन लें। मैं आपको बता दूं। यह केवल वक्तव्य के लिए आया, जिसने पूछा उस का प्रश्न हो गया, इसके बाद माननीय ओम प्रकाश जिन्दल बोल गये, उसका उत्तर हो गया। अब आप बोलेंगे। एक प्रश्न आप भी करेंगे, डाक्टर साहब आप तो कम से कम सोचिये..

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

बड़ा अहम मसला है श्रीमन्..

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार से तो बहस की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की बात हो जायगी। संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते हैं तो अगला प्रश्न एजेन्डे से हटा दीजिए, आप पूछिये..

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

वक्तव्य में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जो बम पकड़ा गया वह मिलिटरी ने अपने कब्जे में ले लिया, उनकी परीक्षण रिपोर्ट आनी शेष है। मेरे दो प्रश्न हैं। जो हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्य ने आरोप लगाया कि इसमें सत्तारूढ़ दल के सांसद का हाथ है इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा। श्रीमन्, 4 मार्च के अमर उजाला में वहां के जिलाधिकारी का वक्तव्य छपा और उन्होंने कहा कि 84 बोरों में बम पकड़े गये अभी नहीं कहा जा सकता। इतना बताया

जा सकता है कि ये टैंकों को उड़ाने के काम आते हैं। इनमें कुछ जीवित हैं या प्रयोग में नहीं लिये गये हैं। उसी के आगे लिखा है वक्तव्य के कि यद्यपि प्रशासन पर अभियुक्तों के प्रति (व्यवधान) बरतने की सिफारिश की जा रही है, तरह-तरह के दबाव डाल रहे हैं। प्रशासन कांड से संबंधित बड़े से बड़े व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में कसर नहीं छोड़ेगा।

श्रीमन्, इस बयान को मद्देनजर रखते हुए और मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ रहा है और अभी तक मिलिटरी की रिपोर्ट नहीं आई कि बम जिन्दा थे या फ्यूज थे, दोनों मामलों में जिलाधिकारी ने जो वक्तव्य दिया है वह गैर जिम्मेदाराना है। क्या इस वक्तव्य के संदर्भ में जिलाधिकारी का जवाब तलब करायेंगे कि उन्होंने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दिया? श्रीमन्, मैं यह भी पूछ रहा हूं कि माननीय सांसद कांग्रेस (आई) ने 2 मार्च को एक पत्र क्या माननीय मुख्य मंत्री जी और एक पत्र केन्द्रीय गृह मंत्री जी को सम्बोधित किया है, उनको प्राप्त हुआ, जिसमें निवेदन किया गया है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि इस घटनाक्रम के अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय, उनको न छोड़ा जाय। इन दोनों प्रश्नों का माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे?

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में यह प्रश्न आया था और मैंने केवल वक्तव्य के लिये उसे स्वीकार किया था। इस पर स्पष्टीकरण भी हुई है उसके बाद भी सन्तोष न तो विरोधी दल के सदस्यों को दिखाई पड़ रहा है और न शासक दल के सदस्यों में दिखाई पड़ रहा है। इसलिये इस पर मैं एक घन्टे की चर्चा स्वीकार कर रहा हूं। आप समय बता दें कि कब चर्चा हो।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री निर्मल कुमार--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिये इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 18 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खन्ड (झ) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिये इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 18 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खन्ड (झ) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

(1 बजकर 22 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

आज कार्य स्थगन की कुल 7 सूचनायें आयी थीं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा इसी तरह की दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह की थी, जो दिनांक 12-3-81 को मेरठ जिले के मोदीनगर में मोदी मिल के गिरफ्तार मजदूरों की प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज के फलस्वरूप अनेकों महिलाओं के घायल होने के विषय में थी। तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि विगत दिनांक 11-3-81 को उरई नगर जनपद जालौन के निवासी श्री श्याम सुन्दर पुरवार को उनकी पत्नी सहित डाकुओं द्वारा अपहरित करने तथा बाद में श्री पुरवार की पत्नी को फिरौती की रकम भेजने की चेतावनी देकर छोड़ने के विषय में थी। इस प्रकार की सूचना नियम 51 में भी प्राप्त हुई है।

चौथी सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव ने दी है, जो मार्च, 1981 के दूसरे सप्ताह में इलाहाबाद महापालिका के एक इन्जीनियर द्वारा रसूलाबाद घाट स्थित अमरशहीद चन्द्र शेखर आजाद की समाधि को गिरवाने के फलस्वरूप स्वतंत्रता संग्रामियों एवं देश भक्तों में व्याप्त क्षोभ एवं असंतोष से सम्बन्धित है। यह सूचना नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी जा चुकी है।

पांचवीं सूचना श्री हुकम सिंह की है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ की स्थापना को लेकर गत 3 फरवरी से हो रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में है। यह 25-2-81 को सदन में नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई जा चुकी है और इस सम्बन्ध में अल्पसूचित तथा तारांकित प्रश्न भी हो चुके हैं।

छठी सूचना श्री माता प्रसाद पांडेय तथा श्री मसरूर जाफरी की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि दो तीन दिन पहले बस्ती शहर के कोतवाल की जीप से एक छात्र की दुर्घटना के फलस्वरूप 12 मार्च, 1981 को छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने एवं घायलों की हालत गम्भीर हो गई है।

सातवीं सूचना श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा ने दी है, जो दिनांक 30 जनवरी, 1981 को जनपद इलाहाबाद के चकबन्दी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से किसानों एवं हरिजनों के आतंकित होने के सम्बन्ध में है। नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाये जाने के बाद भी राजस्व मन्त्री से किसी प्रकार के उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत यह विषय सदन के संज्ञान में लाया जा चुका है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मोदीनगर पर वक्तव्य दिला दें। दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

सभी सूचनायें जो आ की हैं यह मैंने कार्य-स्थगन की तो अस्वीकार कर दी हैं।

(व्यवधान)

मोदीनगर के सम्बन्ध में सुन लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता हूं कि मोदीनगर में मजदूरों पर मिल मालिकों के द्वारा जो जघन्य अत्याचार हो रहे हैं उसकी चर्चा हो चुकी है वहां परिस्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी और माननीय पाठक जी ने भी कहा था कि वहां के पूंजीपतियों को जेल जाना पड़ेगा लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। अनशनकारी मजदूरों को रोटी मांगने पर उन्हें जेल भेज दिया गया और उनकी निरीह पत्नियां जिनके पतियों को जेल भेज दिया गया उनके घरों में खाने को नहीं है, वह महिलायें घरों से बाहर निकल आयी थीं कि हमारे पतियों को छोड़ दिया जाय समझौता हो या न हो। लेकिन उनकी बात सुनना तो दूर रहा इस सरकार की बर्बर पुलिस ने उनको लाठियों से रौंध डाला उनमें से कितनी ही महिलायें घायल हो गयीं। यदि लाठी चार्ज होता है और उसमें महिलायें मारी जायं तो इससे ज्यादा और कौन सी कार्य-स्थगन की महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। कार्य-स्थगन में इसलिए कहता हूं कि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव द्वारा हम संसदीय व्यवस्था में ऐसी गंभीर घटनाओं के प्रति सरकार के खिलाफ बात उठा सकते हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, 10 तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री जी से और माननीय श्रम मन्त्री जी से वहां के श्रमिक मजदूर नेता मिले थे यहां से वह लोग बातचीत करके एवार्ड लेकर वहां जाते हैं लेकिन वहां जाने पर 11 तारीख को उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। वहां की महिला संघर्ष समिति ने अनशन की एक पूर्व सूचना दी थी। लोकतांत्रिक पद्धति में सत्याग्रह और अनशन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है तो वहां एक शांतिपूर्वक महिलाओं का जलूस निकला लेकिन वहां की बर्बर और जघन्य पुलिस ने करीब एक सौ महिलाओं को बुरी तरह से मारा, 50 महिलाओं के बुरी तरह कपड़े फाड़ दिये गये उनमें से 20 की हालत गंभीर है और वह अस्पताल में हैं तो इस तरह से मजदूरों का दमन वहां हो रहा है। कई महीनों से मजदूरों का आंदोलन चल रहा है और आज भी करीब 150 मजदूर जेलों में बन्द हैं। इसलिए मैं चाहता हूं और आपकी सीमाओं को जानता हूं आप कार्य-स्थगन स्वीकार न करें तो निश्चित रूप से यह वक्तव्य का विषय बनता है। वहां का पुलिस स्टेशन आफिसर जो वह मोदी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और मजदूरों को झूठे मुकदमों में फंसा कर उनको परेशान कर रहा है और उत्पीड़न कर रहा है। अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो हम इस सरकार के मजदूर विरोधी रवैये को प्रकाश में नहीं ला सकेंगे। इसलिए प्रार्थना है कि इस पर वक्तव्य ही दिलवा दें अगर कार्य-स्थगन स्वीकार नहीं करते हैं, तो।

(व्यवधान)

*श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ का मामला इस सदन में पहले भी उठ चुका है जिस पर थोड़ी सी चर्चा भी हुई लेकिन उसके बाद 17 जिलों में वकीलों ने अदालतों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह--]

बहिष्कार किया है । वहां के विद्यार्थियों ने निर्णय लिया है कि वह इम्तहान नहीं देंगे, 16 तारीख से तमाम जिलों में बन्द का आह्वान किया गया है आगे रेलगाड़ियां बन्द रहेंगी, रोडवेज की बसें भी बन्द रहेंगे, सरकारी संस्थान और गैर सरकारी संस्थान भी बन्द रहेंगे । लेकिन इस लंगड़ी और बहरी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती है जब तक कि ब्लडरौड न हो जाय । मेरा आग्रह है कि इस सरकार की नीति से उन तमाम 17 जिलों में आग लगने वाली है और यह मांग फिर खंड पीठ तक ही सीमित नहीं रहेगी । वहां यह बात उठने लगी है और जल्दी ही वह मांग हो जायेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग सूबा बनाया जाय । तो मेरा आग्रह है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आप सरकार को बाध्य करें कि वह इस पर कोई न कोई वक्तव्य दें ।

श्री मशरूर जाफरी--

श्रीमन्, बस्ती के कोतवाल की जीप से एक दुर्घटना हुई । एक तरफ तो दुर्घटना हुई, दूसरी तरफ 12 मार्च, 1981 को रोडवेज बस स्टेशन पर जिस समय छात्र मौजूद थे, तो पुलिस ने वह बर्बर लाठी-चार्ज किया, जिसकी सीमा नहीं है । हालत यह है कि रास्ता चलने वालों को मारा गया, बच्चों और महिलाओं को मारा गया । सबके सब अस्पताल में हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम सरकार से आप बयान तो दिलवा दें, यह कबतक उनको पीटते रहें....।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाएं, आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

मुझे बड़ी तकलीफ के साथ यह सूचना देनी है कि आपके प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में बैठे चकबन्दी के अधिकारियों की जानकारी में इलाहाबाद में विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है । दिसम्बर महीने से विभाग को जानकारी है, 113 मामले फर्जी इन्दराज के पकड़े गये हैं....।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 301 में आ चुका है, आप इस पर फिर क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप सभी की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं ?

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व-लेखा), अनुदान संख्या 69--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 104--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 105--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

(1 बजकर 31 मिनट)

*सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा), अनुदान संख्या 69--सिंचाई अधिष्ठान अनुदान संख्या 104--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 105---बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,26,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,18,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 1 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री रियासत हुसैन--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इसी से सम्बन्धित मन्त्री जी 1981-82 की अनुदान मांगों पर मांग कर रहे हैं, तो इससे पहले हम चाहेंगे कि पिछला बजट जो 31 मार्च तक के लिए खर्च होने के लिए मंजूर था, वह क्या सिंचाई विभाग में खर्च हो चुका है या कुछ बचा है तो आप उस पर क्या मांग रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यदि किसी दूसरे ने यह किया होता तो मुझे कुछ कहना नहीं था, लेकिन आप जैसे सदस्य जानना चाहते हैं तो क्या यह व्यवस्था का कोई प्रश्न है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा तथा राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 104--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,45,34,05,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिस से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 105-सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,75,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जैसा आपको विदित है उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है । यहां पर 78 फीसदी आबादी कृषि से सम्बन्धित है और खेती करती है अथवा खेती सम्बन्धी कार्यों में लगी रहती है । हमारी इकोनामी एकमात्र कृषि है और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि की बहुत आवश्यकता है । जहां पर हम सिंचाई की बहुत सुविधा कर पाते हैं और वहां पर अन्न की पैदावार बहुत होती

[श्री वीरबहादुर सिंह—]

है लेकिन जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर सूखे का प्रकोप रहता है जिससे तरह-तरह की परेशानियां होती हैं। हमारे प्रदेश के 174 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है। उसमें केवल 98 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा हमने कर दी है। हमको सिंचाई की और सुविधायें प्रदान करनी हैं। हमने अपनी 81-82 की योजना में 175 करोड़ रुपये का प्राविजन किया है जिसको हम मध्यम सिंचाई योजना पर खर्च करेंगे और इसी प्रकार माइनर इरीगेशन पर हम 51.53 लाख रुपया खर्च करेंगे। इस तरह हम रेशनल इरीगेशन कर देंगे और करीब साढ़े 4 लाख हेक्टेयर जमीन में हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। छठीं पंचवर्षीय योजना में हम 1050 करोड़ रुपये वृहद् योजनाओं पर रख रहे हैं और 264 करोड़ रुपया माइनर इरीगेशन पर रख रहे हैं। इससे हम 20.15 लाख हेक्टेयर भूमि में इरीगेशन बढ़ा पायेंगे इस तरह से हम सिंचाई की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि जिन क्षेत्रों में असंतुलन ज्यादा है उसको दूर कर सकें।

बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुविधायें कम हैं उनको हम ज्यादा सुविधायें देना चाहते हैं और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने यह प्रयास किया है कि ये असुविधायें कैसे दूर हों। इसके लिए हमने तमाम योजनायें बनाई हैं और उन पर कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बुन्देलखंड काफी पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर पानी की कमी रहती है उस कमी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। चिल्ली मल पम्प नहर, औशासी पम्प नहर, यमुना नदी पर, राजघाट नहर बेतवा नदी पर शहजाद बांध ललितपुर में और मौदहा बांध हमीरपुर में ये 5 योजनायें हमारी हैं जिससे सिंचाई क्षमता हम बढ़ा सकेंगे। सिंजर बांध, लखेरी बांध, पथरई बांध, कुरार बांध और चिल्ली मरानी से सिंचाई व्यवस्था को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पम्पस कैनाल की क्षमता को बढ़ा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक सिंचाई मुहइया की जा सके और सूखे एरिया में सिंचाई की कमी को पूरा किया जा सके। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में भी हम सिंचाई में बहुत पीछे हैं। उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। वहां पर 1452 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि क्षेत्र है। इसमें से 7.12 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और उसमें से 1 लाख 35 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था कर दी है। इसी तरह के पिथौरागढ़ 2278 हेक्टेयर भूमि में सुविधा दे पाये हैं। नैनीताल में 1,15,765 पौड़ी में 6,357, चमोली में 2024, देहरादून में 23,737, टेहरी में 16,100 तथा उत्तरकाशी में 2200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। जमरानी बांध वहां बन रहा है और इससे 95 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को फायदा होगा। इससे नैनीताल, रामपुर और बरेली क्षेत्रों की सिंचाई हो सकेगी। राम गंगा से और चौखटिया से कोसी सिंचाई योजना के अन्तगत जिसकी लागत 61.25 करोड़ होगी, काफी क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। इस तरह से कर रहे हैं और यह भी कर रहे हैं कि पहाड़ों में हमारे जूनियर इन्जीनियर काम नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए हमने यह भी किया है कि जो वहां पर जायं अधिकतर वे पहाड़ के ही रहने वाले हों। जो जूनियर इन्जीनियर होना चाहेंगे उनको हमने 10 प्रतिशत की छूट भी दी है ताकि वे वहां पर जाकर काम करें।

इसके साथ-साथ जो हमारी योजनायें हैं वे बड़ी-बड़ी योजनायें हैं। एक राम गंगा योजना है जो 170.82 करोड़ रुपये की लागत से बनी है उससे हम 5.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकेंगे और उससे ही 198 मेगावाट बिजली भी पैदा कर सकेंगे। इसी प्रकार से टेहरी बांध की योजना भी 827.30 करोड़ रुपये की लागत से बनायी गयी है। उसके द्वारा 2.70 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र

सिंचित होगा तथा 14.16 लाख अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि ऊपरी गंगा निचली व आगरा नहर प्रणाली के लिए अतिरिक्त जल प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उससे 1000 मेगावाट बिजली और बाद में 2,000 मेगावाट पैदा हो सकेगी।

जहां समानान्तर निचली गंगा नहर का सम्बन्ध है वह 49.42 करोड़ रुपये की लागत से बनायी जा रही है जिसमें 10,000 हेक्टेयर सिंचाई होगी, और उससे एटा फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, फतेहपुर और इलाहाबाद को फायदा होगा।

मध्य गंगा नहर 66.1 करोड़ रुपये की लागत से बनायी जा रही है जिससे 1,78,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद और बुलन्दशहर जिलों को फायदा होगा।

एक कोटली व हेल, लखवार—व्यासी योजना भी चलायी जा रही है जिसमें 228.48 करोड़ रुपये की लागत होगी जिससे 49,570 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है और इस पर 425 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा जिससे पूर्वी जमुना नहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद को पानी उपलब्ध हो सकेगा।

हमारी एक किशाऊ की योजना है जिसमें 459.84 करोड़ रुपये लगने के अनुमान हैं। इससे 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, और 2.7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी इससे सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और पूर्वी जमुना नहर को पानी मिलेगा। इस पर हिमांचल प्रदेश वालों से बात भी हो गयी है और मसला तय भी हो गया है। हमने इस प्रयोजना पर कार्य भी आरम्भ कर दिया है।

शारदा सहायक की हमारी जो योजना है उस पर 314.85 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इससे 15.82 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे पूर्व के 14 जिलों को फायदा होगा। यह 1982 तक पूरी हो जायेगी लेकिन जहां पर जमीन लेने में दिक्कत हो रही है, वहां पर देर हो रही है।

जहां तक सरयू नहर का सम्बन्ध है वह 299 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। इससे 14.04 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इससे बहराइच, गोंडा, बस्ती और कुछ हिस्सा गोरखपुर का भी है। इस पर काम बड़ी तेजी से हो रहा है और छठी पंचवर्षीय योजना तक तैयार हो जायेगा। उसी प्रकार से हम और भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी कर रहे हैं कि जो हमारी नदियां हैं, उनके पानी को संचित कर सकें। हमें जितनी हमारी बड़ी—बड़ी नदियां हैं जैसे शारदा है, गंगा है, घाघरा है, यमुना है जिन पर हम बांध बना सकते हैं, उन पर बनायें जायेंगे। हमे बुन्देलखंड में भी बांध बनाने पड़ेंगे ताकि पानी को इकट्ठा करके हम नहरों में पानी दे सकें और अधिकाधिक सिंचाई कर सकें। साथ ही साथ जहां नहरों से पानी नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर हम ट्यूबवेल्स का निर्माण करा रहे हैं और इस कार्य में बहुत तेजी कर रहे हैं ताकि जहां पर न लिफ्ट इरीगेशन से पानी पहुंचा सकते हैं और न नहरों से वहां पर भी हम सिंचाई कर सकें। कहीं—कहीं पर खारा पानी मिलता है वहां के लिए हम

[वीर बहादुर सिंह--]

विचार कर रहे हैं क्योंकि वहां पर नलकूप भी नहीं लगा सकते हैं। सिंचाई उससे नहीं हो सकती। वहां के लिए हम सोच रहे हैं कि हम क्या व्यवस्था करें ताकि पानी की समस्या हल हो सके। जो हमारी योजना है उसके अन्तर्गत करीब 51-52 करोड़ रुपया हम नलकूपों पर खर्च करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जल निगम के भी बहुत से नलकूप लगेंगे। 2 हजार नलकूप हम प्रतिवर्ष लगाना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि जहां-जहां हम सुविधायें नहीं दे पाये हैं वहां हम पानी की सुविधायें दें। बिना सिंचाई के प्रदेश की गरीबी मिटाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। जो हमारी नदियां तथा पहाड़ हैं, यही हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे पास अभी उतने साधन नहीं हैं कि हम उनका पूरा-पूरा उपयोग कर सकें।

हम चाहते हैं कि हमारे जो टेहरी बांध तथा अन्य बड़े-बड़े बांध हैं उनसे हम अधिक से अधिक बिजली पैदा कर सकें। वे नेपाल सरकार से पंचेश्वर बांध के लिये भी हमारी बातचीत चल रही है और उसके सर्वे का काम हो रहा है।

इसके लिए भारत सरकार तथा नेपाल सरकार से बात पूरी हो चुकी है। भारत सरकार से सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपया हमको मिला भी है। करनाली बांध के बारे में हमारे देश के अधिकारियों और नेपाल सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है और वे इसके लिए भी सहमत हो गये हैं। काम शुरू करने की बात चल रही है। इसी तरह से और भी बांध हैं जिनकी योजना हमारे सामने है। इनके पूरा होने पर काफी बिजली हमारे यहां पैदा होने लगेगी। आज बिजली की बहुत कमी है। हमारे नलकूपों को 6-8 घंटे ही बिजली मिल पाती है। बड़ी-बड़ी नदियों से इतनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी कि हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली देने की स्थिति में हो जायेंगे। करीब 16 हजार मेघावाट बिजली हमको पहाड़ों से, नदियों और रेजवीयर्स से, टनल बनाकर प्राप्त हो सकेगी। प्रश्न साधनों का है। साधन हमारे सीमित हैं, इसलिये जितनी जल्दी हम अपना काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। हमारा प्रयास है कि हम अपने कामों में सफल हों।

मान्यवर, आज जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है और उसके साथ गरीबी भी बढ़ रही है, उसको हल करने के लिए यही एक उपाय है कि हमारे यहां सिंचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध हों। इस वर्ष काफी सिंचाई का क्षेत्र हमारा बढ़ा है, नहरों में काफी पानी अब के साल किसानों के लिए दिया गया है। किसानों की शिकायतें भी इस साल बहुत कम मिली हैं। बुन्देलखंड के बारे में कुछ दिक्कतें अवश्य हैं और उसके लिये भी हमने कुछ निर्णय लिए हैं और हम व्यवस्था कर रहे हैं। उस क्षेत्र के लिए भी नहरों में पानी कल से छोड़ा जा रहा है, 15 तारीख से वहां पानी मिलने लगेगा।

माननीय सदस्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। उनकी जांच के लिए हमने 3 आदमियों की एक कमेटी भी बना दी है जिसमें दो चीफ इन्जीनियर तथा एक टेहरी के सचिव होंगे। जिन लोगों की लापरवाही पायी जायेगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जायेगी। वे हर शिकायत की जांच करेंगे और देखेंगे कि भविष्य में वैसी चीज फिर न हो।

जो हमारा भूगर्भ जल है, हम चाहते हैं उसका भी हम अधिक से अधिक उपयोग करें। नहरें चलने से वाटर लेबिल बढ़ता जा रहा है, हम अगर वहां

नलकूप लगाकर वाटर लेबिल को नीचे नहीं करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या होगी । तो हमने गंडक कमांड एरिया में 250 नलकूप लगाने का काम शुरू कर दिया है । दूसरी बात हमने यह की है कि 5 से 8 हेक्टेयर गूलों का निर्माण जो सरकार ने किया है, यह सरकार खर्च इसका वहन करेगी । कुलावे की बाराबंदी की जायगी । पहले कुलावे ऐसे होते थे कि जिससे पानी का नुकसान होता था, उससे किसानों को काफी राहत मिलेगी । हमारा विभाग इतना बड़ा हो गया है, हम जब तक इसका पुनर्गठन नहीं करते हैं, तथा उस पर जिस तरह से हम चाहते हैं कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से देखभाल नहीं हो सकती है, उसका सही ढंग से अगर मूल्यांकन नहीं होता है, तो उसमें शिकायत का तथा अपव्यय का भी डर रहता है और कन्ट्रोल भी नहीं होता है । जितना साधन है, उससे हम ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा उठा सकें, उसके लिए हमने यह सोचा है कि इसका पुनर्गठन किया जाय । हम बराबर मानीटरी हर प्रोजेक्ट का करते हैं, कितना उस पर पानी खर्च किया गया है, उसका ठीक प्रकार से उपयोग हुआ है । माननीय रियासत हुसैन ने जो सवाल उठाया, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हर महीने का टारगेट फिक्स्ड है, किस महीने में कितना काम हुआ है, काम हुआ है या नहीं हुआ है । मंत्री स्तर पर मैं खुद हर महीने मानीटरी करता हूं । असिस्टेन्ट इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर आदि लोग मानीटरी करते हैं । इस तरह से शिकायत का मौका नहीं मिलता है । अनुशासन इसमें बढ़ाने के लिए हर तरह से प्रयास किया गया है कि विभाग में अनुशासन कायम हो । विभाग में जो गैर जिम्मेदारी का काम करता है या भ्रष्टाचार करता है, यहां पर किसी प्रकार से किसी को कोई छूट नहीं है । जो भी व्यक्ति की शिकायत आई है, एक भी आदमी को बक्शा नहीं है । एक भी आदमी को किसी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । जिस तरह से हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हम हर तरह से तैयार हैं । माननीय सदस्य जो यहां पर सुझाव देंगे और पहले जो सुझाव दिये थे, उसको हम पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके बाद किसी दिन 1-1, 2-2 डिवीजन के विभाग के सारे अधिकारी रहेंगे बैठकर विचार-विमर्श करेंगे कि योजना ठीक है या नहीं है या कौन सी नई योजनायें ली जा सकती हैं । इन सब के बारे में जब तक हम बैठ कर मनन नहीं करेंगे, तब तक ठीक काम नहीं हो पायेगा । माननीय सदस्य के जो सुझाव हैं, उसको यहां पर देखूंगा । मैं इतना चाहता हूं कि जो हमने यह अनुदान पेश किया है, आप उस पर अपना सुझाव देंगे, ताकि उसको हम ज्यादा से ज्यादा कारगर कर सकें ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर

[श्री शंकर सिंह—]

दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, सिंचाई मन्त्री जी ने अभी सिंचाई बजट पेश किया । मैं कटौती का प्रस्ताव जब पेश कर रहा था तो पहला भय तो यही था कि जब 1 रु0 की कटौती की बात कहता हूं तो उस पर हमारे विरोधी मित्रों को अक्सर एतराज हो जाया करता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

आपके विरोधी मित्र कौन हैं ।

श्री शंकर सिंह—

एक तो आप ही हैं । आप दुश्मन तो नहीं हैं मेरे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

अच्छा, हम समझे कि वे जो आपके बगल में बैठे हैं ।

श्री शंकर सिंह—

हमारे साथी ऊदल जी ने संसदीय परम्पराओं द्वारा भी समझाने का प्रयास किया.....।

श्री ऊदल—

अभी और समझायेंगे ।

श्री शंकर सिंह—

अपनी भाषा में तो हम यही समझा सकते हैं कि देहात में जब कोई लड़का नालायक निकल जाता है, उसकी आदत खराब पड़ जाती है, तब अगर वह किसी पुनीत कार्य के लिये भी पैसा मांगता है, तो भी बाप उसे पैसा नहीं देता । हम लोग घबराये हुए हैं कि जो भी पैसा इनके हाथ में जायगा, उसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा ।

मान्यवर, यों तो बड़ा प्रचार होता है इस बात का कि किसानों की हालत सुधारने के लिये माननीय सिंचाई मन्त्री और उनकी सरकार प्रयत्नशील है । बड़ी महत्वपूर्ण योजनायें छठीं योजना में 6200 करोड़ रु0 का आपका जो बजट है, उसमें से 3,337·00 करोड़ केवल सिंचाई और बिजली के लिये सुरक्षित रखा गया है । यानी 53·83 प्रतिशत सिंचाई और बिजली के लिये सुरक्षित रखा गया है । इससे ही साबित होता है कि कितना महत्वपूर्ण है ।

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि 86 प्रतिशत जनसंख्या कृषि या कृषि से सम्बन्धित कार्यों पर लगी हुई है। 174 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि होती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिन हालतों में विभाग चल रहा है, वह ठीक से चल नहीं सकता। एक तो माननीय मन्त्री जी दो विभाग लिये बैठे हैं हालांकि उन्होंने निश्चय किया है कि विभाग का पुनर्गठन करेंगे, किस तरह से करेंगे, यह भी उनको देखना होगा। तो जब आप पुनर्गठन करने लगें तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें, हालांकि आपकी काबलियत में कोई शक नहीं, लेकिन एक क्षमता की हद भी तो होती है, आप चाहें सिंचाई और परिवहन दोनों अपने हाथ में रखें, नहीं चल सकता। दो घोड़े का सवार वैसे ही खतरनाक होता है। आप चाहें अितने अच्छे घुड़सवार हों 2 घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते।

मैं दो बातें कहना चाहता हूं—एक तो आप सिंचाई विभाग को अपने हाथ में रखिये और नम्बर दो, अपने विभाग का पुनर्गठन करने से पहले सोचें आप नीचे से तो शुरु करेंगे नहीं, क्या अधिकारी आपके इस कार्य में सहयोग करने के लिये तैयार हैं। तो मान्यवर, आप जब पुनर्गठन करें तो कम से कम इतना जरूर करें कि आपके जो मुख्य अभियंता हैं, जिन को इक्सटेंशन दे रखा है, छुट्टी कर दें आप नये मुख्य अभियन्ता नियुक्त नहीं कर सके इसलिये कि आपस में कुछ खींचातानी है। आपके और केन्द्रीय प्लानिंग मिनिस्टर में, कौन किस बिरादरी का मुख्य अभियन्ता हो। तो इस आधार पर पुनर्गठन होगा तो काम चलने वाला नहीं है कृषि मंत्री, श्री बलराम सिंह ने ठीक बात कही है कि इस वर्ष विकलांग वर्ष मनाया जा रहा है, तो इस विकलांग वर्ष को किसान विकलांग वर्ष कर दिया है, उन्होंने ठीक पहचान किया है। लेकिन आपने कहा कि किसान वहां इंदिरा जहां, ऐसा हो तो हर गली में इस्तहार है कि लाईफब्वाय है जहां तन्दुरुस्ती है वहां, जबकि ऐसा नहीं है अभी तक सबकी तन्दुरुस्ती बन चुकी होती इसलिये कृषि मंत्री जी ने किसान को ठीक पहचाना है।

मान्यवर, छठीं योजना को देखें तो उसमें 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आप करेंगे। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश की विकास दर 2·2 प्रतिशत, पंजाब की 4·7, महाराष्ट्र की 3·4, हरियाना की 5·3 प्रतिशत है। इस प्रकार जितने प्रान्त हैं वह सभी उत्तर प्रदेश से ऊपर हैं केवल बिहार आपके बराबर है जिसको ऊपर उठाना है। साइन्टिफिक युग में सघन खेती होनी चाहिये और उसमें सरकारें सहायता करें और किसान को पूंजी दें। लेकिन सारी योजनायें बेकार हैं क्योंकि आप किसान को समय से पानी तक नहीं दे सकते हैं।

मान्यवर, आप बताते हैं कि पानी की सिंचन क्षमता 97 लाख हेक्टेयर हो गयी है। जबकि मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 91·17 लाख हेक्टयर की सिंचन क्षमता आपकी है। लेकिन वास्तविक सिंचाई 53·65 लाख हेक्टयर की हुई है। पिछड़े क्षेत्रों में केवल 30 प्रतिशत हुई। मान्यवर, आपके माध्यम से आपकी अब जो क्षमता है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब क्षमता के माने हैं कि खेत में जब पानी की आवश्यकता हो तब पहुंचे लेकिन आज यह है कि किसान को आवश्यकता पानी की आज है किन्तु वह दो महीने

[श्री शंकर सिंह—]

बाद पहुंचता है । अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर में पानी मिलता नहीं किन्तु फरवरी में पानी पहुंच जाता है, फसल सड़ाने के लिये, और किसान को पूरी आबपासी देनी पड़ती है । इसलिये आपकी सिंचाई क्षमता ठीक नहीं है । खरीफ की फसल में भले ही आप पानी दे दें जब वह बहता हो लेकिन आवश्यकता के समय आप किसानों को पानी नहीं दे पाते हैं ।

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि कितने नलकूप ऐसे हैं जो पूरे कमांड को पूरा करते हैं । उनके सहारे किसान गेहूं को बोता है लेकिन एक–दो पानी देकर किसान मारा जाता है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं थोड़े आंकड़े रखना चाहता हूं । सिंचाई की प्रगति में उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत था, पंजाब का 81 प्रतिशत और हरियाणा का 51 प्रतिशत है । जिससे विदित होता कि इसमें भी हम पीछे हैं । सिंचाई की दरें आपकी सबसे महंगी हैं ।

श्री जिया राम शुक्ल विकल साकेती—

व्यवस्था का सवाल है । माननीय सदस्य जो भी बातें कह रहे हैं वह एक भी बातें चेयर के माध्यम से नहीं कह रहे हैं । क्या ऐसा सदन में उचित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कटौती का समर्थन करते हुये चेयर को सम्बोधित किया था और तब उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किये थे ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं क्या कहूं । जो सिंचाई का रेट है उन सिंचाई के दरों को देखें । अपने उत्तर प्रदेश में सिंचाई का रेट है रुपये 67·29 की हेक्टेयर यह सन् 75 में निर्धारित हुआ दूसरे प्रान्तों में यह 74 में निर्धारित हुआ, वेस्ट बंगाल में रुपये 52·64, पंजाब में रुपये 27·07, हरियाणा में रुपये 56·44 है, मध्य प्रदेश में 49·53 रुपये है, बिहार में जो हमारा पड़ोसी प्रदेश है 58·92 रुपये है, तामिलनाडू में 23·64 रुपये है, केरला में 65 रुपये हेक्टयर है इस तरह से उत्तर प्रदेश की सिंचाई सुविधा कम से कम होते हुये सुनिश्चित सिंचाई न होते हुये सिंचाई की दरें अन्य प्रदेशों से कितनी अधिक हैं । इसी तरह आप देखें पैदावार में हम कितने पीछे हैं यहां पर हम गेहूं की पैदावार को लेते हैं 1462 के0 जी0, पंजाब में 2537 के0 जी0, हरियाणा में 2094 के0 जी0 है । सिंचाई के प्रश्न पर मैं थोड़ा से ध्यान दिलाना चाहता हूं । 1978–79 को जो सांख्यिकी विभाग की डायरी है उसमें माइनर इरीगेशन के आकड़े हैं जो उसमें सरकारी साधनों से 2586 हजार हेक्टेयर को इनकी क्षमता थी उसमें पन्द्रह सौ हजार हेक्टेयर की सिंचाई हो पाई, निजी क्षेत्र में 7 हजार 36 सौ हेक्टेयर की क्षमता थी इसका पूरा–पूरा उपयोग होगा । इस तरह आपकी जो बड़ी योजनायें हैं उसमें 5 हजार 803 थाउजेन्ड हेक्टेयर क्षमता थी । जिसमें 4677 थाउजेन्ड हेक्टेयर सिंचाई हो पायी, 1979–80 में माइनर एरीगेशन में 2666 हजार हेक्टेयर क्षमता की 15 सौ 8 हेक्टेयर हो पायी निजी क्षेत्र में 7508 सौ हजार हेक्टेयर क्षमता थी पूरी की पूरी सिंचाई हुई । इसी तरह से बड़ी योजनायें हैं उनमें

61308 हेक्टेयर थी जिसमें 46688 हेक्टेयर की सिंचाई हुई। इस तरह से इन आँकड़ों को देखने से यह सिद्ध होता है कि जितनी सिंचाई की क्षमता है उसके अनुसार उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि किसान पानी नहीं लेना चाहता है इसका एक मात्र कारण है पानी देने की अक्षमता है। लेकिन जो अपना निजी साधन करता है उसका वह सेन्ट परसेन्ट उपयोग करता है।

मान्यवर, इस बात से यह बात साफ हो जाती है कि इनको अपना काम सही करना पड़ेगा। नहरों का जो कमान्ड एरिया है पुराना है जिस समय सिंचाई के महत्व नहीं था उनका कमान्ड एरिया बहुत बड़ा कर दिया गया था। आप नलकूपों को बढ़ाते चले जा रहे हैं नलकूपों के कमान्ड एरिया को 3 सौ एकड़ से 240 एकड़ कर दिया। मेरा कहना है जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पानी का साधन नहीं है वहां नलकूपों का कमान्ड एरिया दो सौ एकड़ करिये। मान्यवर, दो एकड़ में आधा किलोमीटर तक पक्की नाली या गूलें बना दिये जाते हैं और किसानों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वे बनावें। कितना नपातुला पानी आता है वह बरबाद जाता है इसलिये मेरा कहना है कि यह नाली और पाइप लाइन सिंचाई विभाग की तरफ से पक्के बनाये जायं। जैसा कि इसको कमान्ड एरिया पूरा करवा रहा है। सिंचाई विभाग को यह नाली बनवाना चाहिये ताकि पिछड़े क्षेत्रों में पानी पहुंच सके। आपको नाली और गूले बनवाना चाहिये। नम्बर 2 बिजली का मुख्य प्रश्न है। आज 19 हजार से ऊपर नलकूप हो चुके हैं। पिछले साल करीब 1,500 नलकूप बने हैं और कहा गया है कि 1497·98 का विद्युतीकरण कर दिया गया है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि अपने जनपद के बारे में कि वहां पर कितने ही ट्यूबवेल ऐसे हैं जो दो साल से तैयार पड़े हैं लेकिन उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। केवल नक्शा बना कर आपके पास भेज दिया गया है और आपको बता दिया गया है कि इनका विद्युतीकरण हो गया है। और अगर विद्युतीकरण हो भी जाय तो क्या, जब बिजली ही नहीं आती है। माननीय सदस्य जो इधर बैठे हैं उनको भी पता है कि ट्यूबवेलों में बिजली सही नहीं आती है।

मेरा निश्चित मत है मैं मन्त्री जी से चाहूंगा केन्द्रीय सरकार भी इस पर जोर दे रही है। कल भी पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग में केन्द्रीय मन्त्री गनी साहब ने इस पर जोर दिया कि किसानों को बिजली निश्चित रूप से उसी हालत में मिलनी चाहिए जिस तरह से आवश्यक उद्योगों को दी जाती है। आप नलकूप बनाये चले जाते हैं लेकिन उससे क्या फायदा जब आप बिजली नहीं दे पाते हैं। इससे तो अच्छा है कि नलकूप न लगाये जायें और यह पैसा दूसरी जगह उद्योगों आदि पर खर्च किया जाय। लेकिन अगर आप नलकूप लगा रहे हैं तो उनको 24 घंटे बिजली दें। किसानों के दर्द को आप नहीं पहचानते हैं, उसकी चिन्ता करने वाला कोई नहीं है। इस बात पर जोर दिया जाय, नहरें कच्ची पड़ी हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में नहरों को पक्का किया जा रहा है। बुंदेलखंड में पानी जज्ब हो जाता है। आप उन नहरों को पक्का करवायें। 1/4 भाग पानी नहरों को पक्का कराने पर बच जायगा। इसी के साथ बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी नहरों के कारण ऊपर आ गया है। जालौन में माधोगढ़ में खेत जनवरी में बोये जाते हैं, वहां पर जमीन के ऊपर पानी आ जाता है। ऐसे क्षेत्रों में नहरों के किनारे नलकूप लगायें, नहरों में टेल पर पानी नहीं पहुंचता है उनसे वह

[श्री शंकर सिंह—]

भी पहुंचेगा। तो जैसे आप पूरब में सप्लीमेन्ट ट्यूबवेल बनाने जा रहे हैं उसी तरह से पश्चिम में नहरों की आवश्यकता है। तो आपको एक प्लान बना कर चलना पड़ेगा लेकिन यह जो काम है वह इसलिये नहीं हो पा रहे हैं कि आपने इस विभाग को ठीक से नहीं सम्भाला है और भ्रष्टाचार फैला है। दुनियां भर की अनियमिततायें होती हैं, जब तक उनको ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

मैं थोड़े से आंकड़े आपके माध्यम से रखूंगा। लोक लेखा समिति ने 1979–80 की रिपोर्ट में मपोली पंप नहर के बारे में कहा है, 95·93 लाख की यह योजना थी, पूरी योजना बन गयी और राजस्व का घाटा हो रहा है। जो लक्ष्य रखे गये थे उसकी पूर्ति नहीं हुई है समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि योजना गलत बनायी गयी है। जब योजना बनती है तो सही योजना तक नहीं बनती है। दूसरी पी0 ए0 सी0 की रिपोर्ट है, बाराबंकी में 11 लाख रुपये के खर्च से नहर बनायी गयी। विभाग तक की अनुमति नहीं ली गयी। जिलाधिकारी और विकास अधिकारी मना करते रहे लेकिन नहर बनायी गयी। नतीजा उसका यह हुआ कि वह 11 लाख रुपया डूब गया। घाघरा तीन मील दूर चली गयी और पैसा डूब गया। इसमें विभाग की जिम्मेदारी कोई ठहरा नहीं सकता। एक हो गया है सतर्कता विभाग, जो कोई मामला आजकल ससर्कता विभाग को सुपुर्द कर दिया जाता है वह काफी समय तक पड़ा रहता है। अधिकारी स्वयं दरख्वास्त दिया करते हैं कि मेरे मामले को सतर्कता विभाग को सौंप दिया जाय। ठीक है आप सौंप दीजिये। लेकिन सतर्कता विभाग के साथ–साथ आप विभागीय जांच क्यों बन्द करवा देते हैं। आपके विभाग में बड़े–बड़े अफसर हैं आप उनसे जांच करवायें और अगर किसी अधिकारी को आप दोषी पाते हैं तो उसको दंडित कराइये। सतर्कता विभाग की जांच के बाद वह दोषी न सिद्ध होता हो तो आप उसे छोड़ दीजिये। लेकिन सतर्कता विभाग का बहाना लेकर ढील न दी जाय। आपने बेतवा नहर के बारे में जिक्र किया है पानी देने का इसकी मुझे खुशी है। लेकिन मान्यवर, इस साल जितना बुन्देलखंड के किसानों को सरकारी अधिकारियों ने बेदर्दी से मारा है उसकी मिसाल उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकती है। दो वर्ष से वहां की जनता सूखे से पीड़ित है। लेकिन वहां अब तक कोई भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं किये गये और जब मान्यवर, पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आयी भी थी तो इन लोगों ने उसका सर्वस्व मटिया मेट कर दिया। सारी पूंजी, सारी लागत डुबो दी क्योंकि वहां पर कुछ अधिकारियों ने जा कर परचे बटवाये और इस बात का प्रचार किया कि गेहूं बोओ, हम पानी देंगे। तो उन गरीबों ने जब गेहूं इनके कहने पर बोया। लेकिन पानी उनको एक भी नहीं दिया गया। करीब आधा गेज से नहर का पानी दिया गया, बल्कि उससे भी कम। जिससे लोगों की फसल सारी की सारी चौपट हो गयी। तब लोगों ने अपने जानवर उन खेतों में छोड़ दिये हम लोग तो दो या तीन फसलें भी नहीं बोना जानते। सिर्फ उसी फसल पर आधारित थे।

मान्यवर, एक तथ्य आपके सामने आया है, उसे आप गौर से देखें। मैं पहले तो यही पूंछना चाहता हूं कि आपने जो आज घोषणा की कि हम वह बेतवा नहर चालू करने जा रहे हैं, जो दो महीने से बन्द थी, अब आप उसे चालू करने जा रहे हैं। यह दो महीने तक जो बन्द रही, और जिसके कारण अब तक फसलें नष्ट हुयी, उनका क्या होगा। वहां की जनता पानी के लिए कहती रही क्षेत्र के विधायक विभाग वालों के पास रह जाते और अगर आपके विधायक सुप्रिन्टेन्डिंग

इंजीनियर के पास जाते हैं तो उनसे पूछिये क्या वे कभी जागते हुए मिले ? और मैं माननीय मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि यह दो महीने तक नहर किस कारण बन्द रही ? कौन सी वह वजह थी, कौन सी वह मजबूरी थी, जिससे गरीब किसानों को समय से पानी नहीं दिया जा सकता था। इसके कारण बताएं। इसके साथ ही माननीय मन्त्री जी एक बात और बतायें। शेडूल नहर सुनिश्चित सिंचाई के लिए बन गयी। क्या नहर से सुनिश्चित सिंचाई होती है जिसे माननीय सिंचाई मन्त्री कृपया नोट करें। झांसी नगर में, झांसी रेलवे लाइन के पास के गांवों को पानी देने के लिये प्रति दिन 90 लाख गैलन की एक योजना बनी, जिसमें 225·66 लाख रु0 स्वायत्त शासन विभाग द्वारा खर्च किया गया। मान्यवर, यह योजना स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्वीकृत हो गयी थी और स्वीकार हो जाने के बाद तक सिंचाई विभाग के बांध माता टीला से पानी लिये जाने का प्रपोजल बना लेकिन उसकी खबर तक स्वायत्त शासन विभाग ने सिंचाई विभाग को नहीं दी।

मान्यवर, लोक लेखा समिति के प्रत्यावेदन के पृष्ठ 50 पर साफ दिया है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों से यह पूछा ही नहीं गया कि हम आपके बांध से पानी लेने जा रहे हैं। 90 लाख गैलन प्रति दिन पानी लेंगे। इसकी कोई सूचना नहीं जब उनको पता लगा कि हमारे जाने बगैर ऐसा क्यों हुआ। हमारे बांध पर योजना बन रही है और हमें इसका ज्ञान नहीं। यह सब होने के बाद उनसे समझौता हुआ। जो समिति के प्रत्यावेदन में साफ लिखा है समझौते की पहली शर्त कि सिंचाई विभाग के हितों का कोई हानि नहीं पहुंचाई जायेगी (2) अगर सिंचाई विभाग इस पर कोई कठिनाई महसूस करेगा तो स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग कोई वैकल्पिक प्रबन्ध करेंगे। और हम लोगों से कहा जाय कि हम तुमको पानी नहीं देंगे क्योंकि हमको पानी पिलाया गया है। क्या आपने खुद तकलीफ की पी0 ए0 सी0 की रिपोट देखने की, क्या इसमें स्पष्ट नहीं कहा गया है ? मैं माननीय मन्त्री जी आपसे पूंछना चाहता हूं कि क्या आप भी महसूस नहीं करते कि सिंचाई विभाग के हितों के लिए हानि नहीं हो रही है ? सिंचाई विभाग का हित होना क्या यही तक सीमित है कि आपको पूरा राजस्व मिल रहा है लेकिन किसान को क्या मिल रहा है ? किसान को मारा जा रहा है, किसान का सर्वस्व लूटा जा रहा है, आप इसको सिंचाई विभाग को हितों की हानि होनी नहीं स्वीकार करते, तो ठीक है चलने दीजिये इसी तरह।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखन्ड की सबसे बड़ी योजना पंचनद की प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है आपने यहां पर छोटे-छोटे तालाबों के नाम गिना दिये। आप को वाकई बुन्देलखंड का कोई उद्धार करना है, इटावा और मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर का कोई उद्धार करना है तो पंचनद को गम्भीरतापूर्वक चालू कराइये। आज नहीं, आज से पांच साल पहले जब यहां माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मन्त्री थे तो 1200 करोड़ की योजना बनाई गयी थी लेकिन आज तक उस पर गम्भीरतापूर्वक काम नहीं हो रहा है। योजना चलती है पर साइट पर डिवीजन नहीं है, साइट से 70 मील दूर आप इटावा में रहते हैं। इस तरह से बुन्देलखंड डिवीजन को ट्यूबवेल बनाने की योजना के सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर जब इटावा में रहेंगे तो योजना कैसे सफल होगी ? मान्यवर, इन सब बातों की ओर देख लें।

[श्री शंकर सिंह—]

मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मुजफ्फरनगर की जो योजना है हिन्डल कृष्णा, उसके लिये भारत सरकार द्वारा मेरठ और मुजफ्फरनगर का सर्वे हुआ उसमें यह हुआ कि इस क्षेत्र का पानी नीचे की ओर जा रहा है, इसलिये बांध बनाया जाय और नहरें निकाली जायं। उसके लिये मान्यवर, कृष्णा हिन्डल योजना सिंचाई के लिए मंजूर हुई। इसके लिए मंजूर किया गया कि 5 करोड़ रुपये से यह योजना चलेगी। इस योजना पर मान्यवर, 1980 तक मान्यवर, 20 लाख रुपया भी खर्च हो चुका है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि सदन में हम किसी का हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं करते। मेरी जानकारी यह है और आपके यहां भी वहां के विधायक हैं, उनसे भी जानकारी कर लें कि माननीय मंत्री जी के नजदीकी श्री विद्याभूषण मंत्री ने निजी दिलचस्पी लेकर, आपको डी० ओ० लेटर लिख कर, उस पर सारा काम बन्द करवा दिया, साल भर से वहां का काम बन्द पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन मंत्री जी के थोड़े से कुछ लोग की जमीनें बांध के अन्दर पड़ती थीं। तो मान्यवर, ऐसा कोई बांध बनाइये, जिनका पहले अच्छी तरह से सर्वे करा लीजिये कि उसके अन्दर किसी मंत्री जी की या उनके रिश्तेदारों की, या विधायकों की कोई जमीन तो नहीं आ रही है? कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है मान्यवर, जहां किसी न किसी मंत्री या विधायक की जमीन न हो या उनके रिश्तेदारों की जमीन न हो। तो फिर तो मान्यवर, ऐसी कोई योजना बनाइये कि हवा में बांध बनाये जाया करें, लेकिन मान्यवर, यह सम्भव नहीं है। हर जगह मंत्रियों के सहयोगी मिलेंगे, हर जगह विधायकों के सहयोगी मिलेंगे। इस तरह से जन उपयोगी योजना, जन हित की योजना अगर एक मंत्री के कहने से रोक दी जायेगी तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जरखेज इलाका मेरठ और मुजफ्फरनगर, उसको रेगिस्तान बनाने का षड़यंत्र रचा जायेगा तो आप इस प्रदेश का नुकसान करेंगे, यह प्रदेश कभी उठ नहीं सकेगा, यह आपकी और हमारी बात नहीं है, यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है। मान्यवर, इस पर आप गौर करें। इस तरह से मान्यवर, इनके यहां भयंकर घोटाला यह है कि 50 करोड़ रुपये की 36 सौ बड़ी-बड़ी मशीनें जंग खा रही हैं। कोई उनको देखने वाला नहीं है। 10 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं जिन पर 5 करोड़ प्रति वर्ष अवमूल्यन किया जा रहा है। क्यों इस तरह से पैसा बरबाद किया जा रहा है। बड़ी-बड़ी योजनायें, बड़ी-बड़ी मशीनें पड़ी हैं, उनकी आवश्यकता आपको है, तो फिर उनका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। आप इस तरह की बरबादी को रोकें। आपके यहां टाइम बाउण्ड पालिसी ही नहीं है। जितने भी बांध बनाये गये वे कभी समय से पूरे नहीं हुए।

जनता सरकार ने एक योजना गंगा पर बनाई थी उसके अध्ययन के लिए फण्ड अलग कर लिया गया था 80 लाख रुपये। उसमें यह था कि अध्ययन होगा, सर्वे, सर्वेक्षण किया जाये। यह चलता रहा लेकिन जब आप आये तो क्या किया, आपने उसे विभाग द्वारा न करवा कर एक फारेन फर्म को दे दिया। यही नहीं एक इंजीनियर भी अपना सौंप दिया। उसने क्या किया कि आपके विभाग में ही एक अधीक्षण अभियन्ता थे, 2,200-2,500 शायद पाते थे, उनको आपसे लेकर 6 हजार रुपये पर अपने यहां डेपूटेशन पर ले लिया और वही अधीक्षण अभियन्ता आपके, जो काम आपके विभाग का था, वही काम करने लगे। आपके विभाग में 80 हजार की बड़ी फौज है, बड़े-बड़े इंजीनियर हैं, फिर क्या

कारण है कि उन्होंने आपके ही अभियन्ता को ले लिया। केवल खाने-पीने का ही एक जरिया है, उसके लिए साधन बनाये गये वरना आपके इंजीनियर को 2,200-2,500 लेकर भी घाटा हो रहा था तो 6 हजार रुपये महीने पर डेपूटेशन पर चले गये। इतना ही नहीं और लोगों को भी डेपूटेशन पर लिया है। इसका सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि इससे गोपनीयता भंग होगी...

श्री उपाध्यक्ष--

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री शंकर सिंह--

थोड़े में समाप्त कर दूंगा। 3 बजे तक समाप्त कर दूंगा।

एक सदस्य--

इनको 5 बजे तक बोलने दीजिए।

श्री शंकर सिंह--

तो आप यह देख लें, इस तरह की जो चीजें हैं, धांधलेगर्दियां हैं, अनियमितताये हैं, उनको रोकें। एक बात और कहना चाहता हूं कि टाइम बाउण्ड प्रोग्राम की। अभी 3-4 दिन पहले श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने एक प्रश्न किया था कि विदेशों में जहां कहीं बांध बनाये जाते हैं वहां पहले सर्वे, सर्वेक्षण करा लिया जाता है, धन की स्वीकृति ले ली जाती है और जो कुछ काम होता है वह पहले करा लिया जाता है लेकिन जब काम शुरू होता है तो 3 साल में ही समाप्त कर देते हैं। यहां ऐसा क्यों नहीं है ? यहां योजना बनती है, सर्वेक्षण भी चलता रहता है, इस्टीमेस्ट भी रिवाइज होता रहता है और उनके दौरान योजना ही बन्द हो जाती है। हिन्दुस्तान में 150 प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं जिनमें आपके भी 23 प्रोजेक्ट यू० पी० के हैं। मान्यवर, इसमें राम गंगा पर 1965 में कार्य शुरू हुआ, 1969 में पूरा होना था, 1981-82 में सम्भावना है लेकिन कितना पूरा हुआ है ? 63.9 करोड़ की योजना थी, 170 करोड़ के लगभग खर्च हो चुका है। शारदा सहायक 1968-69 में शुरू हो गई थी। 1982 में इसे पूरा होना था। 99 करोड़ के लगभग आगणन था, 314 करोड़ के आस-पास इस पर खर्च हो चुका है। मान्यवर, इसी तरह से रामगंगा में 1974-75 में काम शुरू हुआ, 1980 में समाप्त होना था लेकिन 1984-85 तक चलेगा। इसी तरह राजघाट बुन्देलखण्ड में 1974-75 में शुरू होकर 1980 में समाप्त होना था लेकिन वह अभी शुरू हुआ है और पता नहीं 1984-85 या कब तक समाप्त होगा। इस तरह से साफ जाहिर होता है कि जितनी आपकी बड़ी-बड़ी योजनायें हैं उनमें आप समय से काम नहीं करा पा रहे हैं।

(2 बजकर 39 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शंकर सिंह जी, अभी आप बाद में जवाब देने भी उठेंगे तब कुछ कह लीजियेगा। आप 35 मिनट बोल चुके।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, 10 मिनट का समय और दे दीजिये ।

मान्यवर, मैं दो प्रश्न रख दूं । एक तो किसानों के तावान के सम्बन्ध में कह दूं । किसान को पानी मिलता नहीं । आपकी जो कुलाबें स्वीकृत हैं वह कुलाबें नहीं मिलेंगे, आपकी नहरें खुदी नहीं तो किसान कहां से पानी लेगा । किसान पानी लेता है तो उस पर तावान लग जाता है । दूसरी बात जो आपका पैसा है, आप नहरों की सफाई के लिए देते हैं, वह नहरों की सफाई वगैरह तो कभी होती नहीं है और जब किसान जेड़ लगाता है तो आप तावान लगवा देते हैं । आप यह तावान समाप्त करवा दीजिये । दूसरी बात नलकूपों के सम्बन्ध में है । आपके जो नलकूप हैं, नलकूपों में कहीं नहीं लगे हैं और इनके लिए ट्रेण्ड आपरेटर्स की जरूरत होती है । ट्रेण्ड आपरेटर्स आपके पास नहीं हैं, जो आपरेटर्स हैं वह किसी किसान से पैसा लेकर उसको चाभी दे देते हैं और कह देते हैं कि दरवाजा बन्द करके चले जाओ । बिजली का यह हाल है कि कभी आ रही है और कभी जा रही है उसका नतीजा यह होता है कि मीटर आये दिन जलते रहते हैं तो घाटे में उन नलकूपों को चलाने से कोई फायदा नहीं है । अगर आप वाकई उसको चलाना चाहते हैं तो गांवों में तमाम स्नातक और ग्रेजुएट पड़ा हुआ है उनको आप कान्ट्रैक्ट पर दे दीजिए और जब उसको कुछ लाभ होगा तो वे उसकी देखभाल करेंगे, 24 घंटे वहां रहेंगे और उसको जलने भी नहीं देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप विराजें ।

*श्री शेर बहादुर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने सिंचाई जैसे प्रमुख विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया । माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और यह भी उम्मीद करता हूं कि आपने जो अपनी भावनायें व्यक्त किया है, आपके जो विचार हैं, प्रोग्राम हैं उन प्रोग्रामों को निश्चय ही आप पूरा करेंगे । भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए सिंचाई अत्यन्त ही आवश्यक है । सिंचाई कृषि का प्राण है । सिंचाई इस देश के लिए अत्यन्त ही आवश्यक है लेकिन मैं ऐसे क्षेत्र से चुन करके आया हूं जहां पर सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । पिछले तीन सालों से जनता पार्टी के शासनकाल में तो यह व्यवस्था अत्यन्त अस्त-व्यस्त थी । हमारी श्रीमती इंदिरा की लोकतंत्रीय सरकार आई तब से कुछ सिंचाई की व्यवस्था में तरक्की हुई और माननीय सिंचाई मंत्री की व्यवस्था ठीक-ठाक चल रही है ।

हमारे यहां सिंचाई व्यवस्था की अत्यन्त ही असुविधा है । वह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । यहां न नलकूप की व्यवस्था है न नहरों की व्यवस्था है । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं और चाहता हूं कि वह आश्वासन दें कि उस फैजाबाद क्षेत्र के जिले के लिए यह सिंचाई की विशेष व्यवस्था रखेंगे । हमारे यहां जो माइनर्स खोदी जा रही हैं उनके लिए यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारियों की सबसे बड़ी कमी है कि एक बार इस तरफ से पैमाइश करके माइनर खोदी जाती है और दूसरी बार दूसरी तरफ से। इस प्रकार काश्तकार के पैसों का सौदा करते हैं। इसकी ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय जिसके कारण जो माइनर दो साल पहले खुद जानी चाहिए थी वह आज तक नहीं खुद पाई है क्योंकि इधर-उधर से खुदाई होती रहती है। अकबरपुर क्षेत्र में हमारे बगल में ही, एक कुहर माइनर है जहां पर पचास फुट नहर की पटरी टूट गई है। वह दो वर्ष पहले टूट गई थी। चार फसलें बीत चुकी हैं। वहां पर काफी जमीन डूबा हुई है। चार फसलें उनमें नहीं हो पाई। मेरी आप से यह गुजारिश है कि वहां के काश्तकारों को इसका मुआवजा दिया जाय और उन अधिकारियों को दंडित किया जाय जिन्होंने आज तक उसकी रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजी।

हमारे यहां टोडी नदी है। जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वह तीन नदियों से घिरा हुआ है, बीच में टोंस, दक्षिण में मजुही और टोड़ी। टोड़ी पट गयी है। प्रति वर्ष उसमें बाढ़ आने के कारण वहां के हजारों गांव प्रभावित होते हैं, करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान होता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि बरोना से केशनपुर तक बीस किलोमीटर तक टोड़ी नदी की खुदाई की जाय ताकि प्रति वर्ष सैकड़ों रुपये के नुकसान से बचा जा सके। प्रति वर्ष किसानों को राहत दी जाती है लेकिन उस राहत से कोई फायदा नहीं हो पाया है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उसकी खुदाई की जाय। हमारे गांव इस तरह के हैं जैसे टोड़ी के किनारे, टोंस के किनारे, जिनका लेबिल बहुत नीचा है। इनको सिंचाई विभाग द्वारा पटाया जाय। ये गांव हैं मदारपुर, नवाबगर, स्ताबाद, मरहरा, राकड़ी, त्रिवहिया, हसनपुर, फिरोजाबाद, बिलारी, दुलहपुर, निमटनी, सरोहरपुर, बलुवा, बहादुरपुर, जवाहरपुर, चौदाप्रास, चिलवानिया, नगपुर, नशोपुर, बुद्धिताल, उफरौली। इनका लेबिल नीचा है। मैंने देखा जब बाढ़ आई थी कि उन गांवों में एक भी इंच जमीन इस तरह की नहीं थी जहां पर सूखी जमीन हो। राहत देने से भी लोगों का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वे कहां पर खायें और कहां पर पकायें। मेरा निवेदन है कि इन गांवों की पटाई कर दी जाय।

नलकूपों के बारे में मेरा कहना है कि नलकूपों की अव्वल तो कमी बहुत ज्यादा है और उस पर भी उनकी दशा अस्त-व्यस्त है। चार-छः नलकूप जो मेरी जानकारी में हैं दो महीने से बेकार पड़े हैं। एस0 डी0 ओ0, एक्ज्यूक्यूटिव इंजीनियर को सूचना दी जाती है, मैंने कभी भी सूचना दी, लेकिन आज तक उनकी मरम्मत के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। आपरेटर्स को टाइट करने की जरूरत इसलिये है कि बहुत से आपरेटर्स इस तरह के हैं जो गांव के ही लोगों को चाबी देकर चले जाते हैं। गांव में गुटबन्दी होती है। कोई अपना खेत सींच पाते हैं कोई लाठी लेकर जाते हैं। आये दिन झगड़े की स्थिति पैदा होती है। हमारे यहां करबला से 8 मील तक सैकड़ों गांवों के लिए कोई मार्ग नहीं है। लोगों के यातायात का मार्ग केवल एक ही नहर की पटरी है जो कि टूट भी जाती है। सिंचाई विभाग उस मार्ग से सवारी ले जाने, लोगों के आने-जाने को रोकता है।

मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग से उस नहर की पटरी को पक्का करा दिया जाय जिससे कि वहां के लोगों को आवागमन सुलभ हो सके, उनके लिए

[श्री शेर बहादुर—]

एक मार्ग खुल सके, कुछ ग्राम जैसे महाराजगंज, सिवलीपुर, टन्नामन्ना, माउख, आशापार, चकिया, लवंया प्रतापपुर, दुबई, सूरजपुर आदि हैं जो कि नहरों के बीच में हैं और उनके पानी का निकास का कोई रास्ता नहीं है। इसलिये मेरी मांग है कि आप वहां ड्रेनेज खोदें जिससे ये गांव बरसात के पानी से न डूब सकें। हर वर्ष बरसात में ये गांव पानी के निकास न होने की वजह से डूब जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप अस्थायी अधिग्रहण कराते हैं, उसका मुआवजा आप अधिकारियों द्वारा काश्तकारों को नहीं दिलाते हैं और जहां कहीं मुआवजा दिया जाता है वहां अधिकारी लोग काश्तकारों को परेशान करते हैं और बहुत समय लगा लेते हैं और घूस मांगते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आपके विभाग द्वारा जो कंपेन्सेशन दिया जाय उसके लिये जिला स्तर पर एक कमेटी बनायी जाय जिसमें विधायकों का भी प्रतिनिधित्व हो और इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से मुआवजा बंटे।

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मिल्कीपुर से आजमगढ़ तक एक नहर की खुदाई की जाय जिससे कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में पड़ने वाले सभी गांव और उसके काश्तकार लाभान्वित हो सकें। इस क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां न कोई ट्यूबवेल है और न कोई नहर है। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि यहां के लोग भी सिंचाई कर सकें और काश्तकारों को राहत मिल सके। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिंचाई आज के कृषक के लिये अत्यन्त उपयोगी है, कृषि के लिये प्राण है इसलिये उसकी सम्यक् व्यवस्था की जाय जिससे किसानों को राहत मिल सके। मैं पुनः एक बार माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। जयहिन्द।

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसलिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सिंचाई पर करोड़ों रुपया हर वर्ष खर्च किया जाता है। उत्तर प्रदेश की 10, 11 करोड़ की आबादी देखी जाय तो यहां की खेती मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है। मान्यवर, कल यहां पर विद्युत् मंत्री के यहां एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्य मंत्री भी बैठे हुये थे। हम सब जानते हैं कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कितने झगड़े हैं। शारदा सहायक में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह आई० ए० एस० बैठा हुआ है। शारदा सहायक को इसी वर्ष सन् 1980 में पूरा होना था लेकिन यदि यह सन् 1985 में भी पूरी हो जाय तो बहुत बड़ी बात होगी। सन् 1985 तक आपकी सरकार रहेगी भी अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लिये हिन्दुस्तान में कहा जाता है और जैसा कि पार्लियामेंट में मधुलिमये ने कहा भी है कि हिन्दुस्तान की सब नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाय तो उससे बाढ़ भी नहीं आयेगी और सिंचाई भी उनसे हो सकेगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप भी यही कर दें कि उत्तर प्रदेश की सब नदियों को आपस में जोड़ दें तो जो समस्या आपके सामने सिंचाई की है वह भी ठीक हो जायेगा और बाढ़ आदि भी नहीं आयेगी। लिफ्ट इरीगेशन जो नदियों द्वारा होता है उसके बारे में कहना चाहता हूं।

नारायनपुर गंगा नहर वाराणसी का उद्घाटन पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा किया गया तो उसमें 50 हजार की मिठाई बांट दी गई लेकिन एक बूंद भी पानी उसमें नहीं गया। यह सब आपके इंजीनियरों की गल्ती के कारण से

हुआ है । वह नहर बाढ़ में डूब जाती है लिहाजा बन्द हो जाती और उसको साफ करने में लाखों रुपया नुकसान होता है । लाखों रुपये की मशीनरी उसकी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं कि इस्तेमाल हो रहा है या नहीं । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे । हमारे देश में साइन्टिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं । उनके द्वारा मशीनों का निर्माण कराया जाय । आयातित मशीनें फेल हो गई हैं । वर्षों लग जाते हैं वे मशीनें ठीक नहीं हो पाती हैं अथवा प्रोजेक्ट की मशीनरी खराब हो गयी है, नतीजा यह है कि मिर्जापुर के अदवा प्रोजेक्ट में काम नहीं हो पा रहा है । वह कब पूरा होगा इसका पता नहीं ।

ट्यूबवेल के बारे में जैसा हमारे चौधरी शंकर सिंह जी ने कहा बिजली ठीक से नहीं मिलती है । उसमें कभी एक फेज बिजली आती है कभी दो फेज और तीन फेज तो, कभी आती ही नहीं है । अगर ट्यूबवेल से पानी चला और कह दिया कि 7 क्यूसेक पानी चला गया है लेकिन बीच में ही बिजली बन्द हो गयी, रास्ते में ही रुक गया । मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कहने को कह दिया जाता है कि इतना पानी चला लेकिन वह आगे नहीं गया दो तीन फर्लांग गया और बिजली कट गयी । तो इस तरह से आबपासी ठीक से नहीं हो पाती है । आपने ट्यूबवेल का कमांड एरिया दो सौ से 340 एकड़ कर दिया, वह ठीक है लेकिन गूल आपकी पक्की नहीं है और वह पानी ठीक से पहुंच नहीं पाता है । हमारी खेती के लिए अलग–अलग विभाग जैसे बिजली विभाग और सिंचाई विभाग सबका मतलब पड़ता है, लेकिन वह अलग–अलग काम करते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि सिंचाई विभाग को समवर्ती सूची में रखा जाय और इसमें हर मंत्री सहयोग दें । कभी–कभी ऐसा होता है बिजली मंत्री ठीक से सहयोग नहीं देते तो उससे सिंचाई विभाग अपना पूरा काम नहीं कर पाता । हमारे ट्यूबवेल के इंजीनियर कहते हैं कि बिजली विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर परेशान करते हैं, ठीक से कनेक्शन नहीं देते हैं और लिखा–पढ़ी में एक महीना लग जाता है । इसके अलावा एक ही फीडर से आप डोमेस्टिक लाइन भी चलाते हैं और इंडस्ट्रीज भी चलाते हैं और उसी से ट्यूबवेल भी चलाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि ट्यूबवेल के लिए अलग फीडर होना चाहिये और डोमेस्टिक तथा इंडस्ट्रियल फीडर भी अलग होना चाहिये । बिजली का सिंचाई से बड़ा नजदीक का सम्बन्ध है । मैं उस बात को नहीं कहता जैसा कि श्री विद्याभूषण जी कहते हैं, बहुत से ऐसे शुभचिंतक हैं । तो मंत्री जी को बहुत से शुभचिंतक मिल जायगे । आज बहुत सी नहरें अधूरी पड़ी हैं, बहुतों में आधा काम हुआ तो उसमें कोर्ट से स्टे हो गया । होता क्या है कि आपका पैसा तो खर्च हो गया लेकिन नहरों में पानी नहीं पहुंचता है जिसमें मैकेनिकल कारण नहीं है बल्कि लीगल कारण हैं ।

कम्पेनसेशन के बारे में जैसा कि ट्रेजरी बैंचेज के विधायक ने कहा कि किसान को मारकेट रेट पर कम्पनसेशन देना चाहिये जिसकी 6 एकड़ की खेती है या 10 बीघे से कम खेती हैं उसको इस तरह मुआवजा देने से तो उसको बड़ा नुकसान हो जाता है । हम तो उस पुरानी परम्परा को जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है उसी को चला रहे हैं । अगर अंग्रेज का घोड़ा नहर का पानी पी ले तो कोई बात नहीं लेकिन अगर किसान उससे पानी पी ले तो

[श्री यदुनाथ--]

उस पर जुर्माना लग जायेगा, उस पर दू-चन्द और ती-चन्द लग जाता है। कैनाल मजिस्ट्रेट की इजलास में उसे जाना पड़ेगा तो यह बड़ी शर्मनाक बात है। उसको तो कम से कम हटा देना चाहिये। आपकी लाल बत्ती जल गयी, मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है इसको आप सिस्टमटिक और टैक्निकल हिसाब से देखिये। हम लोग यहां पर समय-समय पर बैठक बुलाते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मंडलीय स्तर पर आप विधायकों की बैठक बुलायें तो उसमें सही सुझाव आयेंगे और जो ब्यूरोक्रेसी और इंजीनियर्स आपको सूचना देते हैं वह जानकारी आपको मंडलीय स्तर की मीटिंग बुलाने से सही रूप में मिलेगी। कौन ट्यूबवेल चल रहे हैं और कौन ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं, इस क्षेत्र में कितने ट्यूबवेल चल रहे हैं या बन्द पड़े हैं, इसकी सबकी सही जानकारी हो सकेगी। इसलिये आप विधायकों की एक मंडलीय समिति अवश्य बना दें, ताकि सिंचाई विभाग का कार्य सुदृढ़ तरीके से चल सके।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रान्त में सिंचाई-सुविधा का प्रचार और प्रसार हो रहा है, इस बात से भी प्रसन्नता है कि सिंचाई क्षमता, जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया है, दुगुनी और लगभग तिगुनी हो जायेगी। मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है कि जो हमारी बड़ी परियोजनायें हैं, गंडक, रामगंगा, शारदा सहायक आदि, जो कई चरणों में पूरी होनी हैं, इनके पूरे होने पर उनसे कई लाख एकड़ भूमि सिंचित हो जायेगी। इसके अलावा माइनर इरीगेशन, ट्यूबवेल, लिफ्ट इरीगेशन आदि के द्वारा भी सिंचाई की काफी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं और उसका विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही कुछ बहुत जटिल समस्यायें भी पैदा हो रही हैं, उसकी तरफ हमारे नेताओं, अर्थशास्त्रज्ञों, प्रशासकों और वैज्ञानिकों का ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो जितनी हम तरक्की करेंगे, करते जायेंगे, उतना ही हम पीछे हो जायेंगे। यह दो समस्याएं हैं, जो हमारा अनुभव है। एक दो नहरों के पानी से नये इलाके में जबरदस्त पानी का भराव शुरू हो हो गया है और इसके कारण बहुत सी जमीन अनुर्वरक, अन्प्रोडक्टिव या बांझ होती जायेगी। संयुक्त राष्ट्र संस्था के एक अध्ययन के अनुसार भारत, मिश्र, सीरिया आदि देश इस बीमारी से बुरी तरह से ग्रसित हैं।

यह कहा जाता है कि कुल संगत सिंचाई भूमि का एक चौथाई हिस्सा बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो चुका है। यह आशंका बहुत जबरदस्त है और इससे यह संस्था बहुत ज्यादा चिंतित है। कारण इसका यह है कि नहरें और नहरों के मार्ग पक्के नहीं हैं और किसानों के खेत तक पहुंचने वाली जो नालियां हैं वह ठीक नहीं हैं। खेत चौरस हैं, जिससे पानी उसमें भर जाता है, तो उसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नहरों के कच्चा होने के कारण पानी रिस-रिसकर जाया करता है, जिससे बराबर सीलन बनी रहती है और उसके कारण से बहुत सा रकबा हमारा खराब और बर्बाद हो रहा है। उसकी ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है अन्यथा आप चाहे जितना आगे बढ़े, हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे, पीछे होते जाएंगे। अब खारेपन का सवाल है। लोग कहते हैं कि कुछ दिन में यह भूमि खारे पानी से पूरी तरह ग्रस्त हो जायेगी। उसके लिये कोई चर्चा या उपाय नहीं होता है। कहा यह जाता है कि जब पानी खारा हो जायेगा तो ऐसे तरीके निकालने चाहिये खारापन बिना पानी को और उत्पादन शक्ति को नुकसान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहुचाये निकाला जा सके और भूमि उपजाऊ बन सके। इस समस्या के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने भी अपनी-अपनी राय दी है। बीरबल, प्रो0 घर और डाक्टर हवलटन सरीखे वैज्ञानिकों ने इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके इसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

डाक्टर हवलटन वह वैज्ञानिक हैं जिनको कृषि सम्बन्धी शोध के लिये नोबुल पुरस्कार मिला है। पहली बार एक अमेरिकन साइन्टिस्ट को यह पुरस्कार मिला है। वह सब इस बात से सहमत हैं कि खारेपन और पानी के भराव के कारण दुनिया का बहुत सा हिस्सा अनप्रोडक्टिव हो रहा है। सभी लोगों से कहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय और नालों की उचित व्यवस्था करायी जाय। मार्गों को पक्का कर दिया जाय वर्ना नुकसान होगा। एक अमेरिकन लेडी आयी थी उत्तर प्रदेश में। उसने कैनाल सिस्टम को अध्ययन किया और कहा कि सरकार का काम केवल यही नहीं है कि नहर खोद कर पानी डाल दे बल्कि यह भी काम है कि पानी किसानों के खेत तक पहुंचे और पानी का ज्यादा नुकसान न होने पावे। लेकिन सरकार का ध्यान इधर बहुत कम जाता है। उसने यह भी बताया कि नहर कमेटी जगह-जगह बननी चाहिये ताकि अधिकारियों का सम्बन्ध ज्यादा से ज्यादा किसानों से हो सके। जिस क्षेत्र से नहर जाती है और नहर कटने की जो प्रक्रिया है उसमें भी कमी इससे होगी। बाढ़ की समस्या पर अगर नियन्त्रण न किया गया तो सारा गंगा का कछार दलदल में परिवर्तित हो जायगा। नहर की तटबन्दी, पुल आदि की व्यवस्था सरकार को देखनी चाहिये वर्ना प्रलय हो जायगा। भारतवर्ष में राष्ट्रीय आयोग जो इस सम्बन्ध में है उसके आगणन को देखें तो मालूम होगा कि 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि हर साल बाढ़ से बरबाद होती है। इसके लिये नहर विभाग सिंचाई विभाग से अलग कर दिया जाना चाहिये और इसको या तो अलग विभाग कर दिया जाय या फिर भूमि संरक्षण विभाग से जोड़ दिया जाय। यह बाढ़ की ऐसी समस्या है जिसका अनुमान पिछले वर्ष की विभीषिका से लगा सकते हैं जो कि इससे प्रभावित हुए। इन शब्दों के साथ में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री अकबर हुसैन--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री शंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने बड़ी-बड़ी योजनाओं का जिक्र किया है लेकिन अगर माननीय मन्त्री जी नई-नई योजनाओं के अलावा पिछली जो चालू योजनायें हैं उनको ही पूरा करा दें तो इतना अधिक एरिया वह सिंचित कर सकती है जिसको नई योजनाओं के द्वारा कल्पित किया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद मुरादाबाद में जो नलकूप वर्ल्ड बैंक योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं उनमें से एक भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। उसके सम्बन्ध में बतलाया यह जाता है कि जिन गांवों के लिये वे प्रस्तावित हैं वहां जमीन नहीं मिल रही है। इसका पता लगाया जाय क्या अधिकारियों ने किसी माध्यम से यह कोशिश की कि जमीन मुहइया हो सके। मेरे क्षेत्र में ऐसा आज तक नहीं किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबर हुसैन—]

मेरे क्षेत्र में जहां तक आपरेटर्स का सवाल 70 के करीब नलकूप चालक हैं जिसमें एक-एक नलकूप का चार्ज एक-एक आपरेटर को दे रखा है जब कि एक-एक नलकूप चलाना एक-एक आपरेटर की क्षमता से बाहर है। फिर दो नलकूपों को चला पाना तो मेरी राय में एक आपरेटर के बस की बात नहीं है। नतीजा यह होता है कि दोनों ही नलकूप बेकार पड़े रहते हैं या वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं चल पाते। यह आपरेटर्स लोग प्राइवेट नलकूपों वालों से मिले रहते हैं और सरकारी नलकूप खराब दिखाकर प्राइवेट नलकूप वालों को मनमाने रेट पर पानी किसानों को देने के लिए एक अवसर दिया करते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मुरादाबाद जिले के सभी नलकूपों के बारे में यह जांच करवा लें कि उनकी क्या स्थिति है और वे कितने-कितने समय तक चले। यह नलकूप कभी किसी टेक्निकल खराबी के कारण, कभी ट्रान्सफारमर की चोरी के कारण, तो कभी अन्य किसी खराबी के कारण अक्सर बन्द रहते हैं। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लोकमणि शर्मा—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रत्येक माननीय सदस्य आपके प्रति समय देने के लिए आभार प्रकट करता है, पर मैं कुछ विशेष रूप से, हृदय से आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं क्योंकि अथक प्रयास के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आज तो बिना प्रयास के ही आपको मौका मिला है। आप धन्यवाद तो अपने दल के लोगों को दें क्योंकि और कोई माननीय सदस्य खड़े ही नहीं हुये।

श्री ऊदल—

अगर, मान्यवर, माननीय सदस्य खड़े नहीं हुये हैं तो आपको इनको बोलने का अवसर नहीं देना चाहिए था क्योंकि अध्यक्ष पीठ से ऐसी रूलिंग हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

खाली शर्मा जी ही खड़े हुये, और कोई नहीं खड़ा हुआ।

श्री ऊदल—

अगर वे बैठे रहते हैं तो आप नहीं बुलवा सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा नहीं है वे खड़े हुये थे। लिस्ट में उनका नाम नीचे होते हुये भी मैंने उनको बुलाया।

श्री लोकमणि शर्मा—

पहले तो मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो सरकार की नीति एवं आदर्शों के अनुरूप है और प्रदेश के किसानों के हित में है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यह बजट कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाला बजट है और उसके लिए इस बजट में नाना प्रकार के कार्यक्रम रखे गये हैं और इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

इस बजट में माननीय मंत्री जी ने सिंचाई के साधनों तथा उनसे सम्बन्धित भिन्न–भिन्न योजनाओं का वर्णन किया है। चाहे नलकूप हो चाहे, नहरों द्वारा सिंचाई की बात हो, चाहे राम गंगा, शारदा सहायक, गंडक योजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की बात हो, हर एक का विस्तृत वर्णन इस बजट में है जिसके लिए मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ने जो अपना एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव रखा है, वैसे तो मैंने यह समझ लिया है कि हमारे माननीय सदस्य को पिछले 30 वर्षों से शायद इस प्रक्रिया से ओतप्रोत होने की आदत सी पड़ गयी है। वास्तव में यह हमारे सदन की मर्यादा नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि विरोध पक्ष का उतना ही अधिकार है जितना सत्ता पक्ष का है। उनका कर्त्तव्य यह हो जाता है कि वे अपने कर्त्तव्य का सही ढंग से पालन करें। जब आप किसान के हितैषी बनते हैं तो आपको 2–4 लाख रुपये की अधिक धनराशि करने का प्रस्ताव रखना चाहिए था। अगर आपका प्रस्ताव वास्तव में सही होता तो वह कार्यान्वित किया जाता। इसी तरह से कृषि के बजट पर भी एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा गया था और कृषि उत्पादन का जो साधन है, वह सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उसमें भी एक रुपया रखा है। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि उनकी कौन सी बात सही है किसानों के हितैषी हैं या विरोधी हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता है। "दोऊ न होय एक संग भुवलू, हंसब ठठाय, फुलाउब गालू।" श्रीमन मैंने अपने साथियों को यह भी कहते हुये सुना है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं।

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

श्रीमन, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और श्रीमन मैंने, औचित्य का प्रश्न दिया है, उसको भी उठाऊंगा। अभी माननीय सदस्य ने फिर उसी बात को दोहराया, जिस बात पर कृषि बजट के दिन मैंने संसदीय परम्पराओं के प्रति टोंका था। उस दिन एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग कटौती का प्रस्ताव रखते हैं, वह किसानों के दुश्मन हैं, तो उस पर मैंने टोंका था, तो आपने मेरे ऊपर रिमार्क किया था। यह चेयर बड़ी है, लेकिन उसकी मुझे फिक्र नहीं है। और यह जो कुछ माननीय शर्मा जी ने कहा कि यह कटौती का प्रस्ताव जो विरोधी पक्ष के लोग लाते हैं, यह सदन का अपमान है। मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के अध्याय 15 को निकाल कर देखने की कृपा करें कि हमारी नियमावली और संविधान के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष जी जो कटौती के प्रस्तावों को ग्राह्य करते हैं, उन्हीं को स्वीकार किया जाता है, वह हमारी सदन की परम्पराओं के अनुकूल है, प्रक्रिया के अनुकूल है और संसदीय शिष्टाचार के अनुकूल है। इसलिये सत्तारूढ़ का कोई भी सदस्य इस बात को नहीं कह सकता है कि यह कटौती का प्रस्ताव जो विरोधी पक्ष की तरफ से आता है, यह संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है और विधान सभा का अपमान है, इस पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपने जो यह बात कही, इसके ऊपर जो माननीय ऊदल जी ने प्रश्न उठाया, उनका प्रश्न जायज है। आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए।

श्री लोकमणि शर्मा--

मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए।

श्री लोकमणि शर्मा--

वापस ले लिया है, श्रीमन्। मैंने तो आपकी बात का अनुपालन किया है। मैं तो अनुशासित सदस्य हूं मान्यवर। मान्यवर, विरोधी पक्ष के लोग हमारे नेता के ऊपर बहुत कटाक्ष करते हैं और ये लोग यह भी कहते हैं कि 30 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। जहां तक आज सिंचाई का बजट है, जिस वक्त 1947 में हमारे हाथ में सत्ता आई थी, उस समय हमारे सिंचाई के साधन की जो क्षमता थी वह 27.5 लाख हेक्टेयर थी। आज 1980-81 में 91.17 लाख हेक्टेयर क्षमता रखी गयी है। तो इस तीस साल में हम उत्तरोत्तर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं,....हालांकि हमारा लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन उनका जो कहना है, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह देश हमको जिस स्थिति में मिला था, न वस्त्र उपलब्ध थे जनता को, किसानों को और न खाने का सामान उपलब्ध था, ऐसी स्थिति में हमको देश मिला। उस समय एक पैसे की 25 सुई आया करती थीं, यहां बनती नहीं थीं। 30 साल के बाद जब आपको देश सौंपा गया तो 1977 में तो अन्न के भण्डार सौंपे गये। कृषि प्रधान देश होते हुए भी यह अन्न के मामले में स्वावलम्बी नहीं था, अंग्रेजी शासन काल में आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया जाया करता था। तो 1977 में जब देश आपको सौंपा गया तो अन्न के भण्डार विदेशी मुद्रा के भण्डार, स्वर्ण के भण्डार आपको सौंपे गये और 3 साल के अन्दर ही आपने वे सब भण्डार खाली कर दिये और खाली देश फिर से हमें सौंप दिया गया।

वास्तव में हम लोग सारे प्रदेश के भाग्य निर्माता हैं और वास्तव में हम यदि अपने कर्त्तव्य का पालन करें तो प्रदेश और देश को आगे लक्ष्य तक शीघ्र ले जा सकते हैं।

(सदन में अचानक विरोधी पक्ष की तरफ के पंखे चल जाने के कारण--व्यवधान)

एक सदस्य--

यह कैसा पक्षपात है, सत्ता पक्ष के लोगों का ?

एक सदस्य--

भाषण में ज्यादा गर्मी है, इसलिये पंखे खोल दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्थापकों ने यह समझा कि आप काफी ठण्डे हैं इसीलिये उधर को पंखे चलवा दिये।

एक सदस्य--

तजुर्बा कर लिया जाय।

श्री लोकमणि शर्मा--

तो मान्यवर, 30 साल में हम लोगों ने देश की बहुत प्रगति की है और देश को बहुत आगे ले गये हैं, बहुत कुछ पाया है। लेकिन मेरा विचार है कि हमने कुछ खोया भी है, 30 साल में। हमने अपनी सामाजिक परम्परायें खोयीं हैं, अपनी नैतिकता को खोया है और आज देश में जो आतंक फैला हुआ है, उसका मुख्य कारण यही है अगर हम इन खोई हुई चीजों को वापस लाने की चेष्टा करें और संकल्प करें, तो हम अपने प्रदेश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जितनी धनराशि बजट पर स्वीकृत होती है, उसका 3/4 हिस्सा भी आप ठीक से व्यय करें तो यह प्रदेश बहुत आगे बढ़ जायेगा, हमारी नैतिकता वापस आ जायगी तो प्रदेश, देश का कल्याण अवश्यम्भावी है। इसके साथ ही मैं माननीय सिंचाई मन्त्री द्वारा जो बजट-प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, सिंचाई मन्त्री ने कहा कि छठी पंचवर्षीय खत्म हो जायगी तो हमारे सामने कार्य की कोई रूपरेखा नहीं रहेगी कि हम कौन सा काम करें सिंचाई के क्षेत्र में सिवाय बडे-बड़े नदियों को बांधने के बांध समय से पूरे होंगे। यह तो सन्देहास्पद है लेकिन मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली तो यह है कि जिन योजनाओं को आप बनायें वह निश्चित टाइम के अन्दर बन जायं उसका प्राक्कलन और डिजाइन, सर्वे आदि पहले ही करा लें ताकि उसको पुनरीक्षित न करना पड़े। और देखा यह गया है और अभी तक का इतिहास यह है कि जिसकी वजह से योजनायें पूरी नहीं हुईं और इस्टीमेट पुनरीक्षित किये गये और बार-बार खर्चे बढ़ते गये। उसका कारण यह है कि हमारा जो डिजाइन डाइरेक्टरेट है वह बड़ा कमजोर है चूंकि एक जगह का हमने देखा है सोन नदी पर एक लिफ्ट कैनाल बहुत बड़ी है उसका बैराज बिना नक्शे और डिजाइन के बनने लगा तो प्रमुख अभियंता ने जांच किया तो वहां लोगों को बहुत डांटा। इसलिये मेरा कहना है कि कार्यक्रम शुरू करने से पहले उसका नक्शा, डिजाइन, प्राक्कलन और उसका टाइम टेबिल तथा उसके लिये समान को निश्चित करलें तभी योजना पूरी कर सकते हैं।

मान्यवर, शारदा सहायक नहर का जिक्र किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ सरजू नदी के उस पार (उत्तर) का क्षेत्र ले लिया है। हमारे यहां भी वह गयी है जिसको 1980 तक आप पूरा करने वाले थे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1985 तक भी वह पूरी नहीं होगी, यह आप नोट कर लें। मुझसे विभाग के एक अधिकारी ने यह दावे के साथ कहा था कि हमारे क्षेत्र में उसकी जो नहर गयी थी उसमें 1979 जून में पानी दे देंगे लेकिन आज भी वह प्री मोडलिंग की स्टेज में है। उस पर रेलवे का पुल भी नहीं बना है।

मान्यवर, शारदा सहायक का 38वां खंड बन रहा है। बाबतपुर रजबहा वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ तीनों जिलों के गांवों से होकर निकलेगा। इसलिये इन तीनों जिलों के पड़ने वाले गांवों को गजट कर दिया गया है कि वहां ट्यूबवेल नहीं

[श्री लोकमणि शर्मा--]

लगाये जायंगे । तो यह दोनों योजनायें ट्यूबवेल और नहर की साथ-साथ कैसे चलेंगी ? इसलिये कम से कम नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि एक मीटिंग हो जाय तब ऐसी योजनायें बनायी जाया करें । मैंने इस सम्बन्ध में सिंचाई सचिव और सिंचाई मंत्री को लिखा कि आप अपने अधिकारियों को बुलायें और इस सम्बन्ध में मीटिंग करें यदि सरकार की मंशा है कि खेतों में पानी पहुंचे, खेती की तरक्की हो, प्रदेश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सोच समझकर योजनायें बनायें ।

मान्यवर, सीपेज बहुत है शारदा सहायक को ले लें तो इससे हजारों एकड़ जमीन सीपेज से डूबी है। बाराबंकी का ही उदाहरण ले लें तो वहां सीपेज से हजारों एकड़ जमीन डूबी है उससे इधर और उधर के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे । तो इस तरह से कैसे काम चलेगा । मान्यवर, टेक्निकल चीज के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि रूस में मैंने स्वयं देखा है कि बोल्गा डान कैनाल जो 1956 में बनी थी उसमें ऐसा है कि बोल्गा नदी 100 मीटर नीचे है और डान 100 मीटर ऊंचाई पर है । उसमें एक नहर बनाई गयी है—बोल्गा डान कैनाल, जिसमें बोल्गा का पानी डान में जाता है और डान का पानी बोल्गा में जाता है । डैम बनाकर उस पानी से सिंचाई होती है और उस पानी में जहाज चलते हैं । इस प्रकार देखें तो दुनिया साइन्टिफिकली कितना आगे बढ़ गयी है । दूसरा निवेदन है कि जो कमान्ड एरिया बना रखा है राम गंगा, शारदा सहायक और गंडक इसको आप समाप्त करें क्योंकि नान टेक्निकल लोगों को आपने इनका काम दे रखा है जो नहर न बना सकते हैं, न गूलें और न नाली ही बना सकते हैं । इस पर आप जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं जबकि काम एक पैसे का भी नहीं हो रहा है ।

इसलिये इसको खत्म करिये । सारी कमान्ड एरिया का काम गूल बनवाने का, नाली बनवाने का रजबहा तैयार करने का यह सारा का सारा काम सिंचाई विभाग को सौंपा जाना चाहिये । नहरों के टेल पर जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां पर ट्यूबवेल लगाना चाहिये । मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि नहरों के टेल पर कभी पानी नहीं पहुंचता है उन नहरों को टेल ट्यूबवेल होना चाहिये जहां नहरें नहीं जा सकती हैं वहां ट्यूबवेल होना चाहिये जो बड़ी-बड़ी नहरें हैं उनके किनारे ट्यूबवेल होना चाहिये एक तो इससे यह काम हो सकता है कि नहरों के किनारे का पानी उठाकर नहर में डाले दूसरा वह सिंचाई का काम कर सकता है । इसलिये कमान्ड एरिया बना है उसके जो प्रशासक हैं वही मेम्बर हैं वही प्रस्ताव करते हैं 25-25 सौ रुपया बंगले का किराया पास कर लेते हैं वही राजा, वही फैसला करने वाले हैं अपने बारे में ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के जाल में मैं नहीं जाना चाहता हूं अगर आंकड़ों को सही ढंग से देखा जाय तो 30 फीसदी से ज्यादा सिंचाई सहकारी साधन से नहीं हो पायी है । सिंचाई क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है । बिजली कैसे बढ़े इस पर सोचना होगा । ब्रह्म दत्त जी रोज यहां कहते हैं कि 16 घंटे बिजली मिल रही है, सिंचाई मंत्री जी कह रहे हैं कि 6 घंटे बिजली मिल रही है और हम लोग जो भुक्तभोगी हैं हम कहते हैं हमको 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है, जब बिजली मिलती ही नहीं, आप देखें बनारस और जौनपुर में जब बिजली मिलती थी तो जितना ट्यूबवेल चला है उतना पूरे प्रदेश में ट्यूबवेल नहीं चले । जब किसान को बिजली मिलती ही नहीं तो ट्यूबवेल कैसे चले ।

लाखों एकड़ का पानी आपके प्रदेश में खराब हुआ है। आजमगढ़ और सिधरामऊ में बनारस में शारदा सहायक में जो ले लिया है हजारों एकड़ गेहूं की फसल उसमें डूब गई। दोहरी घाट पम्प कैनाल को देखें घाघरा नदी दूर चली गई, हमारी जितनी लिफ्ट कैनाल वह सब घाटे में हैं उनसे 1/4 सिंचाई हो रही है। मैंने एक सवाल किया था एक पंप कैनाल टंडवा के बारे में 10 लाख रुपये की पाइप खड़ी कर दिया। दसिओं वर्ष से जंग खाये मैंने सवाल किया अभी मैं हाल में वहां गया तो पाइप तो नहीं थी लेकिन 60 क्यूसिक का पम्प नहर उखड़ा पड़ा था। पम्प कैनाल चालू हालत में नहीं था। मेरा कहना है जब बिजली नहीं मिल रही है तो मैं चाहता हूं कि पूरे-पूरे लिफ्ट पम्प और लिफ्ट कैनाल का फिर से सर्वेक्षण कराया जाय और कैबिनेट स्तर पर विचार करना चाहिये कि इतनी क्षमता की बनी थी इतनी क्षमता इसकी थी य नहीं। एक प्लान तैयार करें। माननीय मन्त्री जी अगर चाहते हैं कि एक सिद्धान्तिक सवाल उठे, यदि चाहते हैं कि अच्छी योजनायें बने, सिंचाई के ऊपर बहस हो जाय तो मैं अपने को दे रहा हूं जिस दिन आप अधिकारियों को बुला लें टेक्निकल तरीके से साइन्टफिक तरीके से बहस करालें मैं अपने को समर्पित करता हूं, तैयार हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय प्रदेश के सबसे अधिक रकम वाले बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है। काश्तकारों की उन्नति के लिये पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इस बात को मैं कहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में जिस प्रकार से सिंचाई व्यवस्था खराब हुयी थी उसको सुधारने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है जो सराहनीय है। मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में जिस प्रकार से सिंचाई के लिए नयी योजनाओं को लागू करने की बात कही है और सिंचाई के लिये जरूरी बिजली के लिये जो उन्होंने बांध बनाकर नयी विद्युत् योजनाओं में सहयोग देने की बात कही है वह अत्यन्त सराहनीय है।

मान्यवर, उन क्षेत्रों में जहां कैनाल नहीं हैं वहां पर ट्यूबवेल लगाने की बात मंत्री जी ने कही है कि 2 हजार ट्यूबवेल प्रति वर्ष लगायेंगे, यह प्रशंसनीय बात है। मैं मंत्री जी का ध्यान ट्यूबवेल विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मंत्री जी 2 हजार ट्यूबवेल लगाने की बात करते हैं लेकिन कितने ट्यूबवेल चलाने की बात करते हैं इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है। मैं अपने जिले के बारे में कह सकता हूं कि पिछले चार सालों में हमारे जिले में जितने ट्यूबवेल बने हैं उसमें 80 प्रतिशत आज भी खराब पड़े हैं। मान्यवर, अगर आप प्रत्येक ट्यूबवेल पर होने वाला खर्च देखें तो प्राइवेट ट्यूबवेल पर खर्च कम आता है, सरकारी ट्यूबवेल पर 50 प्रतिशत खर्च अधिक आता है और क्षमता के नाम पर, प्राइवेट ट्यूबवेल की क्षमता से सरकारी ट्यूबवेल की क्षमता कम होती है सिंचाई विभाग में तीन विभागों के माध्यम से ट्यूबवेल लगाये जाते हैं, नलकूप विभाग, नलकूप निगम, और वर्ल्ड बैंक के संगठन के माध्यम से। तीनों विभागों में एकरूपता न होने के कारण वह एक दूसरे से अलग-अलग पड़े हैं। तीनों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं जिससे प्रदेश के गरीब काश्तकार का तमाम पैसा अधिकारी अपने जेब में रख ले जाते हैं और प्रदेश की काश्तकार

[श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—]

अपनी जमीन असिंचित रखता है । एक ट्यूबवेल पर ड्रिलिंग में 75 हजार रुपया दिया जाता है, उसकी नाली बनाने के लिये 40 हजार और पंप हाउस के लिये 30 हजार दिया जाता है । रख-रखाव के लिये जो पैसा खर्च होता है उसको मंत्री जी जानते हैं । मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 2 हजार ट्यूबवेल न बनवायें लेकिन जितने बनवायें उनके चलने की घोषणा कर दें और देखें कि प्रदेश में जितने ट्यूबवेल बने वह चले हैं कि नहीं । अगर नहीं चले हैं तो जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनको दंडित करने की घोषणा करें ।

मान्यवर, सिंचाई विभाग जहां फसलों को सींचता है वहां वह अपनी गैर जिम्मेदारी के कारण किसानों की फसल खत्म कर देता है । सिंचाई विभाग की यह जो कार्य प्रगति की किताब है उसमें माना गया है कि हरदोई में 60 प्रतिशत फसल ड्रेनज डिपार्टमेन्ट की वजह से नष्ट हुयी या होती है । मान्यवर, हमारे जिले का ड्रेनेज डिवीजन उन्नाव डिवीजन के अन्तर्गत आता है । उन्नाव वाले हमारे जिले का ड्रेनेज बनाने के लिये नहीं जाते हैं । मुझे ज्ञात हुआ है कि इस डिवीजन में काम ज्यादा है और उस डिवीजन ने लिखा है कि हम हरदोई को अपने डिवीजन में नहीं रख पायेंगे । तो मेरी मांग है कि हरदोई का अलग ड्रेनेज डिवीजन खोला जाय । पिछले बजट सेशन में हमने मंत्री जी से कहा था, शायद बजट पास हो जाने के बाद मंत्री जी हमारे सुझावों को नहीं देखते हैं । मैंने मंत्री जी से कहा था कि हमारे क्षेत्र की जितनी कैनाल हैं उसका डिवीजन उन्नाव में आता है । वहां का कोई अधिकारी हमारे जिले में देखने नहीं आता है इससे हमारे क्षेत्र की खुली उपेक्षा हो रही है सिंचाई व्यवस्था कोई देखने नहीं जाता है । मैंने मुख्य मंत्री जी से आदेश कराया था, दिसम्बर, में आदेश हुआ लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है । हरदोई जिले में उन्नाव डिवीजन के अन्तर्गत आने वाला एक असिस्टेन्ट इंजीनियर पोस्ट होना चाहिये जिससे हमारा क्षेत्र जो उपेक्षित है वह उपेक्षित न रह सके ।

मान्यवर, सिंचाई विभाग की दो मदें हैं । एक है कैश क्रेडिट और दूसरी है मेन्टीनेंस एन्ड रिपेयर्स । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि दोनों मदों को देखें । मंत्री जी अगर देखेंगे, अगर पिछले तीन साल का रिकार्ड देखेंगे तो इन दोनों मदों में सबसे ज्यादा पैसा जो निकला जाता है वह मार्च के महीने में निकाला जाता है । बाकी जो 11 महीने हैं उनमें पैसा नहीं निकलता है क्या कारण है कि मार्च में ही पैसा निकाला जाता है, और वह भी फर्जी नामों पर चेक काटकर पैसा निकाल लिया जाता है । पी० डब्लू० डी० में तो ठेकेदारों से परसेन्टेज बन्धा हुआ है लेकिन सिंचाई विभाग में यह भी प्रथा नहीं है, वहां अपने रिश्तेदारों के फर्जी नाम दे दिये जाते हैं और उन्हीं के नाम से पैसा निकलवा लिया जाता है । मान्यवर एक बात तो आपके संज्ञान में होगी कि विभागों के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन पर आरोप लगते हैं, जिसकी उच्चअधिकारियों द्वारा जांच कराई जाती है, लेकिन सिंचाई विभाग में ऐसा नहीं है । यहां पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के माध्यम से कराई जाती है, जो एक हैं श्री आर० एस० माथुर, लखनऊ में तैनात हैं । जो एस० ई० और सी० ई० जैसे उच्चाधिकारियों की मामलों की जांच करते हैं । तो मान्यवर, आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक मातहत अपने उच्चाधिकारी के फैसलों की जांच क्या करेगा ?

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के सम्मुख कुछ बातें और रखना चाहता हूं कि मंत्री जी कोई भी स्कीम बनाते हैं या सर्वे किया जाता है और सर्वे के बाद ही कोई स्कीम लागू होती है, तब कोई इक्विपमेन्ट खरीदे जाते हैं । लेकिन यहां एक बात

जो सामने आयी, उस पर जरा गौर करने की जरूरत है। सरयू परियोजना का सर्वे कराने से पहले ही लाखों रुपये ट्रैक्टर व अन्य उपकरण वर्षों पहले खरीद लिये गये, जिनका कोई प्रयोग नहीं था। इस तरह लाखों रुपये बर्बाद कर दिये गये और उन ट्रैक्टर्स का प्रयोग अधिकारीगण अपने निजी काम में ला रहे हैं तो इस तरह जब कि वास्तविक कार्य शुरू नहीं हुआ और चीजें खरीद ली गयीं, इनका जिम्मेदार कौन होगा और जो दोषी अधिकारी हो उन्हें दन्डित किया जाए। मान्यवर, इस सिलसिले में मेरा एक सुझाव है कि जो भ्रष्ट अधिकारी, जिनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो गये हैं या जांच कार्यवाई चल रही हो, और जब तक कोई फैसला न हो जाए, तब तक उस अधिकारी की पदोन्नति न की जाए और उन्हें किसी अच्छे पद पर तब तक न भेजा जाए। एक एस0 पी0 सिंह रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, कालागढ़ में इक्युपमेन्ट की खरीद में एक करोड़ से अधिक की शार्टिज का मामला टेक्निकल आडिट सेल ने पकड़ा। मान्यवर, उनके खिलाफ चला, जांच हुयी, पाया गया और वह रिटायर्ड हो कर चले गये सारा घपले का पैसा उनका हो गया। और इसी से मिलता-जुलता एक मामला गौरी दीक्षित, एस0 ई0 के विरुद्ध लाखों रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया, इनके प्रति भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और यह रिटायर हुए, सारी रकम लेकर बैठ गये। सारा पैसा इनका हो गया तीसरा मामला एक इसी प्रकार का और है बलराम वर्मा का जो ए0 ई0 के पद पर तैनात थे। बस्ती और मुरादाबाद में लगभग 6 लाख रुपया का सामान बेच लिया। लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। माननीय मंत्री जी को एक बात और बतलाना चाहता हूं ट्यूबवेल सर्किल वाराणसी में लाखों रुपया के घोटाले का मामला जनता द्वारा लगाया गया। जांच हुयी। मामला सही पाया गया लेकिन वहां के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मान्यवर इस प्रकार आपके यहां भ्रष्ट अधिकारियों की एक लाईन लगी हुयी है। डिजाइन डायरेक्टर एवं अनुसंधान नियोजन मंडलों में तैनात अधिकारियों के पास कोई काम आज नहीं है। यहां केवल उन अधिकारियों को तैनात किया जाता है, जिन पर भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं। यहां वे अच्छी रिपोर्ट लिखाकर किसी अच्छी जगह वापस चले जाते हैं। तो मान्यवर, इस प्रकार से भ्रष्टाचार दूर नहीं होता। अगर इसको दूर करना है तो इसके लिए आपको कुछ नियोजित और ठोस कदम उठाने होंगे। तभी कुछ भ्रष्टाचार कम होगा और अब माननीय मंत्री जी का ध्यान कर्मचारियों की ओर ले जाना चाहता हूं। जहां अधिकारियों को इतनी बड़ी-बड़ी सहूलियतें दी हैं, वहीं पर थोड़ी सहूलियतें कर्मचारियों को भी दे दें।। इन कर्मचारियों की सेवा नियमावली को सरल बनाये और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को भी सचिवालय के समान वेतनमान देने की घोषणा जो आपने की थी, आश्वासन दिये थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। आज तक नहीं लागू हुआ और मंत्री जी चीफ आफिस के कर्मचारियों के लिये 50 क्वार्टर बनाने के आदेश किये गये थे उसके अब 32 क्वार्टर बन गये हैं लेकिन वहां के कर्मचारियों को डर है कि यह किसी अधिकारी को न अलाट कर दिये जायं क्योंकि अभी तक वे किसी कर्मचारी को नहीं अलाट किये गये हैं, तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन क्वार्टरों को वहां के

[श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—]

कर्मचारियों को ही अलाट करने के आदेश दे दें । इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई के बजट पर हमें भी बोलने का अवसर दिया और मैं चौधरी शंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्रीमन्, इस प्रदेश के लिये सिंचाई एक अहम मसला है । कृषि प्रधान प्रदेश में सिंचाई ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसान अपनी स्थिति को मजबूत और कमजोर बना सकते हैं । श्रीमन् चार-पांच विभाग हैं सिंचाई विभाग में, नलकूप विभाग, नहर विभाग, ड्रेनेज विभाग, बाढ़ विभाग, डिजाइन विभाग, पम्प और कैनाल विभाग । श्रीमन्, एक नया निगम भी बन गया है नलकूप निगम ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान नलकूपों की तरफ ले जाना चाहता हूं । नलकूप लगवाये जाते हैं, तीन-चार साल बाद कहीं उनको विद्युत् मिल पाती है, न भी मिले, सरकार के आंकड़ों में आ गया कि नलकूप लगवा दिये गये, विद्युतीकरण हुआ कि नहीं हुआ, किसानों के खेत में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, यहां आंकड़े पेश किये जाते हैं कि हमने नलकूप की व्यवस्था कर दी है । श्रीमन्, होना यह चाहिये कि जिस साल नलकूप लगें, उसी साल विद्युतीकरण हो जाना चाहिये, इसमें समय अधिक नहीं लगना चाहिये क्योंकि श्रीमन् इसमें दूसरी बात यह होती है कि येन-केन प्रकारेण नलकूप तो लगा दिये जाते हैं लेकिन वही नलकूप तीन-तीन, चार-चार महीने के बाद खराब हो जाते हैं, उनकी वर्किंग ठीक नहीं होती है । जनपद बलिया में कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे ट्यूबवेल खराब पड़े हैं जब और इंजीनियर महोदय से इसकी शिकायत की जाती है तो वे कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जैसा आप लोग हमको सामान देते हैं, वह सामान हम लगाते हैं । श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इंजीनियर महोदय के कहने से ऐसा आभास होता है कि कमीशन लेकर निश्चित रूप से थर्ड क्लास का सामान ट्यूबवेल विभाग के लिये खरीदा जाता है जिसके कारण ट्यूबवेल दिन प्रति दिन खराब होते जा रहे हैं और उनसे कोई सिंचाई काम नहीं होता । जो सामान लिया जाता है उनका ठीक तरह से टेस्ट भी नहीं किया जाता है कि इसको लगाने से पानी यह देगा या नहीं देगा और जब बराबर इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यदि यह ट्यूबवेल नहीं चलता है तो फिर इसे आप फेल ही घोषित कीजिये, तो इस पर ध्यान ही नहीं देते । ट्यूबवेल पानी देता नहीं और शासन उसको फेल घोषित करता नहीं, तो ऐसे ट्यूबवेल लगवाने से क्या फायदा ?

श्रीमन्, तो इस तरह से वहां का किसान बरबाद हो रहा है । मेरे ही क्षेत्र में चिलकहर में वहां पर दो जगह कछईपुर और बांसरोग्राम में दो ट्यूबवेल लगाये गये । उसको लगे तीन-चार साल हो गये लेकिन उसने आज तक पानी नहीं दिया और सरकार ने उसे फेल भी नहीं घोषित किया । जब शिकायत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को जाती है तो एप्लीकेशन देने पर बड़े-बड़े इंजीनियर वहां जाते हैं, उसकी सफाई वगैरह करवाते हैं, सारा डीजल बेच लेते हैं और गांव के सारे मुर्गे पकड़वा कर खा जाते हैं ।

(हंसी)

तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उन ट्यूबवेलों को फेल घोषित करवा कर, उन लोगों को जो हमेशा ही जाकर वहां उनकी सफाई का काम किये हैं, पूरी जांच करा कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

अब मैं नहरों कि तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । नहरें बनाई जाती हैं, वे पानी देंगी या नहीं देंगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । मेरे बलिया जिले में दोहरी घाट परियोजना नामक एक योजना है । वहां कौन से महत्वपूर्ण विद्युत् इंजीनियर द्वारा वहां सर्वे कराया गया, पता नहीं ? उसके चालू होने के एक साल के बाद पानी उसके ऊपर चला गया, नहर पानी दे रही है या नहीं, इसको कोई देखने वाला नहीं । जब बार-बार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, माननीय मंत्री जी से भी इस संबंध में निवेदन किया गया तो कभी-कभी किन्हीं-किन्हीं माध्यमों से बहुत थोड़ा सा पानी दे देंगे जो कि गूलों में प्रवेश भी नहीं कर पाता । यह पानी थोड़ा सा इसलिये दे देते हैं क्योंकि इसके द्वारा किसानों से लगान वसूल किया जायेगा । बलिया की मीटिंग में मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि किसानों के खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो यह इंजीनियर साहब भी यहां नहीं रहेंगे । इंजीनियर हैं, फसल की कटाई का समय आ गया लेकिन पानी नहीं है । एक मंत्री जी गये और जब किसानों ने उनसे कहा कि आप आते हैं दौरा कर के चले जाते हैं मगर हमारे खेतों में पानी नहीं है । हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे ? तो मंत्री ने जवाब दिया कि हम हवाई जहाज से बड़ी-बड़ी मशीनें बालू खोदने के लिये मंगा रहे हैं । ना मालूम कैसे हवाई जहाज से मशीनें जा रही हैं ? किसानों को पानी देने का काम कैसे होगा ? आप तुरन्त बड़ी-बड़ी मशीनें मंगवा कर ड्रेगिंग करवायें और पानी दें ।

मान्यवर, वहां पर बालू उठवा कर फिकवाने का काम किया जा रहा है । 3-4 साल में भी यह काम पूरा नहीं होगा और तब तक फिर बाढ़ आ जायेगी और बालू भर जायेगी । इससे सारा पैसा बरबाद किया जा रहा है और यह काम इसलिए किया जा रहा है कि सारा पैसा उनकी पाकेट में चला जाये । बुआई भी नहीं हुई, सिंचाई भी नहीं हुई और बलिया जिले में नहर विभाग द्वारा परताल का काम चालू है कि आपके खेत को पानी दिया गया है आप लगान दीजिये और किसान जब इसका विरोध करता है तो उसके लगान को तहसील के माध्यम से वसूलवाने की धमकी दी जाती है । अगर बलिया जनपद में पानी नहीं मिला है तो परताल नहीं होनी चाहिए और अगर सिंचाई का दाम सिंचाई विभाग लेता है तो मेरी स्पष्ट मांग है कि जो किसानों की बरबादी नहर के कारण हो गई है उन तमाम किसानों को मुआवजा सरकार दे ।

[श्री राम गोविन्द--]

दोहरीघाट जो बना है मान्यवर, मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि घाघरा नदी पर, जो सहायक परियोजना बनी है, उसकी शुरू से ही जांच करने की कृपा करें। उसमें निश्चित रूप से पायेंगे कि उसमें बनने के समय से आज तक लूट-पाट का ही काम हुआ है। ड्रेनेज विभाग के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में 3 तरफ से नदियां हैं। दक्षिण से गंगा, उत्तर में घाघरा और दोनों जाकर पूरब में मिल जाती हैं। बरसात के दिनों में इनमें ज्यादा पानी आ जाता है और छोटे-छोटे नाले आजमगढ़ की साइड से औटेहरा, कटेहरा, टौंस आदि नाली बीच से गुजरते हैं और बरसात के दिनों में सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। नदियों के किनारे की जमीन तो बरबाद हो ही जाती है लेकिन इस ड्रेनेज के कारण सारी फसल डूब जाती है। मकान गिर जाते हैं, फसल चौपट हो जाती है। इस तरफ भी इस विभाग का ध्यान जाना चाहिए और बलिया जनपद में उपयोगी दृष्टि से काम करना चाहिए।

हमारे जनपद में जब से ड्रेनेज विभाग खुला है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। संयोग से एक इंजीनियर भोला नाथ पाण्डे ने, उनको अपनी रंजिश के कारण स्थानान्तरित करवा दिया गया, 45 प्रतिशत जल निकासी की योजना को सफल बनाया था और आज जो पहुंच गये हैं एक-डेढ़ साल से एक भी काम नहीं हो पाया है। तो मैं आप के माध्यम से मंत्री जी मांग करता हूं कि आप दबाव दें कि ड्रेनेज विभाग नदियों पर बलिया में जल निकासी की योजना पर विस्तार से काम करवायें जिससे किसानों को राहत मिल सके। 2-4 साल पहले कुछ इंजीनियर लोगों ने एक योजना बनायी थी बलिया से पानी निकासी के लिए पम्पिंग द्वारा। तो सरकार ने यह बहाना बना दिया कि यह बहुत ही कास्टली योजना है इसलिए यह लागू नहीं होगी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे जल निकासी का काम सम्भव हो सके इसलिये पंप के द्वारा पानी बाहर निकालने की योजना को बलिया में लागू किया जाये।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवदर्शन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृपा करके मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। हमारा यह सिंचाई बजट जो आज हमारे माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है वह वास्तव में सराहना का बजट है जिससे हमारे प्रान्त की सिंचाई सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। सन् 1947 में जो सिंचाई सुविधायें थीं और आज हमें जो प्राप्त हैं वह सुविधायें उत्तर प्रदेश में कितनी ज्यादा रही हैं और कितनी ज्यादा हो गई है वह सिंचाई विभाग के लिए सराहना का कार्य है। मान्यवर, जहां हमारे प्रान्त को खुशहाली प्रदान करने के लिए, इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, देश में भुखमरी को समाप्त करने में योगदान दिया है वहीं पर कुछ हमारे देश और प्रान्त के किसानों के सामने कुछ दिक्कतें भी आई हैं। मान्यवर, जैसे कि हमारे क्षेत्र रायबरेली के बछरावां में दो नहरें हैं और उन दोनों नहरों के किनारे मैंने मोटर साइकिल से यात्रा करके देखा है कि वहां पर दो-दो सौ मीटर भूमि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हजारों एकड़ हो सकती है, आज पानी से भरी हुई है उसमें न तो धान की फसल हो पाई है और न गेहूं की। यदि वहां पर पक्की नाली बनाई हुई होती तो निश्चय ही इससे प्रान्त के उत्पादन में वृद्धि होती, गल्ले में वृद्धि होती, उनके बच्चों को खाने-पीने के लिये कुछ साधन बढ़े हुये मिलते।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में अभी-अभी जिस समय बाढ़ का भयानक प्रकोप था वहीं पर हमारे क्षेत्र से एक महाराजगंज ड्रेन जाती है जिसकी लम्बाई पूरे क्षेत्र में है। उससे हजारों गांव नष्ट हो चुके हैं, बरबाद हो चुके हैं, हजारों घरों की अबला माताएं और बहनें खुले आसमान के नीचे सोती हैं। मान्यवर, मेरा कहना आपसे यह है कि उस क्षेत्र में जो पुल है वह नीचे है उससे पानी निकालने का कार्य उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा कार्य वह बाढ़ उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इन पुलों के निर्माण में कितना पैसा लगा मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इन पुलों की नीचे बना करके गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा कष्ट दे दिया गया है। उन नहरों से जितनी सिंचाई होती थी अब पता नहीं क्या कारण है शारदा सहायक बनने के बाद इन दोनों माइनरों से बिलकुल ही पानी नहीं जाता। न मालूम इनका हेड ऊंचा है या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं जाता है। तीन साल जैसा कि सूखा पड़ा, उसके बाद बाढ़ आई। बाढ़ से सारी फसल नष्ट हो गई। सूखे में बिलकुल पानी नहीं मिल पाया। इस समय गेहूं की फसल के लिए किसी प्रकार से पानी नहीं मिल पा रहा है। सूखों की चपेट से और बाढ़ की चपेट से मारा हुआ किसान आज गेहूं की फसल नहीं पैदा कर पा रहा है। वह एक-एक दिन पानी का इन्तजार करता रहता है। मैंने लखनऊ डिवीजन के इंजीनियर साहब से सम्पर्क किया था। शायद उन्होंने कोई प्रयास किया कि एक किलोमीटर तक पानी गया और फिर उसके बाद रुका हुआ है। किसानों में झगड़ा होता है। आये दिन लाठी-डन्डे भी चलते हुये पाये जाते हैं। मेरा कहना यह है कि बाढ़ की विभीषिका से मरा हुआ किसान है उस के घर में गल्ला नहीं है। हमारे क्षेत्र में भवानीगढ़ राइपुर नेरुआ माइनर है जहां बाढ़ का पानी भरा है। मैंने स्वयं जा कर दोनों नहरों के क्षेत्र को देखा। जब कि धान काटा ही नहीं गया वहां के हमारे पतरौल महोदय ने सिंचाई लिख दी है। मैंने इसकी सूचना दी कि वहां सिंचाई माफ कर दें। आज तक कोई कार्यवाही सुनने में नहीं आई।

मान्यवर, इसके साथ ही कि सिंचाई विभाग की कुछ सराहना की जाये एक बात और कह देना चाहूंगा कि मैंने जो आज अपने विचार व्यक्त किये हैं माननीय सिंचाई मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह इन पर ध्यान दें और हमारे क्षेत्र की गरीब जनता के लिए सोच-विचार कर कोई अच्छा कार्य करें।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में सिंचाई विभाग के बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर.....

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मेरा भी तो नम्बर है....

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, माननीय शंकर सिंह जी ने सिंचाई अनुदान के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं इस का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की लगभग 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और मुख्य तौर पर उस का धन्धा खेती है। साथ ही साथ, मान्यवर, जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है इससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी आय होती है और इस आय का 54 प्रतिशत भाग इन सारी समस्याओं को दूर करने के काम में आता है। यह विभाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन विभाग का सम्बन्ध कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, सरकार आये दिन कृषि में उत्पादन के लिये निरंतर प्रयास करती है और बात भी करती है। कृषि का उत्पादन खाद, बीज और साथ सिंचाई की सुविधा पर निर्भर होता है लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितनी सिंचाई के साधन होने चाहिये वे वास्तव में आज हमारे देश में नहीं हैं। इसका एक कारण यह रहा है कि अभी तक जो व्यवस्था सिंचाई के सिलसिले में रही है वह नाकामयाब रही है। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े दे कर के सिंचाई के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को कुछ बातें बताना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में खास तौर पर सिंचाई के अनुदानों के सिलसिले में विशेषतया छठी पंच वर्षीय योजना का काफी बखान किया। गत पंच वर्षीय योजनाओं में सिंचाई के बारे में कुछ न कुछ होता आया है। यह कोई नई योजना नहीं है। लेकिन हम इस दरमियान कृषि के उत्पादन के सिलसिले में पानी देने के लिए कितना काम कर पाये हैं, कहां तक यह योजना कारगर हो पाई है यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

अपने प्रदेश में 233 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, 175 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फसल वास्तविक तौर पर बोई जाती है। साथ ही सिंचाई की जो क्षमता है वह 1979-80 में 86·94 लाख हेक्टेयर जमीन की थी और 1981-82 के बजट में उसको 4·60 लाख हेक्टेयर और बढ़ा दिया है। इन सब को जोड़ने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं अंग्रेजों के जमाने से जो व्यवस्था चली आ रही है उसे मन्त्री जी चाहते हैं कि वह इसी तरह से चलती रहे और अभी लगभग 32 साल इस प्रदेश के खेतों को पानी देने में और लगेगा। बताया जाता है और डींग मारी जाती है कि जनता शासन में सारी व्यवस्था चौपट हो गई है। मैं आपको व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुश्किल से 30 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई के साधन हैं और बाकी 70 फीसदी जमीन ऐसी है जो भाग्य और भगवान के सहारे रहती है। जब बरसात हो जाती है और फसल अच्छी हो जाती है तो मन्त्री जी पीठ ठोंकते हैं और चारों तरफ सरकार के गुणगान करने लगते हैं कि यह सब सरकार की देन है जिसकी वजह से पैदावार बढ़ी है। लेकिन जैसे ही सूखा पड़ता है, बरसात नहीं होती है, फसल चौपट होने लगती है तो यह मामला इन्द्र के सुपुर्द कर दिया जाता है कि यह उसका दोष है। स्पष्ट है कि यहां की सिंचाई की व्यवस्था इन्द्र और इन्दिरा के बीच में लटक रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे ऊपर उठकर आप सिंचाई

के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें और उचित व्यवस्था करें तभी प्रदेश का कल्याण हो सकता है ।

(व्यवधान)

आपके पास निगम भी हैं और ये निगम भी इसमें शामिल हैं ।....

श्री उपाध्यक्ष––

निगम के जिक्र में आप अगम हो गये हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव––

यह तो आपकी कृपा है । मान्यवर, मैं बाराबंकी जिले की समस्याओं के बारे में माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर शारदा सहायक की एक समानांतर शाखा है । जैसा कि ऊदल जी ने कहा और वहां की स्थिति का तस्किरा किया, मेरा भी ताल्लुक वहां से है इसलिए मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सीपेज का प्रकोप बढ़ा है जिससे कि दरियाबाद और फैजाबाद के बार्डर तक सब बुरी तरह से प्रभावित हैं । जिसका नतीजा यह हुआ कि जहां पर बहुत अच्छी फसल होती थी वहां सूखा पड़ गया है और उस जमीन में रेह के अलावा कुछ भी पैदा नहीं होने वाला है । बड़े अचम्भे की बात है कि पिछली बार काफी बरसात हुई थी जिसमें भी कुछ पैदा नहीं हुआ और सिंचाई दर्ज कर दी गई यह सब वहां के अधिशासी अभियन्ता की गल्ती के कारण हुआ है । यह बात वहां के जिलाधिकारी से भी तस्दीक की जा सकती है यह बात सही है लेकिन फिर भी आपके विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी । इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है । मान्यवर, रुदौली में दो लिफ्ट इरीगेशन काम कर रहे हैं । एक रुदौली लिफ्ट इरीगेशन योजना है और एक नौगवादी । रुदौली का शुभारम्भ 1973–74 में हुआ था । इससे किसानों को पानी 1–12–77 से मिलने की बात कही गयी थी । मैं बताना चाहता हूं कि दरअसल वह योजना कोई कारगर नहीं हुई उससे खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, वह ठप है । इस सिलसिले में यह कितनी सफल हुई इसके मैं आंकड़े बताना चाहता हूं जिससे मालूम हो जायेगा कि कितनी यह सफल हुई। 1977–78 में इससे 1894 रु0 मिले और 1978–79 में 2,093 रु0 मिले इस प्रकार दो सालों में 3,987 रुपया कुल वसूल हुए। इससे साबित है कि आपकी यह योजना बेकार है और आपके अधिकारी कोई तवज्जह नहीं दे रहे हैं । मैंने पिछले साल बजट के अवसर पर भी कहा था लेकिन कोई परवाह नहीं की गयी।

दूसरी योजना नौगवाडीह है जिसकी 1973 में बुनियाद पड़ी और 1976 से किसानों को पानी मिलने लगा लेकिन उससे कितनी आमदनी आपको मिली वह बताना चाहता हूं 1976–77 में 730 रु0 1977–78 में 1,369 रु0, 1978–79 में 1,559 रु0 और कुल मिला कर तीन सालों में 3,658 रु0 मिला। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में मुआइना किया जाय और देखा जाय कि लिफ्ट इरीगेशन की जरूरत है तो उसे रखा जाय वर्ना उसके स्थान पर नये ट्यूबवेल्स का निर्माण कराया जाय ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

इसके अलावा मेरे क्षेत्र रुदौली में एक गांव जैथरी है जिसमें घाघरा की तराई पड़ती है। बाढ़ के समय में नहरों का पानी खारिजा के जरिये 20 गांवों में फैल जाता है नतीजा यह होता है कि सालों तो कोई फसल नहीं हो सकती है। इसका भी मुआइना किया जाय और घाघरा की तराई में ड्रेनेज के द्वारा पानी को घाघरा में गिराया जाय जिससे वहां की जनता को काफी राहत मिलेगी।

खेती के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है उसको देने के कई साधन हैं जिसमें नहर और नलकूप मुख्य हैं। मैं नलकूपों के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार बराबर घोषणा करती जा रही है कि सिंचाई की सुविधा बढ़ी है और हमने दो हजार ट्यूबवेल लगा दिये हैं। तो खाली ट्यूबवेल लगाने से काम चलने वाला नहीं है। अगर ट्यूबवेल लग जाते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या बिजली की आ जाती है। दिखाने के लिए खम्भे खड़े कर दिये जाते हैं तार लगा दिये जाते हैं लेकिन सालों तक बिजली नहीं मिलती। कागज पर आपका काम हो जाता है बिजली के अभाव में पानी नहीं पहुंच पाता है। आपके और बिजली विभाग में कोआर्डिनेशन होना जरूरी है, जब तक वह नहीं होगा तब तक सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है।

इसके अतिरिक्त आपका विभाग बाढ़ नियंत्रण का काम भी करता है। पिछले वर्ष जितनी जबरदस्त बाढ़ आई उतनी पिछले 10, 20 सालों में भी नहीं आई और आपके अधिकारी काम तब शुरू करते हैं जब बाढ़ सर पर आ जाती है और चली जाती है क्योंकि करते तो कुछ हैं पैसा दिखा देते हैं कि इतना खर्च हो गया। तो वह रुपया भी बह जाता है, बहता नहीं है बल्कि बड़े-बड़े आफिसरों की पेट में हजम हो जाता है। तो इसका समाधान करने के लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

माननीय, बाढ़ के दिनों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि तराई के इलाके के लोग, नदी के इलाके के लोग अपने ग्रामों में पानी भरने के कारण बेघर हो जाते हैं, उनको रहने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए आप पूरे प्रदेश का सर्वे करायें, निरन्तर बाढ़ से छुटकारा दिलाने के लिए कि जो लोग नीचे बसे हुये हैं, उनको अलग हट कर ऊपर छोटे-छोटे मकानों में बसायें, जिससे इस समस्या का हमेशा के लिए निदान हो सके। अभी निगम के बारे में विचार हुआ, नलकूप निगम अभी सरकार ने तयार किया है। बहुत से निगम हम लोगों ने देखें। मंत्री जी निगमों के एक्सपर्ट हैं, लेकिन यह निगम एक सफेद हाथी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उनकी स्थापना निरन्तर करती जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि निगमों के चक्कर में आप न पड़ें, वास्तव में आप अपने प्रदेश और देश की सिंचाई समस्याओं से अवगत हों और इनको सोच-विचार कर, नई प्रेरणा के आधार पर सिंचाई व्यवस्था चलाएं।

*श्री राजकुमार राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह सिंचाई का बजट माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने बहुत ही सूझ-बूझ के साथ इस सदन के पटल पर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष--

वीर बहादुर जी ने रखा है या सिंचाई मंत्री जी ने ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजकुमार राय--

मैं संशोधन करता हूं, सिंचाई मंत्री जी ने रखा है। इसमें उन्होंने नहरों, नलकूपों तथा सिंचाई के अन्य साधनों को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया है। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए उपस्थित हूं, मजबूर नहीं हूं और विपक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं। लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिन पर उनकी नजर नहीं गई है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी उस पर ध्यान दें। सबसे विषम समस्या जिसको मैं समझता हूं सबको सामना करना पड़ता है, वह कमाण्ड एरिया की समस्या है। जहां भी, जिस क्षेत्र में आप जाएं नलकूप लगाने या वसूली की बात करें, इसमें सब में कमाण्ड एरिया का प्रश्न आता है। बहुत पहले सिंचाई विभाग के लोगों ने कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया था और जब हम नलकूप या दूसरे सिंचाई साधन की मांग करते हैं तो वह हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो पहले कमाण्ड एरिया निश्चित की गई है, उसको दिखवा कर उसकी आप जांच करा लें और जो क्षेत्र कमाण्ड एरिया के नाम पर असिंचित पड़े हैं, उनको उससे लाभ पहुंचे।

मैं दूसरा निवेदन पड़ताल के बारे में करूंगा। एक तरफ तो एक ही जमीन की पड़ताल नहर से, दूसरी तरफ नलकूप से होती है, जिससे किसान न नहर से पानी पाता है और न नलकूप से। सिंचाई उसने अपने साधन से, प्राइवेट नलकूप से या ढेंकुली से की, लेकिन उसका पैसा उसे सरकार को देना पड़ता है। आपके यहां ऐसा कोई फोरम नहीं है, जो किसान के शिकायत करने पर उसकी जांच कर सके। उसकी चेकिंग भी नहीं होती। जो परताल है अमीन और पतरौल ने चाय की दूकान पर सारे गांव की परताल कर ली चाहे फसल बोई गयी या नहीं बोई गयी। मैं सिंचाई मंत्री से कहूंगा कि इसके लिए कोई ऐसा फोरम बनाया जाय जो इसकी जांच तुरन्त कर सके और 10 परसेन्ट चेकिंग करा कर जिसकी गलती हो उसे सजा दे सके। ड्रेनेज की समस्या है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरी यह दृढ़ धारणा है जितनी भी ड्रेनेज हैं आजमगढ़ जिले में उनमें से अधिकतर कागजी हैं। मौके पर अगर जायं तो देखने में यह मिलेगा कि नहरें जून के आखिरी दिनों में बेकार हो जाती हैं। इतनी बरसात हुई, इतना पानी गिरा कि वह सब मिट्टी हो गयी। अगर इस तरह ड्रेनेज को खुदवाते हो तो उसकी जांच दूसरे विभाग से कराई जाय वर्ना अकेले सिंचाई विभाग के भरोसे छोड़ देने से कुछ होने वाला नहीं है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ड्रेनेज के मामले में बहुत मनमानी की है।

ठेकों के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि जो अनुबन्ध सिंचाई विभाग के इंजीनियर देते हैं उनको इतना डिस्क्रीशन है कि कोई भी ठेकेदार सही या गलत कार्यवाही करे उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं एक ऐसे ठेके की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं जो 1978-79 में हुआ था। शारदा सहायक 32 में 4 पुलों के अनुबन्ध हुए थे। लल्लन सिंह ठेकेदार थे और बीमारी के नाते उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिये और सी0 एम0 ओ0 ने उनको काउन्टर साइन भी किया, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट को मान लिया गया। जे0 ई0, ए0 ई0, ई0 ई0 मान

[श्री राज कुमार राय--]

लेते हैं कि आदमी बीमार है और उसमें काम कराने की क्षमता नहीं है लेकिन व्यक्तिगत विरोध किसी कारण से ऐसे किसी आदमी से हो गया जो ठेकेदार से सम्बन्ध रखता था तो एस० ई० ने उस प्रोपोजल को रिजक्ट कर दिया यह लिखते हुए कि सुरक्षित पैसा लौटा दिया जाय अगर राज्य सरकार को कोई हानि न होती हो। जब उसे बीमार मान लिया गया तो क्या कोई भी कारण आड़े आ सकता था। काम कराने में कोई पैसा अगर बच जाता तो क्या वह ठेकेदार को लौटा दिया जाता ? इस तरह से विभागीय अधिकारी तर्क का गला घोंट कर जैसा चाहें डिस्क्रीशन ले लेते हैं।

दूसरा मामला हस्तान्तरण का है। जनपद आजमगढ़ में मार्च के महीने में बजट को युटिलाइज करना था। मामला ई० ई० के पास पड़ा है। ट्रान्सफर नहीं होना है तो न हो और अगर होना है तो हो जाय। अधिकारी लखनऊ की दौड़ लगाता है। आज ट्रान्सफर होता है, कल कट जाता है। मार्च का महीना है और काम रुका पड़ा है। इसको फौरन तय होना चाहिये था। इन शब्दों के साथ में बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं।।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि सिंचाई अनुदानों पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, एक शेर मुझे याद आ रहा है जो इस प्रकार है :

न पूछो क्या गुजरती है, दिले खुद्दार पर अक्सर जब किसी नामेहर को
मेहरबां कहना ही पड़ता है,
हमारे सामने जिसने बहारे अन्जुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अन्जुमन कहना ही पड़ता है।
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है।
कभी-कभी ऐसा भी होता है, जमाने में,
कि रहजन को अमीरे कारवां कहना ही पड़ता है।

(इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

तो मान्यवर, उनकी मजबूरी है। अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं कि जिसकी समस्यायें आज कल हिन्दुस्तान के अखबारों की सुर्खियों में छपी हुयी हैं। मान्यवर, इस इलाके में यमुना, चम्बल, कुंवारी, सेंध और पहूज पांच नदियां हैं जिनमें बीहड़ और बियाबान जंगल हैं और उसमें रातों में विचरण नहीं कर सकते, दिन में भी उन बीहड़ों में आप निकल नहीं सकते हैं। बेहमई कांड उसका एक उदाहरण है। फूलन देवी, मलिखान सिंह और घनश्याम सिंह जैसे लोग उन जंगलों में डेरा डाले पड़े हैं और उनका एक लम्बा इतिहास रहा है। मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर वे डाकू क्यों बनते हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें वे बागी होने पर मजबूर रहते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर या तो उन बीहड़ों में मारे-मारे फिरते हैं या मिलिटरी की

सेवा करते हैं। उसका कारण केवल यही है कि मिलिटरी में जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उनके पास जमीन भी रहती है लेकिन उसमें पैदा करने के लिए कोई साधन नहीं हैं। वर्ष 1975 में भी जहां पर पांचों नदियां मिलती हैं, जिसे पंच नदी भी कहते हैं उसके लिए एक योजना बनी थी। फतेहपुर में हुई कैबिनेट की मीटिंग में उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी थे। वह सूचना समाचार-पत्रों की सुर्खियों में भी छपवायी गयी थी और आल इंडिया रेडियो पर स्टेटमेंट भी प्रसारित हुए कि पंचनद की योजना के लिए 1200 करोड़ रुपया निश्चित किया है। उसका एडवान्स सर्वे भी हुआ और उसमें लाखों रुपया भी लगा। उस समय यह भी व्यवस्था की गयी थी कि उसके लिए एक डिवीजन साइट पर भी खोली जायेगी और एक सर्किल भी खोल दिया गया।

मैं निश्चित रूप से शासन को दोषी मानता हूं कि जो योजना वर्ष 1975 में बनी वह योजना आज तक भी कार्यान्वित न हो सकी। केवल कागजों पर धरी रह गयी, धरती पर नहीं उतारी गयी। मैं पंच नद की बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह मेरे क्षेत्र में पड़ता है बल्कि यह योजना इटावा, जालौन जिलों के अलावा फतेहपुर और कानपुर जितने भी पूर्वी प्रदेश के जिले हैं और यहां तक की बिहार के लिए भी लाभदायी सिद्ध होगी। यदि पंचनद की योजना कार्यान्वित होती है तो न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश अपितु बिहार की बाढ़ को भी रोकने में सहायक होगी। मैं निश्चित रूप से शासन को दोषी ठहराऊंगा क्योंकि इसकी बेनिफिट कास्ट 6 : 1 है लेकिन फिर भी आज तक यह योजना खटायी में पड़ी हुयी है। जो डिवीजन साइट पर खुलने की बात है उसको इटावा में 70 मील पर खोल दिया गया जिसमें कुछ लोगों को रोजगार दे दिया है। वहां के अधिकारी जब चाहते हैं दिल्ली और अलीगढ़ की सैर कर आते हैं और दिल्ली और लखनऊ की योजना में चलते हैं। 11 मार्च, 1981 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की कल्पी में एक जनरल मीटिंग हुयी थी डाकू उन्मूलन की समस्या के निराकरण के लिए, ताकि वहां के बीहड़ और रेवीन्स जलमग्न हो जायें। इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दिया गया। और उन्होंने केवल 10 दिन का टाइम घोषित किया है कि इन दिनों में इस योजना को स्वीकार कर उसका कार्यान्वयन कर दिया जायेगा।

मान्यवर, क्वारी पार में जो पहले ट्यूबवेल्स लगाये गये थे उनमें आज तक एक बूंद पानी भी नहीं मिला है। आप पानी वाले मंत्री हैं तो कृपया पानी निकाल कर बताइये। एक श्लोक है--

रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयताम्
अम्भोदाः बहवोहि सन्ति गगने, सर्वेतु न एतादृशा।
केचिद् वृष्टि भिर्वयान्ति वसुधा, गर्जन्ति केचिद् वृथात् :
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, माब्रूहि दीनं वचाः।

इसका अर्थ है--हे मित्र पपीहा सावधान। मनसे थोड़ी देर सुन, आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ की गर्जना करते हैं। इसलिये तुम जिस-जिस को देखते हो उस-उस के आगे दीनवाणी मत कहो। तो श्रीमन्, मैं चूंकि जानता हूं कि

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट--]

आप पानी वाले नहीं हैं, पानी आप दे नहीं पाये हैं, इसलिए मैं आपसे पानी की अर्चना नहीं करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया। सिंचाई मंत्री जी की तरफ से जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे कुछ सुझाव हैं, जो किसी दलगत राजनीति के आधार पर नहीं हैं, बल्कि किसानों के हित के लिये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सेवा में उनको कहना चाहता हूं।

मैं आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र से आता हूं जहां पर पानी का बहुत ही प्रभाव है। अभी हमारे विरोध पक्ष के एक साथी ने एक श्लोक कहा था, मैं भी उनकी सेवा में एक श्लोक कहना चाहता हूं।

सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेकः परमामपदम्,

वृणु तेहि विमृश्य कारिणाम् गुण लब्धाः स्वयंमेव संपदः।

इसका तात्पर्य है कि यकायक बिना सोचे समझे, बिना विचारे, न कोई बात कहना चाहिये न करना चाहिये, सोच विचार कर, स्थिति की गम्भीरता का अध्ययन करके जो काम किया जाता है तो उससे काम में सफलता होगी और जनता का लाभ होगा। आपने जो श्लोक कहा था उसका मतलब तो यह था कि बादल बहुत से आते हैं, मडराते रहते हैं, पर सभी पानी नहीं देते।

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी को मैं इस बजट के लिये धन्यवाद देते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो-तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। यहां पर सिंचाई के दो विभाग हैं--एक नलकूप विभाग है और दूसरा नहर का विभाग है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह नोट करें कि इनके जो नलकूप हैं, वे प्रायः खराब पड़े हैं, सबसे पहले नलकूपों की देखभाल कराई जाय और वहां पर जो कर्मचारी रखे गये हैं, वह ठीक तरह से अपने समय से काम पर नहीं जाते हैं। प्रायः इस बात की शिकायत है।

दूसरी बात यह है कि नलकूप के परिचालकों के लिए 1978 में आजमगढ़ जिले में, और जगह तो मालूम नहीं है, बहुत से लोगों के लिये नौकरी देने के लिए आपने कर्मकाण्ठ किया था। लड़के हजारों की तादाद में आये हुए थे, किसी कारण से उस समय की गवर्नमेन्ट ने ऐन मौके पर उन परिचालकों के पदों को भरने के लिए रोक दिया था और आज तक वह चुनाव नहीं हुआ और न जगहें भरी गयीं। आप उनका चुनाव तत्काल करायें, ताकि पढ़े-लिखे जो बेकार पड़े हुए हैं, वह लग जायं। हमारे यहां शारदा सहायक से बहुत लाभ पहुंच रहा है। शारदा सहायक संयोगवश हमारे क्षेत्र में दौड़कर जा रही है। एक चीज उसमें देखना है कि मुआवजा उसका नहीं मिल रहा है। अब वह जो फसल है, वह भी कट गयी। मैं 46 खण्ड शारदा सहायक आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता के बारे में बताना चाहता हूं कि नीचे के अधिकारियों ने आजकल के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रेट पर मुआवजा निश्चित करके उनको संस्तुति करके भेजा है। 4 महीने हो गया, उनका पेमेन्ट श्रीमन् नहीं हुआ। तो ऐसी दशा में अगर उनका पेमेन्ट नहीं होगा और मौके पर जाकर हम लोगों ने कहा था कि आप लोग अपनी फसल काटने दीजिये और यह पानी का मामला है, सब लोग मान गये थे, बड़ी बदनामी हो रही है और जिसकी फसलें कट गयीं और नहर भी खुद कर तैयार हो गयी है, तो उसको जरा देखना चाहिये।

दूसरी बात श्रीमन्, यह कहना है मैं आपको जहां-जहां पर चकबन्दी हो रही है और वहां नहर खुद रही है, खासतौर से मैं निजामाबाद, आजमगढ़ के क्षेत्र की बात कह रहा हूं, वहां पर चकबन्दी भी हो रही है और नहर भी खुद रही है, तो आप चकबन्दी के मंत्री जी को एक पत्र लिखें कि जहां-जहां पर चकबन्दी हो रही है, वह यह करें कि यह जमीन को सामूहिक रूप से काटेंगे, इसको न करने से बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है और काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसको आप देखें। कमाण्ड एरिया के बारे में यह कहना है कि उसमें बहुत कुछ सुधार लाने की जरूरत है। अगर सुधार नहीं लाया जायगा, तो हमारा काम नहीं चलेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि निजामाबाद क्षेत्र के अम्बरपुर गांव में नहर बनकर तैयार हो गयी है, दो-तीन वर्ष से तैयार हो गयी है, कुछ काम भी दे रही है, लेकिन वहां पर पुलिया नहीं है। कई बार श्रीमन्, कहा गया, आज तक बहुत कुछ कहा गया, वहां पर पुलिया नहीं बन पाई, जिसकी वजह से गांव के लोग जो हैं, स्कूल के लोग जो हैं, वे लोग आ-जा नहीं सकते हैं। जहां-जहां शारदा सहायक नहर खोली जा रही है, वहां पर सबसे पहले पुलिया की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये, क्योंकि पुलिया के अभाव में सारा काम रुक जाता है। तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जरूर चाहूंगा कि इन चीजों को नोट करें। यह जब से आये हैं, जब से इन्होंने काम शुरू किया है सिंचाई विभाग का काम अच्छा है। लेकिन उसमें कुछ सुझाव की जरूरत है, उसको अगर कार्यान्वयन करायें, तो जनता का बहुत बड़ा लाभ होगा। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

(4 बजकर 39 मिनट)

श्री खैरूल बशर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई के अनुदानों पर कटौती के सम्बध में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं बुनियादी तौर पर इस सदन में एक अहम सवाल रखना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर सिंचाई योजना के इतिहास को देखा जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसकी गति इतनी धीमी है कि अभी आधी सदी लगेगी इस नारे को साकार बनाने में कि "हर खेत में पानी"। जिस गति से हम चल रहे हैं, इसमें कुछ बुनियादी सवाल हैं, जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं। 1945-46 में 32·46 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ था और अब तक टोटल इन्वेस्टमेन्ट 17 अरब 63 करोड़ 95 लाख रुपये का हुआ है। मैं यह देखता हूं कि इन्वेस्टमेन्ट तो 55 टाइम बढ़ गया लेकिन सिंचाई केवल ढाई गुनी बढ़ी है। इसलिये कि बजट में जो लक्ष्य रखा गया है, वह 91 17 लाख हैक्टेयर का

[श्री खंदल बशर—]

रखा गया है, इससे आप अन्दाज लगाइये कि कितने बड़े पैमाने पर फिजूलखर्ची हो रही है। यह सिंचाई विभाग का बजट है, अरबों रुपया कहां जा रहा है। यह बजट किसने बनाया है। इससे हमारे प्रदेश को कितना लाभ होता है, अगर हम इस पर विचार नहीं रखेंगे तो प्रदेश को बहुत बड़ी हानि होगी।

हमारे बजट में जो भी नीति है, वह इतनी गलत है कि इस अनुदान की मांगों में जो रकम दी गई है, उससे विकास की जो गति है, वह पूरी नहीं हो पाती। उसका कारण यह है कि यह योजनायें तमाम ब्यूरोक्रेसी के हाथों है, तमाम सफेद हाथियों के हाथों में हैं, जो इस प्रदेश की प्रगति को रोक रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं। अरबों रुपया लूटकर खा रहे हैं। सिंचाई में हमारा प्रदेश तमाम प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है और आज भी हम इसके लिए रो रहे हैं। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कल्टीवेशन की जो जमीन है वह 2 करोड़ 13 लाख 55 हजार हेक्टेयर में है, जिसकी कि हमें सूचना है। जब हम 91 लाख हेक्टेयर में पहुंचे हैं तो आप अनुमान लगाइये कि कितना समय लगेगा। आज हम को केन्द्रीय सरकार को करोड़ों रुपया टैक्स की शक्ल में देना पड़ता है। इस साल जो बजट रखा गया है, इसमें 1981–82 में 94 करोड़ 14 लाख रुपये का घाटा दिखलाया गया है और यह घाटा हमें केन्द्रीय सरकार को सूद देने के कारण अधिक बढ़ जाता है। केन्द्रीय सरकार को जो सूद देना पड़ता है, वह काफी लम्बी चौड़ी रकम है। इसका अधिकांश हिस्सा केन्द्रीय सरकार को टैक्स देने में ब्याज देने में खत्म हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इसमें है। हमारी जनता पर टैक्स का इतना बड़ा बोझ है और उससे विकास की दर बहुत पिछड़ी है। मैं एक दो कारण और देना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों 2–3 दिन हुए, चर्चा हो रही थी, एक डी० डी० सानवाल हैं, उनके बारे में इस सदन के अन्दर बड़ी चर्चा हुई। एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कि अपने खण्ड को लूट रहा है, हमें पता लगा है कि योजना बन रही है, कि उसे चीफ इन्जीनियर बना दिया जाय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसे चोर बाजारियों को गोली मार दो या बिजली के खंभे में लटका दिया जायेगा, ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक आपकी योजनाओं से कुछ भला नहीं होने वाला है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हरदोई जिले में मल्लावां क्षेत्र में शारदा नहर मील नं० 106 पर टूट गयी थी। इसलिये जनता पार्टी के समय में नहर के टूटने से जो क्षति पहुंची थी उसके सम्बन्ध में सरकार ने तय किया था कि उसका बोझ किसानों से नहीं लिया जायेगा लेकिन आज उस नहर के टूटने का खर्च किसानों पर डाला जा रहा है जबकि किसानों के खेत उस पानी से डूब गये थे जिससे उनकी फसल को क्षति पहुंची थी, इसलिये मेरा अनुरोध है कि उस बोझ को रोका जाय।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई नहर नहीं है इसलिये सिंचाई के लिये हमारे यहां के सम्बन्ध में व्यापक योजना बनायी जाय और ट्यूबवेल लगाये जायं। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा)-अनुदान संख्या 69--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 104--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 105--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

*श्री मान पाल सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर समर्थन के लिये बोलने का अवसर दिया। सिंचाई एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विभाग है। कृषि के लिए इससे आवश्यक चीज और कोई नहीं हो सकती है। उत्पादन तभी बढ़ेगा जबकि सिंचाई के साधन अच्छे हों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 27,50,000 हेक्टेयर भूमि सरकारी साधनों से सींची जाती थी और वह आज 1980 में 91·17 लाख हेक्टेयर सींची जाती है सरकारी साधनों से जो आजादी से अब तक सवा तीन गुना बढ़ पाया है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उसके उत्तर में गंगा बहती है और वहीं पर बूढ़ी गंगा का उद्गम होता है। बूढ़ी गंगा की मूल धारा थी और जब गंगा ने अपनी धारा बदली तो पुरानी गंगा को बूढ़ी गंगा कहा जाने लगा। बूढ़ी गंगा में गंगा का कटान जारी है जिससे हार्नपुर और महमूदपुर के पास लगभग एक फर्लांग बचा होगा। यदि गंगा बूढ़ी गंगा में आ गयी तो सोरों नगर और बहुत से गांव और न्योली शुगर फैक्टरी गंगा और बूढ़ी गंगा की चपेट में आ जायेंगे एवं जिले का 1/4 भाग उसमें डूब जायेगा। यह गम्भीर समस्या है। इसके सम्बन्ध में जब मैं सोरों क्षेत्र से विधायक पहले था तो सदन में कई बार यह मामला उठाया था लेकिन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, हर साल 2-4 गांव उससे कट जाते हैं। इसलिए वहां की यह एक अहम समस्या है। इसकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, बदायूं की तरफ उत्तर में गंगा का बांध बना है और उसमें स्पर लगे हैं। इससे गंगा का कटान एटा की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए इस कटान को रोकने के लिए जगह-जगह पर स्पर लगाये जायं। महमूदपुर, इस्माइलपुर, बड़ौदा में स्पर लगा दिये जायं तो कटान की समस्या कुछ कम हो सकती है। मान्यवर, पहले जब इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था तो यह कहा गया था कि सिंचाई विभाग का प्लानिंग एण्ड इंवेस्टीगेशन विभाग एवं सिंचाई विभाग इसको देख रहा है लेकिन मालूम नहीं 3-4 वर्ष से वह अभी तक क्यों नहीं देख पाये हैं। यह बड़ी कठिन समस्या है इसलिए मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। मान्यवर, सोरों ब्लाक के पश्चिम में लगभग 40 गांव ऐसे होंगे जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। ट्यूबवेल वहां लगाना बहुत जरूरी है। पिछली बार सर्वेक्षण कराया गया था तो यह रिपोर्ट आई थी कि वहां पर बड़े ट्यूबवेल नहीं लगाये जा सकते हैं और साढ़े 7 हार्स पावर और 10 हार्स पावर के मिनी ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं लेकिन जब नलकूप विभाग वालों से बात किया तो उन्होंने कहा हमारे यहां इस प्रकार की कोई योजना नहीं है हम इस तरह के छोटे ट्यूबवेल नहीं लगाते हैं। जब माइनर इर्रीगेशन वालों से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम तो प्राइवेट नलकूप लगाने वालों को ऋण देते हैं हमारे यहां कोई ऐसी योजना नहीं है। वहां का गरीब किसान कैसे बिजली लगा सकता है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए कोई विशेष योजना बनाई जाय साढ़े 7 हार्स पावर या 10 हार्स पावर का ट्यूबवेल लगाने हेतु।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मान पाल सिंह एडवोकेट—]

मान्यवर, बहुत से ट्यूबवेल जब मैं सन् 1974 में कासगंज क्षेत्र से चुनकर आया था दूसरे क्षेत्र सोरों से चुनकर पुनः कासगंज से आ गया लेकिन वहां पर लाइन नहीं खिंची इस तरह से काम होगा तब कैसे काम चलेगा सरकारी रुपया जहां पर खर्च हुआ है बोरिंग बेकार हो रही है । मैं 2 बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । जब कभी ट्यूबवेल लगाने की बात आती है तो कमान्ड एरिया कह दिया जाता है नहर का कमान्ड एरिया ऐसा है जहां आज तक पानी ही नहीं पहुंचा है जब एक ही व्यवस्था है नहर और ट्यूबवेल दोनों सरकारी विभाग है जहां पर कभी पानी नहीं पहुंचा है उसको कमांड एरिया से बाहर घोषित कर दें । इसके लिए मुख्यालय से आदेश जाने चाहिए । माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह आदेश भेज दें कि नहर से जहां पानी नहीं पहुंचा है वह क्षेत्र कमान्ड एरिया से बाहर घोषित कर दिया जाय । फर्रुखाबाद, अनूप शाखा, एल0 जी0 सी0 है इनकी पटरी को पक्का कर दिया जाय, जिससे कटान की समस्या जो है वह भी समाप्त हो जायेगी और जो रखरखाव की बात नहीं हो पाती है और पटरी कटने की वजह से किसानों की फसलें बरबाद हो जाती है वह भी सुरक्षित हो सकेगी । मान्यवर, किसान को मुआवजा देने के बजाय उसके ऊपर तवान किया जाता है इसके बाद मैं माननीय मंत्री का स्वागत करता हूं ।

*श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि बोलने का अवसर दिया । माननीय शंकर सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं । माननीय सिंचाई मंत्री ने अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए प्रदेश की भूमि की सिंचाई का प्रयास किया है लेकिन उनका प्रयास कहां तक सार्थक होगा यह भविष्य तय करेगा । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि छठीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल को समाप्त करने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा सिर्फ नदियों को बांधने के, बांध बनाने का काम रहेगा । मान्यवर, यह जो सिंचाई विभाग की पुस्तिका छपी है 1980–81 के सन्दर्भ में दिया गया है कि 91.17 लाख हेक्टेयर हमारा लक्ष्य है पूरा करने का और उसी पुस्तिका में आगे दिया है सरकारी साधन से जो सिंचाई हो पा रही है, 1980–81 में उसमें 50 प्रतिशत सिंचाई हो पायेगी । यह बहुत कम है । एक तरफ यह बात दूसरी तरफ यह बात दोनों बातों को स्वीकार किया गया है । इस तरह दुविधात्मक स्थिति में प्रदेश को रख कर क्या काम करेंगे, मुझे शक होता है । मान्यवर, इस तरह प्रदेश की बाढ़ को रोकने के लिए यह कहना चाहता हूं कि शारदा नदी पर पंचेश्वर बांध, राप्ती नदी पर भालू बांध, घाघरा नदी पर करनाली बांध जो है वह नेपाल के सहयोग से बनाये जा रहे हैं । साथ ही साथ इन नदियों पर कारगर ढंग से बाढ़ की रोकथाम के लिये भारत सरकार से 5 करोड़ रुपये की बात चली है जो शायद स्वीकार भी हो गई है जिससे बाढ़ नियंत्रण कार्य हो सकेगा । लेकिन मैं भी इस विधान सभा में कई बार चुन कर आता रहा हूं । इस बाढ़ नियंत्रण का कार्य वर्षों, वर्षों से लटका हुआ है । सरकार तो एक बार बदली लेकिन कांग्रेस सरकार शुरू से यहां कार्य करती चली आ रही है । लेकिन आज तक इन बांधों के लिए कोई कारगर योजना नहीं बनी और इसी का फल है कि आज पूरा प्रदेश बाढ़ के समय डूबता दिखाई देता है । इसके अलावा माननीय मंत्री जी जो नहरों से सम्बन्धित बातें हैं उनमें अंग्रेजों के जमाने से जो नहर ऐक्ट बना हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और जो तवान की प्रक्रिया है, आपके विभाग वाले नहर खुद काट देते हैं और पूरे गांव पर तवान लगा देते हैं। वह तवान माननीय अध्यक्ष जी लगान का एक गुना नहीं बल्कि 4 और आठ गुना होता है। सन् 1947 से अपना शासन हुआ, जो इंजीनियर हैं, शासन करने वाले लोग हैं किसी का ध्यान इस पर नहीं गया है और जो नहर ऐक्ट है वह अव्यवहारिक रूप में आज भी है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह काम इंजीनियरिंग विभाग या शासन के दिवालियेपन का एक सबूत है। क्योंकि हम किसानों की बातें करते हैं लेकिन किसानों के हित में कोई काम ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है जिससे किसान का भला हो सके। नहरों के किनारे पटरियों पर किसान के डनलप चलते हैं, उनके ऊपर दंड लगाया जाता है। मंत्री जी को याद होगा क्योंकि हम और वह पड़ोसी हैं। उन्हीं पटरियों पर प्राइवेट ट्रक चलते हैं तो उन पर कोई रोकथाम नहीं होती है क्योंकि वे बड़े लोगों की होती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नहरों के सम्बन्ध में जो नियम हैं वह आज अव्यवहारिक हो गये हैं उनको बदला जाय। आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं, मेरी नीयत तो नहीं है लेकिन एक बात की शोहरत हो गई है कि आपके क्षेत्र में जो नहरें हैं उन पर चलने वाले जो रास्ते हैं उनको पक्का किया जा रहा है और जो क्षेत्र गोरखपुर के अन्य लोगों का है उसको पक्का नहीं किया जा रहा है बड़ी तेज यह शोहरत है कि मंत्री जी अपने क्षेत्र की नहरों के किनारे सीलिंग और पक्का कराने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और चाहूंगा।

मंत्री जी ने यह कहीं नहीं कहा है कि इनके विभाग में, जो हरिजन और पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनका जो आरक्षण पूरा नहीं है उसको आप पूरा करने जा रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, यह जो सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का कार्य प्रगति का संक्षिप्त विवरण 1979–80 का है इसके पृष्ठ 62 पर आप देखें: इसमें समूह (क) में 709 कर्मचारी हैं जिसमें 15 शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी हैं। इस तरह से इनका प्रतिशत 1.9 है। इसी तरह से समूह (ख) में 2007 कर्मचारी हैं जिनमें 52 शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी हैं। इनका प्रतिशत 2.5 आता है। समूह (ग) में 8011 कर्मचारी हैं जिसमें 976 सेड्युल कास्ट के कर्मचारी हैं। इनका प्रतिशत 12.18 आता है। समूह (क) में शेड्यूल ट्राइब्स के कर्मचारियों की संख्या शून्य है। समूह (ख) में शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या 2 है और इनका प्रतिशत 0.1 आता है। समूह (ग) में शेड्यूल ट्राइब्स के 10 कर्मचारी हैं जिनका प्रतिशत 0.12 आता है। इसी तरह से समूह (क) में पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों की संख्या 33 है और प्रतिशत 4.2 है। समूह (ख) में पिछड़ी जाति के 103 कर्मचारी हैं और इनका प्रतिशत 4.8 आता है। समूह (ग) में 879 पिछड़ी जाति के कर्मचारी हैं, जिनका प्रतिशत 10.9 आता है।

श्री अध्यक्ष––

आप समाप्त करें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा असन्तोष है माननीय मंत्री जी ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अनवार खां--

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट सिंचाई का पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये और जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय गौरी शंकर जी ने एक शेर पढ़ा था मैं बहुत देर से बेचैन था कि उसका जवाब दे दूं। मैं एक शेर कहना चाहता हूं :--

फरेब देके मकाये वफा को लूट लिया,

पुजारी बनके खुद देवता को लूट लिया।

और सितमगर तो देखो कि मंजिल पर पहुंचकर अहले काफिले ने मंजिल को लूट लिया। (शोर)।

श्री मोहन सिंह--

पहले बैठते इधर ही थे, अब उधर जाकर शेर को सीख लिया।

श्री अनवार खां--

यह कहकर हमारी बात छुपी नहीं, सलीका चाहिये फूलों से गुफ्तगू के लिए।

श्री धर्म सिंह--

मान्यवर, यहां पर मुशायरा होना चाहिए, क्योंकि लोगों में अब बजट में दिलचस्पी नहीं रही।

श्री अनवार खां--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा, वह यह कि मेरे क्षेत्र में (शोर)

श्री अध्यक्ष--

श्री शंकर सिंह जी आप कृपया बैठिये, आप न बोलें, आपने तो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

श्री अनवार खां--

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं अलीगढ़ जनपद से चुनकर आया हूं। लेकिन वहां दो कैनालें हैं। एक नरौरा डिवीजन और दूसरी अलीगढ़ डिविजन कैनाल। मान्यवर, नरौरा और अलीगढ़ डिवीजन में सिंचाई केवल 35 प्रतिशत होती है और बाकी 65 प्रतिशत भूमि की सिंचाई नहीं होती और इससे 65 प्रतिशत फसल सूखी खड़ी रह जाती है और मान्यवर, अगर इसके लिए इक्जीक्यूटिव इंजिनियर से मिला तो उन्होंने कहा कि हम कुलाबा नहीं दे सकते और न ही मंत्री जी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी से कहिए कि वह नलकूप दे दें। (शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनवार खां--

तो इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो 65% भूमि को सिंचाई नहीं हो पा रही है, सिंचाई साधनों की कमी के कारण । जिससे किसान परेशान हो रहा है, तड़प रहा है । उसको इस तड़पन को दूर करने की कुछ व्यवस्था कीजिए । हमें ट्यूबवेल लगाने की इजाजत दे दीजिए । क्योंकि आपके कैनाल के अधिकारीगण इसके लिए भी तैयार नहीं हैं । आप अगर ऐसे कोई आदेश दे दें तो वहां की त्रस्त जनता को कुछ राहत मिलेगी । नलकूप लग जायेंगे तो जो सूखे से उत्पादन का नुकसान हो रहा है, वह नहीं होगा । दूसरे एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां अलीगढ़ के नलकूप डिवीजन के एक इक्जीक्युटिव इंजीनियर हैं, जिन्होंने बहुत गलत आंकड़े सरकार को प्रस्तुत किये हैं काफी तादाद में ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं और उसने अपनी रिपोर्ट यह दिया है कि काफी तादाद में ट्यूबवेल चालू हैं और इस माह जो रिपोर्ट शासन को आती है, उसमें सरासर वह धोखा दे रहा है शासन को । तो इसकी जांच करवाकर छापा मारकर उसके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जाए । (शोर) इसके अलावा मध्य गंगा जो हमारे क्षेत्र में है, उसकी कटाई की बात आपके सामने रखना चाहता हूं । मध्य गंगा की एक नहर पी० एल० जी० सी० हमारे क्षेत्र से होकर निकल रही है । वहां एक ए० ई० है, मिस्टर पी० एन० सक्सेना, जो काफी बदमाशी कर रहा है । झण्डी लगवा देता है कि यहां से नहर निकल रही है और जब किसान आकर उसको पैसा दे देते हैं तो वह झण्डी दूसरी जगह गड़वा देता है । इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है इसके खिलाफ माननीय मंत्री जी तुरन्त जांच आदेश देकर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा दिया गया कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री धरमपाल--

मान्यवर, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिये और भाई शंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि वे अपने विभाग का नाम सिंचाई विभाग से बदल कर मौज-मस्ती का विभाग रख लें तो अच्छा होगा क्योंकि प्रदेश में सिंचाई की गति देखने से पता लगता है कि तीस वर्षों तक इन लोगों ने इस विभाग में रहकर इसको बरबाद कर दिया है जिससे भारत जैसे देश आज पिछड़ गया है । बड़े रुआब से, बड़े फख्र से सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि दो हजार नलकूप और प्रस्तावित कर रहे हैं । जरा उनकी गति देखिये, आपके पास मात्र रिग हैं 18 और एक रिग की कैपेसिटी होती है 16 बोरिंग करने के लिये तो इस तरह से साल में केवल 288 बोरिंग हो सकती हैं । बाकी बचे 850 और 1,300 का एरियर आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसे पूरा करने में आपको साढ़े ग्यारह वर्ष लगेंगे कम्पलीट करने में । जब तक आपका एरियर वर्क कम्पलीट नहीं हो जाता क्या आवश्यकता पड़ी थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धरमपाल--]

इस बजट को प्रस्तुत करने के लिये । एरियर वर्क को कम्पलीट करने की आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, उसको पहले आप कम्पलीट कराते तब यह और बजट पेश करते ।

मान्यवर, आज तक जितनी भी योजनायें चली हैं चाहे वो सरयू सहायक योजना हो या दूसरी कोई योजना । यह अधिकारी अपनी मौज मस्ती के लिये पहले वहां पर कालोनी डेवलप करते हैं उसके बाद फिर काम लिया जाता है । यह कालोनीज अस्थायी रूप से बनायी जाती हैं बाद में उन्हें स्थायी नाम दिया जाता है उन कालोनीज के निर्माण के लिये मैटीरियल अच्छा से अच्छा लिया जाता है परन्तु उनकी लाइफ केवल 10 वर्ष की ही होती है । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आप ये कालोनीज डेवलप कराते हैं, उनके लिये जो मैटीरियल लाकर लगाया जाता है, उसे आप अच्छी तरह का लगवाया करें और जब आपके तमाम अधिकारी उसे छोड़ें तो उसे उनको दे दें जिनकी भूमि अधिग्रहण करके आपने यह कालोनीज बसायी थी ।

सम्भवतः मंत्री जी मेरी बात को समझ रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि हमारे बहराइच जिले में इससे पहले के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबकी सूचना मेरे पास है, मैं माननीय मंत्री जी को उसे दूंगा मान्यवर, वहां भूमि के अधिग्रहण के लिये पुलिस द्वारा किसान को पिटवाया और जिम्मेदारी आयी आपके विभाग की और न उसे भूमि का मुआविजा दिया गया । उस आदमी के दोनों हाथ में कम्पाउंड फ्रैक्चर अभी भी है, इतनी बेरहमी से उसे पीटा गया, अगर हमारी बात गलत साबित हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं ।

मान्यवर, इसके साथ पूरी फाइल है, मैं माननीय मंत्री जी को दूंगा । इसके बाद मैं भ्रष्टाचार की एक कहानी सुनाता हूं । हमारे बहराइच जिले में एक मिस्टर जैन हैं जो शायद एस0 ई0 हैं । हमारे चीफ इंजीनियर सम्भवतः जी0 के0 मिश्रा अपने खाने के लिये 18 लाख की योजना बना चुके हैं । डाइरेक्ट दो टेन्डर आये । एक की कीमत 5 लाख और कुछ हजार रुपये हैं और दूसरे की कीमत बीस लाख रुपये है । तो 5 लाख कुछ हजार रुपये वाले टेन्डर से कहा कि तुम कम करने को क्या कीमत लोगे, कितना प्राफिट होगा । कहने लगे कि आप जमानत जब्त करा लें, आपको प्राफिट हो जायेगा और हम सेकेण्ड लास्ट को टेन्डर दे देंगे । तो जो काम कम कीमत में हो सकता था उसे न करा कर बल्कि ज्यादा कीमत का टेन्डर दिया जाता है । होना यह चाहिये था कि उस टेन्डर को रोक कर दूसरे टेण्डर आमंत्रित किये जाते । इसी तरह से एक ए0 सी0 एम0 रहते हैं, नानपारा में रहते हैं उन्होंने एंगिल आइरन में होल करने के लिये 50 रुपये से लेकर 12 रुपये तक दिये । 50 पैसे में कहीं भी किया जा सकता था इस तरह से दो-ढ़ाई लाख रुपये में होल करवाये गये हैं । पता नहीं डिपार्टमेन्ट में होल किये गये हैं या अधिकारियों में होल किये गये हैं । समझ में नहीं आता । एक अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में और आपके जनपद गोरखपुर में हैं । उनका नाम है शेर सिंह । आपका नाम है वीर बहादुर सिंह । अब दोनों में पड़ा है टकराव । आपके आदेशों का पालन वह नहीं करते हैं । मंत्री हैं वीर बहादुर सिंह, और वह कहते हैं मैं हूं शेर सिंह । मैं उन से बड़ा हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि जो अधिकारी आप के आदेशों को न माने उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते । बहराइच जनपद में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपका चल रहा है और

इसकी स्थिति क्या है । जो अधिकारी काम करना चाहते हैं वहां उनको तो काम करने नहीं दिया जाता और जिन अधिकारियों के काम शुरू नहीं हुए उनकी आप पीठ ठोंक रहे हैं । एक उदाहरण और दे रहा हूं.. ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो रहा है । 5 बज रहे हैं ।

श्री धरम पाल--

ठीक है मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात लिखित मंत्री जी को देते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसके साथ जो भावी मुख्य मंत्री हैं, कोई न कोई कार्यवाही अवश्य करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर चर्चा 16 मार्च को भी जारी रहेगी ।

लखीमपुर खीरी की एक चीनी मिल द्वारा विषाक्त पानी गोमती नदी में छोड़े जाने से लखनऊ में मछलियों के मरने एवं नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये खतरे के सम्बन्ध में वक्तव्य

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

दिनांक 10 मार्च, 1981 को दौलतगंज वार्ड के निवासियों ने सबेरे लगभग 7 बजे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, लखनऊ को सूचना दी कि गऊ घाट के नीचे गोमती में पानी पर उतराती हुई मछलियां दिखाई दे रही हैं ।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने स्टाफ के साथ गऊघाट के ऊपर से लेकर भैंसाकुन्ड तक नदी का निरीक्षण किया । गऊघाट के आस-पास मछली मरने की कोई शिकायत नहीं पाई गई । मछलियां मुख्यतः नदी के उसी किनारे पर मरी हुई पायी गईं जहां मोहन मीकिन्स डिस्टीलरी का उत्प्रवाह गोमती में मिलता है । चूंकि गऊघाट से ऊपर की ओर नदी में मछलियों के मरने की सूचना नहीं मिली है, अतः लखीमपुर खीरी और सीतापुर स्थित चीनी मिलों और डिस्टीलरियों के कारण मछलियों के मरने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती । डालीगंज में जहां मोहन मीकिन्स डिस्टीलरी और बेवरीज का पानी गोमती में मिलता है उसके नीचे की ओर और उसी किनारे पर मरी हुई मछलियों की काफी संख्या देखी गई । नदी के जल का रंग हल्का भूरा था । इससे यह पता चलता है कि मछलियों के मरने का प्रमुख कारण सम्भवतः मोहन मीकिन्स डिस्टीलरी का दूषित उत्प्रवाह है । इसी क्षेत्र में नगरमहापालिका के कई नाले भी गोमती नदी में मिलते हैं । सामान्यतः वह दूषित उत्प्रवाह नदी के बहाव के साथ काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है । जिसके कारण नदी में जल की गुणता इतनी खराब नहीं होने पाती है जिससे कि मछलियां मर जायं । परन्तु दिनांक 9 मार्च, 1981 की रात को सिंचाई विभाग के भैंसाकुन्ड के निकट नवनिर्मित बैराज के सभी गेट टेस्टिंग हेतु बन्द कर दिये गये जिसके कारण नदी का बहाव अस्थायी तौर पर रुक गया और प्रदूषणकारी उत्प्रवाह एक ही क्षेत्र में काफी इकट्ठा हो गया । आर्गनिक मैटर के कन्सट्रेशन के काफी बढ़ जाने के कारण गोमती नदी

[श्री लोकपति--]

के जल में घुली हुई आक्सीजन की मात्रा सामान्य स्तर 6-8 भाग प्रति दस लाख से घटकर 2-3 भाग प्रति दस लाख हो गया जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मछलियों की सामान्य श्वास प्रक्रिया में बाधा पड़ी और वे मर कर या अधमरी होकर गोमती नदी के जल के सतह पर उतराने लगीं। इस बैराज के फाटक 10 मार्च, 1981 को पूर्वाह्न में खुलवा दिये गये जिसके फलस्वरूप 10 मार्च, 1981 को शाम तक नदी के बहाव की स्थिति सामान्य हो गई। दिनांक 11 मार्च, 1981 को पुनः पूर्वाह्न में जल प्रदूषण निवारण संस्थान द्वारा और तीसरे पहर राज्य स्वास्थ्य संस्थान द्वारा पांच भिन्न स्थल से गोमती के पानी के नमूने लिये गये। इनके परिणामों से ज्ञात हुआ है कि केवल निशातगंज पुल के पास के गोमती जल को छोड़कर शेष सब स्थलों पर जल में आक्सीजन की मात्रा वांछित स्तर पर वापस आ गई है। पानी का रंग भी साफ हो गया है।

11 मार्च, 1981 को अपरान्ह से नदी में मरी हुई मछलियां भी दृष्टगत नहीं हुईं। 12 मार्च, 1981 को भी नदी के पांच भिन्न-भिन्न स्थानों से पानी के नमूने लिये गये। यह वांछित स्तर के पाये गये।

10 मार्च, 1981 को मरी हुई मछलियों को कुछ मछुवारे बीन रहे थे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने गऊघाट के जाने वाले रास्ते तथा हरदोई रोड से आने वाले रास्ते के उपयुक्त स्थलों पर अपने कर्मचारी तैनात कर दिये। मछलियों को जो लोग लेकर जा रहे थे उन्हें उनसे लेकर नष्ट कर दिया गया। गऊघाट से लेकर भैंसाकुन्ड के पुल तक निगरानी शुरू की गई। इसके बीच कई स्थलों पर लोग मछलियों को बीन रहे थे। इनको रोका गया। मल्लाहों को ताकीद की गई कि वे इन मरी मछलियों को न स्वयं खायें और न बाजार में बेचें।

नगर महापालिका के वैटेनरी सर्जन को निर्देश दिये गये कि वह बाजार में उनकी बिक्री रोकें। वैटेनरी सर्जन व उनके स्टाफ ने मछली बाजारों में जाकर ऐसी मछलियों को नष्ट कराया। 10 मार्च, 1981 को मछली मार्केट व नरही बाजार में ऐसी दस बोरी मछली नष्ट की गई। लगभग 22 मन मछली नदी से आने वाले रास्ते पर लोगों से लेकर नष्ट की गई। 11 मार्च, 1981 को बाजारों से लगभग पांच मन मछलियां नष्ट कराई गईं।

लखीमपुर खीरी तथा सीतापुर जिलों के जिला अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस विषय की सूचना तार द्वारा देते हुये कहा गया है कि वे यह निरीक्षण करा लें कि उनके जनपदों की चीनी मिलों का तरल उत्प्रवाह (एफ्लेन्ट) बिना ट्रीट किये हुए तो नहीं छोड़ा जा रहा है। सीतापुर से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। लखीमपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टेलीफोन पर 12 मार्च, 1981 अपरान्ह में अवगत कराया कि गोला सुगर मिल के एफ्लेन्ट को ट्रीट करके सरायन नदी में डाले जा रहे हैं।

मुख्य कारखाना निरीक्षक, कानपुर को भी निर्देश दिये गये हैं कि इन जिलों के चीनी मिलों का निरीक्षण करायें। राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ से चीनी मिलों के उत्प्रवाह के नमूनों को लेने के लिये भी टीम भेजी गई है।

नदी का पानी पीने के लिये जल संस्थान द्वारा विधिवत् ट्रीट करके नगर में वितरित किया जा रहा है। इस घटना से पीने के पानी में किसी तरह का खतरा नहीं बना है। स्थानीय संक्रामक रोग अस्पताल में गैस्ट्रो इन्टेस्टाइनल संक्रमण के रोगियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

नागरिकों को सचेत करने के लिये स्थानीय समाचार-पत्रों में उपयुक्त विज्ञप्ति भी दी गई है।

स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कोई आपात्कारी सम्भावना नहीं है। लगातार निगरानी रखी जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है पूछिए लेकिन एक ही पूछिएगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मन्त्री जी का यह पूरा बयान पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि तथ्यों को उलट-पलट कर रखने का प्रयास किया गया है। इसमें मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि पानी वहां दूषित हुआ तो वह पानी कहां से आ गया समस्या गहन इसलिए भी हो गई कि कहा गया कि मोहन मीकिन्स डिस्टीलरी का दूषित उत्प्रवाह है। क्योंकि विभाग ने सटर्स बन्द कर दिये थे। सिंचाई विभाग वालों को टोका जा रहा है। मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि सीतापुर लखीमपुर खीरी की जो फैक्टरीज हैं उनको चेतावनी दी जा रही है। इससे यह बात सिद्ध हो रही है कि मोहन मीकिन्स डिस्टीलरी का पानी वहां गन्दा आया उसकी वजह से कचड़ा वहां पर आ गया, प्रवाह अवरुद्ध हो गया इसलिए वहां पर कचड़ा भरा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कारण है कि इस फैक्टरी के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि थोड़े दिन पहले केन्द्रीय गृह मंत्री जैल सिंह जी के साथ हमारे मंत्रि मण्डल के सदस्य उनके वहां दावत में गये थे। अगर कोई कार्यवाही कर रहे हैं तो कृपया बताने की कृपा करें?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, यह आदेश दिये गये हैं। ऐसी एक घटना वर्ष 1974 में घटी थी उस समय यह आदेश किये गये थे कि वे सभी कल कारखाने जिनका ऐफुलेन्ट गोमती में गिरता है वहां पर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगायें। आज भी यही आदेश हुये हैं। इसकी जानकारी कर ली जायगी अगर मोहन मीकिन्स ने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगाया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसका दूसरा पार्ट रह गया है। क्या मोहन मीकिन्स वही है कि जब स्वराष्ट्र मंत्री माननीय जैल सिंह लखनऊ आये थे तो उनके यहां दावत खाने गये थे और साथ में मंत्रि मण्डल के यहां के लोग भी गये थे। क्या यह वही प्रोप्राइटर थे ?

श्री लोकपति--

न मैं वहां गया था, न मैं प्रभावित हूं। इसका प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें श्री शंकर सिंह, श्री दलगंजन सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह की सूचना जो कि विगत 11 मार्च, को उरई नगर, जनपद जालौन के प्रतिष्ठित व्यापारी तथा भूतपूर्व स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री श्याम सुन्दर पुरवार का उनकी पत्नी सहित डाकुओं द्वारा अपहरण के विरोध स्वरूप जनपद के सारे बाजार बन्द होने तथा जनता में व्याप्त भय एवं असंतोष के सम्बन्ध में है, इसको स्वीकार किया गया है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

श्री रियासत हुसैन--

मोदी नगर के मजदूरों के बारे में मैंने 51 के अन्तर्गत दिया था उसमें स्टेटमेन्ट के बारे में कुछ तय ....।

श्री मोहन सिंह--

उसमें स्टेटमेन्ट के लिए कहा था....

श्री अध्यक्ष--

स्टेटमेन्ट के लिए कहां कहा था ?

मेरठ में पुलिस द्वारा ट्रक ड्राइवर श्री रमेश की पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना लालकुर्ती जिला मेरठ की पुलिस, यह सूचना मिलने पर कि एक ट्रक मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर के पास दुर्घटना करके भाग गया है, दिनांक 26 फरवरी, 1981 को मेरठ-मुजफ्फरनगर मार्ग पर रात्रि में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक ड्राइवर ने पुलिस द्वारा रोकने पर भी अपना ट्रक नहीं रोका। पुलिस ने उसका पीछा किया और ट्रक को पकड़ लिया। थाना लालकुर्ती में दिनांक 26-2-81 को 23.45 बजे ट्रक ड्राइवर रमेश कुमार पुत्र राम प्यारा को धारा 112 मोटर वेहिकल ऐक्ट के अन्तर्गत हवालात के अन्दर बन्द कर दिया गया। दिनांक 27 फरवरी, 1981 को प्रातः 8.40 बजे उक्त चालक को मुचलका/जमानत पर छोड़ दिया गया। थाना लालकुर्ती के अभिलेखों के अनुसार दिनांक 27-2-81 को 12.40 बजे मध्यान्ह रमेश कुमार के द्वारा ट्रक के कागजात प्रस्तुत करने पर ट्रक को रमेश कुमार तथा उसके भाई किशन लाल की सुपुर्दगी में दिया गया। दिनांक

फरवरी, 1981 को 12·30 बजे मध्यान्ह के समय थाना दिल्ली गेट (मेरठ) में एक अज्ञात शव के रेलवे लाइन के पास पड़े होने की सूचना मिली । यह शव बाद में श्री रमेश कुमार ड्राइवर का होना पता चला । दिनांक 1-3-81 को सायं 4 बजे मेडिकल कालेज मेरठ में हुए शव परीक्षण में मृत्यु लगभग डेढ़ दिन पूर्व की होनी बतायी गयी । शव परीक्षण के बाद शव मृतक के भाई आदि को दे दिया गया । प्रतीत होता है कि श्री रमेश कुमार के सम्बन्धियों ने उनके शव का अन्तिम संस्कार उस समय नहीं किया और उसे दिल्ली ले जाकर केन्द्रीय गृह मंत्री जी से शिकायत की कि पुलिस ने श्री रमेश कुमार को मार डाला है । तथ्यों की सत्यता जानने हेतु छानबीन हो रही है । इस मामले की मैजिस्टीरियल जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा की जा रही है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह बताया जाता है कि मंसूरपुर में भी यह घटना हुई है और यदि सारे बयान को ध्यान से पढ़ा जाय तो मालूम होता है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और एक केस बनाकर उसको वहां पर रखने की कोशिश की गई है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंसूरपुर में जो दुर्घटना हुई उसकी रिपोर्ट कितने बजे थाने में दर्ज हुई थी । उसमें कोई ट्रक का नम्बर दिया हुआ होगा, जिसको पकड़ा गया होगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह समाचार 26 तारीख को 22 बजकर 20 मिनट पर उनको मिला कि एक ट्रक ड्राइवर भागकर आ रहा है । इसी को ध्यान में रखकर वे चेकिंग के लिये वहां पर गये लेकिन वह ट्रक का नम्बर नहीं मिला ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी के बयान से कुछ नये मुद्दे उठते हैं । मैं मंत्री जी के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान भी उनकी ओर गया है । जैसा कि यह बताया गया है कि 27 तारीख को 8.40 बजे उक्त ड्राइवर को छोड़ दिया गया जब कि यह बात जांच रिपोर्ट में आ गयी है कि एक व्यक्ति नुरुल हसन उसके पास जाता है और कहता है कि हमको ट्रक लेना है । उसकी जबान बन्द कर दी जाती है, 10 रुपया उसको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि रेल के ट्रक के पास मरा हुआ पाया गया । जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि ट्रैक के 2/3 इंच की दूरी पर ही उसकी खोपड़ी पड़ी हुई मिली । जब कि इस तरह की दुर्घटना में उसको तीन फिट तक की दूरी तक उसे जाना चाहिए था और खिसक कर उस खोपड़ी को एक गड्ढे में जाना चाहिए था । दूसरी बात यह है कि पुलिस ने कहा कि लाश का आइडेन्टीफिकेशन नहीं हो सका । मान्यवर, उसकी जेब में कुछ कागजात बरामद हुये हैं । उसकी कमीज में आहुजा टेलरिंग कम्पनी शाहदारा लिखा हुआ था । दूसरी बात यह है कि लाश को अनक्लेम्ड समझा गया । मान्यवर, ऐसी लाशों के लिये डाक्टर को फीस 50 रुपया होती है और वह फीस भी डाक्टर को दे दी गई । उसका दाह संस्कार भी नहीं किया जाता है ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

दूसरी जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि रेल से कटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है । मान्यवर, यह रहस्यमय बात है और साफ जाहिर है कि उस व्यक्ति को मारा गया है और अब बहानेबाजी हो रही है कि रेल की पटरी पर जाते हुये उसकी मृत्यु हुई । इन तथ्यों की ओर सरकार को ध्यान देना है । इसकी जांच मजिस्ट्रेट से आप करा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से करायेगी । क्योंकि लोक सभा में जैल सिंह ने भी इसका उल्लेख किया है और कहा है कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच करायी जा सकती है । मंत्री जी का ध्यान इन तथ्यों की ओर गया है और इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, सम्पूर्ण तथ्य जिस ओर माननीय सदस्य ने इशारा किया है उसकी मजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है । मेरी जानकारी यह है कि ये सारे तथ्य वहां पर उनके पास पहुंच गये हैं और जांच कर्त्ता को इनका ध्यान है । जहां तक सी0 बी0 आई0 से जांच कराने का प्रश्न है यह अगर इसमें कोई ऐसे तथ्य आयें जैसे कि दोनों रिपोर्ट्स में ऐक्सीडेन्ट ही कारण बताया गया है और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट भी ऐसी आयी है कि ऐक्सीडेन्ट के कारण मृत्यु हुई और मारकर नहीं डाला गया है । उसको देखा जायेगा । ऐसी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा इस वक्त सी0 बी0 आई0 के जांच के लिये लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । मैजिस्टिरीयल जांच के परिणाम आयेगा उसके बाद कोई परिणाम आया तो शासन निर्णय ले लेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं माननीय मिनी चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि जो चालान दफा 112 मोटर विहिकिल ऐक्ट में हुआ है वह नान-कागनिजिबिल है और वह बेलेबुल है । दूसरा 27 तारीख को 8.40 बजे चालक को जमानत और मुचलका लेकर छोड़ा गया तो ट्रक को क्यों दिया गया । उसका चालान कागज न दिखाने पर नहीं हुआ अगर उसमें चालान होता तो उसमें धारा 123 होती है, ओवर लोडिंग के लिये धारा 124 होती है । 112 में तो जो चालान होता है उसमें घन्टी न देने पर या लाइट न होने पर होता है । तो जब धारा 112 में चालान हुआ तो उसमें जिस समय ड्राइवर को छोड़ा गया उसी समय ट्रक उसके हवाले क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें उपस्थित की हैं उस ओर भी मैजिस्टिरियल इनक्वायरी अपनी नजर रखे है इसकी जांच वह करेंगे ।

श्री हुकम सिंह--

जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सिर पर भी चोटें आने की बात है वह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उसमें यह है हेड ऐन्ड फेस आफ दी बाडी इज सेपरेट फ्राम दी रेस्ट आफ दी बाडी बाई ट्रावयूमोटिक एम्यूटेशन ।

2--लैसेरेटेड वाउन्ड एट दी लेविल अफ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वर्टेब्रा इक्सटेंडिंग अपटू चिन एन्ड आन दी साइड्स जस्ट बिलो दी इयर्स आफ बोथ साइड्स। दिस पोर्सन आफ हेड इस सेपरेटेड फ्राम दी रेस्ट आफ दी बाडी एल0 यू0 मेजरिंग 15.5 सी0 एम0 साइड बाई साइड प्लस 12 सी0 एम0।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी इसकी हिन्दी भी करते जायं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आप कहेंगे तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो कहूंगा।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

टैकनिकल वर्ड्स में यह है कि कटाफटा और लम्बे घाव के साथ जो 15.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है धड़ से सिर अलग पाया गया।

2--कान्ट्यूजन 4 सी0 एम0 इन्टू 2 सी0 एम0 आन दी टाप आफ लेफ्ट सोल्डर।

3--कान्ट्यूजन 18 सी0 एम0 इन्टू 2 सी0 एम0 आन दी टाप आफ राइट सोल्डर इक्सटेंडिंग अप टू दी अपर पार्ट आफ राइट अपर आर्म।

4--मल्टीपिल एब्रेशन इन एन एरिया 5 सी0 एम0 इन्टू 2.5 सी0 एम0 आन दी फ्रन्ट आफ राइट नी।

5--मल्टीपिल एब्रेशन इन एन एरिया 5 सी0 एम0 इन्टू 1.5 सी0 एम0 आन दी फ्रन्ट आफ लेफ्ट नी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी ऐसी रिपोर्ट, जो डाक्टरों की टेक्निकल होती हैं, वह जब आयें तो कृपया उनकी हिन्दी में अनुवाद दे दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आइन्दा ध्यान रखेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मन्त्री जी इस घटना में जो चार दिन लग गये 26 तारीख से यह मामला चला और पहली तारीख को यह मामला पार्लियामेंट में भी आया और वहां पर जहां तक सूचना है एम0 पी0 ने भी मांग की है कि सी0 बी0 आई0 इन्क्वायरी के बारे में भी किसी तरह का केन्द्रीय गृह मन्त्री ने आश्वासन भी दिया है यदि राज्य सरकार को आब्जेक्शन न हो तो वह करने को तैयार है? तो आपको क्या आपत्ति या परेशानी है कि आप सी0 बी0 आई0 से इसकी जांच करा दें?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

केन्द्रीय गृह मन्त्री ने क्या आश्वासन दिया, यह हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। अगर उन्होंने कोई आश्वासन दिया है तो उत्तर प्रदेश शासन उनके आश्वासन के अनुसार कार्यवाही करेगा। लेकिन जहां मैजिस्ट्रियल जांच का सवाल है, उनकी जांच में यदि कोई ऐसी चीजें रह जाती हैं, सन्देह रह जाती है तो उस पर ही इस प्रकार की कोई बात हो सकती है और उसके पहले कोई इस बारे में निश्चय कर लेना मेरी समझ में उचित नहीं होगा।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं 27 फरवरी, 1981 को 12.40 बजे मध्यान्ह रमेश कुमार के द्वारा ट्रक के कागजात प्रस्तुत करने पर ट्रक को रमेश कुमार तथा उसके भाई किशन लाल की सुपुर्दगी में दिया गया। तो इस ट्रक को चलाकर रमेश कुमार ले गया या उसका भाई ले गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

चूंकि ड्राइवर रमेश कुमार था, इसलिये वही चला कर ले गये होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मन्त्री जी की जानकारी में यह तथ्य भी आया है कि 27 तारीख को साढ़े तीन बजे रेल से कटने की सूचना यहां है और 28 तारीख को 2 बजे लाश मिलती है, इस बीच 14 रेलें वहां से गुजरी हैं और किसी ने उसकी रिपोर्ट नहीं की और आपके गेट पर मेमो ले जाने की भी कोई सूचना नहीं है ? तथा क्या यह भी जानकारी मिली है कि जहां इंक्वायरी हो रही है, वहां पुलिस की गाड़ी में बैठाकर गवाहान लाये जाते हैं और गवाही के समय पुलिस के सिपाही अपनी वर्दी में खड़े रहते हैं, जिससे गवाहों पर दबाव पड़ता रहे और वह आतंकित होकर सही बात न कह सकें ? और क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी गई है और क्या उसमें यह भी है कि सी० बी० आई० को जांच देने के बारे में आपका क्या मत है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

समय की अवधि के बारे में जो पूछा है, सूचना जो हमें मिली, मान्यवर, उसे मैंने आप के माध्यम से निवेदन कर दिया और उसके बाद एक्सीडेंट का जो केस है किसी की जानकारी में जब बात आती है तब उसे कर दिया। आलू के खेत में कोई खुदाई कर रहा था, एक गैंगमैन को उससे सूचना मिली, तो वहां पर कार्यवाही हुई है।

(श्री विद्या सागर नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी सूचना बाकी रह गई है। मैंने पूछा है कि क्या सेन्ट्रल से कोई सूचना मांगी गई, उसको दिलवा दें।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

दिल्ली में जो पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली या नहीं ? और यह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मन्त्री जी ने पढ़ी, यह तो इंजरी रिपोर्ट है, उसमें यह नहीं है कि शव की हालत क्या थी, दिमाग की हालत क्या

थी और उसके पेट में क्या-क्या निकला? यह सब चीजें मन्त्री जी ने नहीं बताई हैं, इससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे यह दो आदमियों का झगड़ा हो ? ।

श्री अध्यक्ष--

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का डिटेल यह जानना चाहते हैं और राजेन्द्र कुमार गुप्त को राज्य सरकार से पूछने के बारे में जवाब दे दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मृत्यु के बारे में जो रिपोर्ट है, उसका जिक्र कर दिया है और जो गुप्त जी ने पूछा है भारत सरकार ने सूचना मांगी है, वह उनको उपलब्ध कराई जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने साफ-साफ यह पूछा है कि केन्द्रीय सरकार ने इस घटना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विवरण मांगा है और सी0 बी0 आई0 को मामला रेफर कर देने की क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि सूचना मांगी गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से साफ-साफ पूछा है इस मामले को सी0 बी0 आई0 को रेफर कर दिया जाय और उसमें इस प्रदेश की सरकार की राय मांगी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कुछ सूचनायें जो केन्द्रीय सरकार मांगती है

(व्यवधान)

माननीय सदस्य उतावले न हों, मैं उत्तर दे रहा हूं । केन्द्रीय सरकार ने पूरा विवरण मांगा है घटना कैसे हुई । सी0 बी0 आई0 को इंक्वायरी के बारे में कुछ नहीं पूछा है ।

श्री मोहन सिंह--

यह एक्सिडेंट मंसूरपुर थाने के अन्तर्गत हुआ और मुलजिम को लालकुर्ती थाने में गिरफ्तार किया गया तो किस धारा के अन्तर्गत मंसूरपुर के मुलजिम की जमानत लालकुर्ती थाने ने ले ली ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

घटना मंसूरपुर में अवश्य हुई लेकिन चेकिंग लालकुर्ती की पुलिस कर रही थी और लालकुर्ती की पुलिस ने चालान किया मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत और उसने वही जमानत दे दी ।

श्री हुक्म सिंह--

जो एक्सिडेंट मंसूरपुर में हुआ क्या उस दुर्घटना का केस मंसूरपुर थाने में अथवा मुजफ्फरनगर जिले में दर्ज हुआ और यदि हुआ तो किस समय हुआ ? वायरलेस से सूचना आई तो उसका नम्बर क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दुर्घटना दर्ज होने का समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है । वहां खबर आई कि दुर्घटना करके कोई ट्रक आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ
13 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृ0 80 पर ।)

क्रमांक	ग्राम का नाम
1	तपनौर
2	दाउदपुर
3	मानीमऊ
4	कलहा मऊ
5	फतेहपुर चौगवां
6	मेंहदीपुर
7	काजीपुर वोनवां
8	नीगा मऊ
9	सुआपुर
10	तेजीपुर
11	सुनमिनि
12	सुकरौली
13	दारापुर
14	खोरुद्धीनपुर
15	मूलनगनीपुर
16	खासमपुर
17	इस्लामाबाद
18	कुतुबपुर ज्योलो
19	खोमीपुर
20	सन्जरपुर
21	रुइया
22	जेहदीपुर
23	लच्छीपुर
24	भीखापुर
25	महंगेपुर
26	निवादा गब्बो

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रमांक	ग्राम का नाम
27	करवा
28	लेकपुर
29	पूरनपुर
30	कोडरमऊ
31	कोंकटमऊ
32	नरायण मऊ
33	तेरवाकुल्ली
34	बाबरमऊ
35	जलालपुर
36	नवकुतलाबाद
37	मगरहा
38	शाहपुर
39	मन्दूरापुर
40	महमूदपुर
41	रामपुर
42	इटौली
43	जफरपुर
44	महदेवामऊ
45	करेहका
46	बांड
47	गनीपुर
48	छिबरामऊ
49	जरसेनामऊ
50	कुतुबपुर
51	खलीलनगर
52	बलेदा
53	बोझवर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	ग्राम का नाम
54	रेकरा
55	धोधी
56	परसोला
57	हरमापुर
58	साहीपुर
59	अखितयारपुर
60	बिन्दौरी
61	आसफपुर
62	महमूदपुर
63	अलियापुर
64	कोई
65	कोइलेश
66	बूठनपुर
67	रामपुर मझियारा
68	अजमबनगर
69	हैबतपुर
70	नंकपुर हथियामऊ
71	पहलवानाबाद
72	ककेड़ी
73	कजपुर मतनी
74	रसूलपुर गोगा
75	चौसार सी0
76	तेरापुर सोली सी0
77	नन्दना बरार
78	बन्डारी
79	हरिवशपुर सी0
80	रीरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	ग्राम का नाम
81	ऊंचा मलना
82	मानापुर सी0
83	मिर्जापुर
84	हरोपुर सी0
85	मेरमपुर
86	संतियापुर
87	परसापुर
88	काईमऊ कोरिता
89	कुबेरपुर सी0
90	मयेलीमाफी सी0
91	मितमिनपुर सी0
92	सहजना
93	औरेगी
94	गुर्रा
95	महसूलापुर
96	इस्माइलपुर
97	छोड़ीपुर
98	बह्मरौली
99	मुबारिकपुर
100	मिरौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 102 पर।)

संलग्नक

प्रदेश में अल्कोहल पर आधारित वस्तुओं का आसवनियों द्वारा उत्पादन।

(बल्क लीटर में)

वर्ष	विशुद्ध मद्यसार	परिशोधित स्प्रिट	साधारण विकृत आसव	विशेष विकृत आसव	देशी शराब	विदेशी शराब
1	2	3	4	5	6	7
1977–78	1,72,470	119564347	4296056	95725969	25247040	17168247
1978–79	2,49,016	130054425	4057509	89603527	18954388	19478507
1979–80	1,32,385	124821207	2623947	70986757	24169473	20315086

पी0 एस0 यू0 पी0—40 वि0 सभा—24–8–82—835 (पी0डी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उदय पटेरा विधान सभा